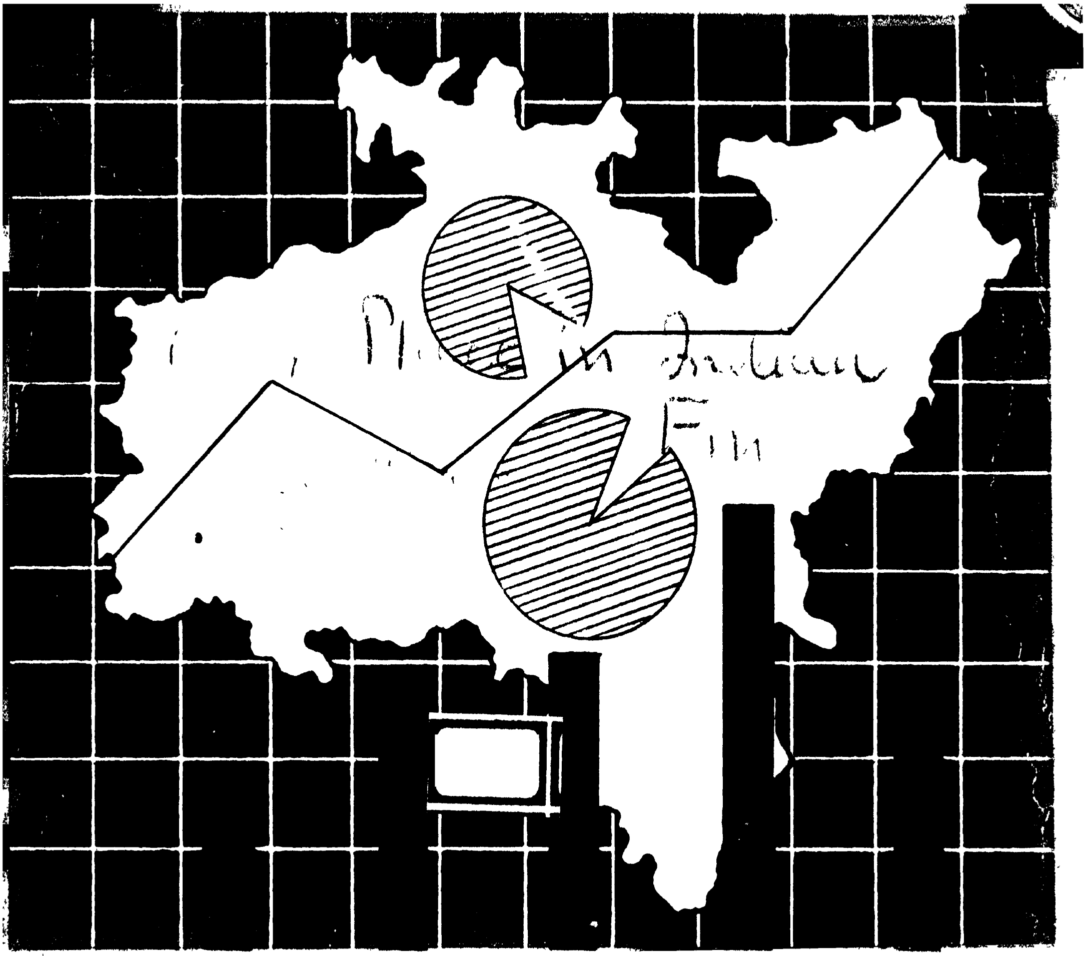

# भारतीय अर्थ-व्यवस्था में हमारा स्थान

UNIVERSAL LIBRARY

OU_186817

UNIVERSAL LIBRARY

# भारतीय अर्थ-व्यवस्था

## हमारा स्थान

आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

शासन मुद्रणालय, नागपूर

# प्राक्कथन

"अध्ययन" 'स्वतंत्र' भी हो सकता है और 'तुलनात्मक' भी। स्वतत्र अध्ययन का क्षेत्र केवल अपने ही विषय तक सीमित रहता है; जबकि तुलनात्मक अध्ययन तत्सदृश अन्य विषयों की तुलना में अपने विषय का परिचय देना है। वैसे तो दोनों ही प्रकार के अध्ययन अपने अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं किन्तु किसी विकासोन्मुख प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिये तुलनात्मक अध्ययन एक विशेष महत्त्व रखता है। सामान्यतः मनुष्य अपनी सफलताओं का मूल्यांकन दूसरों की सफलताओं के आधार पर ही करते हैं। ऐसी तुलना से उन्हें अपनी आनुपातिक और वास्तविक प्रगति का बोध होता है, और यह संतोष भी कि उनकी प्रगति दूसरों की अपेक्षा कुछ कम नहीं है। अतः तुलनात्मक अध्ययन की विशेषता किसी तथ्य की वास्तविकता का विवेचन करते हुए उसकी तुलनात्मक स्थिति का मूल्यांकन करने में निहित है।

ऐसी ही विशेषता के साथ "भारतीय अर्थ-व्यवस्था में हमारा स्थान" नामक इस मौलिक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हमारी सफलताओं और असफलताओं का व्यापक एवं समन्वित चित्रण कर अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश की स्थिति और राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उसके सहयोग का मूल्यांकन करना है। आदि से लेकर अंत तक इस पुस्तिका में विभिन्न राज्यों के आर्थिक व सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं का तुलनात्मक विवेचन करते हुए भारतीय अर्थ-व्यवस्था में हमारी स्थिति आंकने का प्रयत्न किया गया है। इसमें दी गई सांख्यिकीय जानकारी अखिल भारतीय प्रकाशनों (अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के) से प्राप्त की गई है। विभिन्न राज्यों की सफलताओं का आंकलन करने के लिये सामान्यतः प्रति-व्यक्ति (Per Capita) और प्रतिशत अंकों का उपयोग किया गया है। समंक-सामग्री के विश्लेषण एवं निर्वचन में पूरी पूरी सावधानी रखी गई है और प्रस्तुत विषयों का निष्पक्ष चित्रण करने के लिये भी यथासम्भव पूर्ण प्रयास किया गया है।

**मा. म. मेहता,**
संचालक,
आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालय,
मध्यप्रदेश.

नागपुर:
दि. ७ अप्रैल, १९५५.

# विषय-सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| १. | क्षेत्रफल और जनसंख्या ... ... ... | १ |
| २. | जीवन-समंक ... ... ... | ६ |
| ३. | कृषि, वनोद्योग तथा पशु-धन ... ... | ७ |
| ४. | सिंचाई तथा विद्युत्-शक्ति ... ... | १७ |
| ५. | खनिज पदार्थ ... ... ... | २२ |
| ६. | उद्योग ... ... ... ... | २५ |
| ७. | श्रम ... ... ... ... | ३२ |
| ८. | परिवहन ... ... ... | ४२ |
| ९. | लोक-वित्त ... ... ... | ४८ |
| १०. | शिक्षा ... ... ... ... | ६० |
| ११. | सहकारिता एवं अधिकोषण ... ... | ६५ |
| १२. | पंचवर्षीय योजना की प्रगति ... ... | ६८ |

# भारतवर्ष

## क्षेत्रफल वर्ग मीलों में

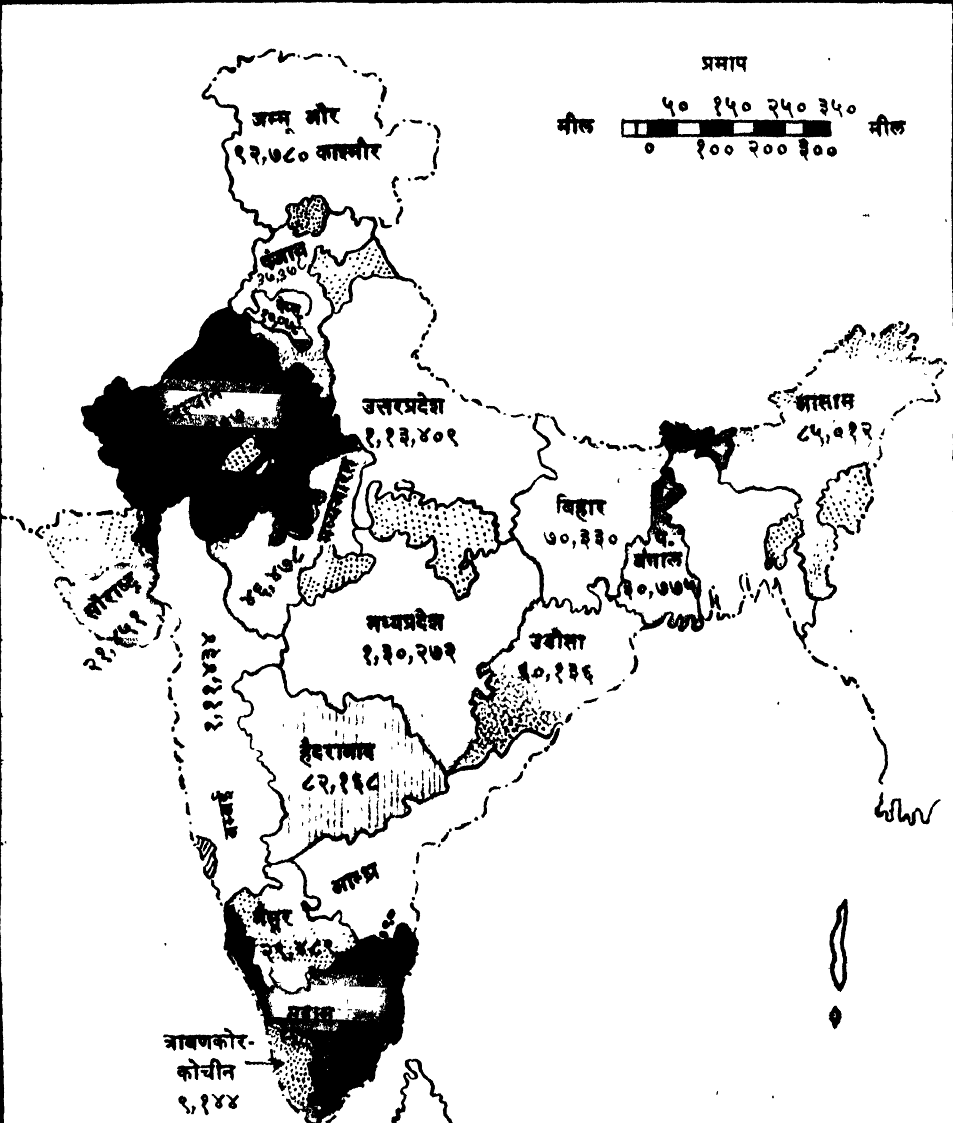

अध्याय

# क्षेत्रफल और जनसंख्या

जम्मू और काश्मीर तथा नव-निर्मित आन्ध्र राज्य को मिलाकर भारतवर्ष में कुल २९ राज्य हैं. इसका कुल क्षेत्रफल १२,६९,६४४ वर्ग मील है और इस दृष्टि से वह संसार का सातवां बडा देश माना जाता है. १,३०,२७२ वर्ग मीलों में फैला हुआ मध्यप्रदेश भारतवर्ष का सबसे बडा राज्य है. क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान (१,३०,२०७ वर्ग मील) का द्वितीय स्थान है ; जबकि दिल्ली (५७८ वर्ग मील) देश का सबसे छोटा राज्य है.

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरप्रदेश (६.३ करोड जनसंख्या) का सर्वप्रथम स्थान है ; जबकि अविभाजित मद्रास (५.७ करोड), बिहार (४ करोड) तथा बम्बई (३.५९ करोड) का क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान है. मध्यप्रदेश (२.१२ करोड) में देश की ६ प्रतिशत जनसंख्या बसी है ; जबकि उत्तरप्रदेश में १८ प्रतिशत. अन्दमान और निकोबार (३०,९७१) भारतवर्ष का सबसे बिरला बसा हुआ राज्य है.

सन् १९५१ को समाप्त होने वाली दस-वर्षीय अवधि में पंजाब और अन्दमान तथा निकोबार के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में दस-वर्षीय जनसंख्या-वृद्धि-दर बढी है. पंजाब और अन्दमान तथा निकोबार की तत्संबंधी दर में क्रमशः ०.५ और ८.६ प्रतिशत पतन हुआ है. इस अवधि में दिल्ली राज्य (६२.१ प्रतिशत) की जनसंख्या-वृद्धि-दर सर्वाधिक रही है; जबकि कुर्ग (३०.५ प्रतिशत) का द्वितीय स्थान था. मध्यप्रदेश, बिहार, उडीसा, भोपाल, विन्ध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पेप्सू के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में यह दर १० से २० प्रतिशत तक बढी है ; जबकि उक्त राज्यों में तत्संबंधी वृद्धि-दर १० प्रतिशत से भी कम थी. मध्यप्रदेश में यह दर केवल ७.९ प्रतिशत थी और पेप्सू में २.६ प्रतिशत.

विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का घनत्व विभिन्न है. इस दृष्टि से दिल्ली राज्य (३,०१७ प्रति वर्ग मील) का सर्वोच्च स्थान है, जबकि त्रावनकोर-कोचीन (१,०१५ प्रति वर्ग मील) का द्वितीय स्थान है. इस घनत्व का प्रमाण अन्दमान और निकोबार राज्य में सबसे कम अर्थात् १० है तथा कच्छ में ३४. आसाम (१०६.४ प्रति वर्ग मील) के पश्चात् 'अ' वर्गीय राज्यों में मध्यप्रदेश (१६३.१ प्रति वर्ग मील) का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है. यह प्रमाण भारतवर्ष की जनसंख्या के औसत घनत्व (३०३.२ प्रति वर्ग मील) से भी कम है. प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति, भूमि और वर्षा पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कुछ निर्भर करता है.

भारतवर्ष में प्रति हजार पुरुषों पीछे ९४७ स्त्रियां हैं. उडीसा, मनीपुर, मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन और कच्छ के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है. अन्दमान और निकोबार राज्य में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुषों पीछे ६२५ स्त्रियां) सब से कम है. ऐसे सभी राज्यों में, जहां स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, मध्यप्रदेश का सर्वोच्च स्थान (प्रति हजार पुरुष पीछे ९९३ स्त्रियां) है.

सन् १९५१ की जनगणनानुसार भारतवर्ष की ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर और शेष ३० प्रतिशत

जनसंख्या गैर कृषि व्यवसायों पर निर्भर है. सौराष्ट्र, कच्छ, अजमेर, दिल्ली तथा अन्दमान और निकोबार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है. उक्त राज्यों में कृषिक-जनसंख्या की अपेक्षा गैर-कृषिक-जनसंख्या अधिक है. मध्यप्रदेश की ७६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है. परन्तु देश के हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्यों की ९० प्रतिशत तक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है. बम्बई और बंगाल जैसे औद्योगिक दृष्टि से उन्नतिशील राज्यों में भी गैर-कृषिक-जनसंख्या की तुलना में कृषिक-जनसंख्या का अनुपात अधिक है, यद्यपि वह अखिल भारतीय औसतमान से बहुत कम है.

## क्षेत्रफल और जनसंख्या

**(भारत की जनगणना, १९४१ और १९५१)**



| राज्य | क्षेत्रफल (वर्ग मील) (१९५१) | जनसंख्या (१९५१) | जनसंख्या (१९४१) | मध्यम दशवार्षिक वृद्धि-दर (१९४१—५१) | कुल जनसंख्या का प्रतिशतता प्रमाण (१९५१) | प्रति वर्ग मील घनत्व (१९५१) | प्रति १,००० पुरुष पीछे स्त्रियां (१९५१) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| भाग 'अ' राज्य— | | | | | | | |
| आसाम ... ... ... | ८५,०१२ | ९०,४३,७०७ | ७५,९३,०३७ | +१७.४ | २.५३ | १०६.४ | ८७९ |
| बिहार ... ... ... | ७०,३३० | ४,०२,२५,९४७ | ३,६५,२८,१११ | +९.६ | ११.२७ | ५७२.० | ९८९ |
| बम्बई ... ... ... | १,११,४३४ | ३,५९,५६,१५० | २,९१,८१,१४६ | +२०.८ | १०.०८ | ३२२.७ | ९३२ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | १,३०,२७२ | २,१२,४७,५३३ | १,९६,३१,६१५ | +७.९ | ५.९५ | १६३.१ | ९९३ |
| मद्रास ... ... ... | १,२७,७९० | ५,७०,१६,००२ | ४,९८,३०,७४९ | +१३.४ | १५.९८ | ४४६.२ | १,००६ |
| उड़ीसा ... ... ... | ६०,१३६ | १,४६,४५,९४६ | १,३७,६७,९८८ | +६.२ | ४.१० | २४३.५ | १,०२२ |
| पंजाब ... ... ... | ३७,३७८ | १,२६,४१,२०५ | १,२६,९८,६०३ | —०.५ | ३.५४ | ३३८.२ | ८६३ |
| उत्तर प्रदेश ... ... ... | १,१३,४०९ | ६,३२,१५,७४२ | ५,६५,३१,८४८ | +११.२ | १७.७१ | ५५७.४ | ९१० |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | ३०,७७५ | २,४८,१०,३०८ | २,१८,३७,२९५ | +१२.७ | ६.९५ | ८०६.२ | ८५९ |
| योग ... | ७६६,५३६ | २७,८८,०२,५४० | २४,७६,००,४०० | | | | |

# जनसंख्या

(१९५१)

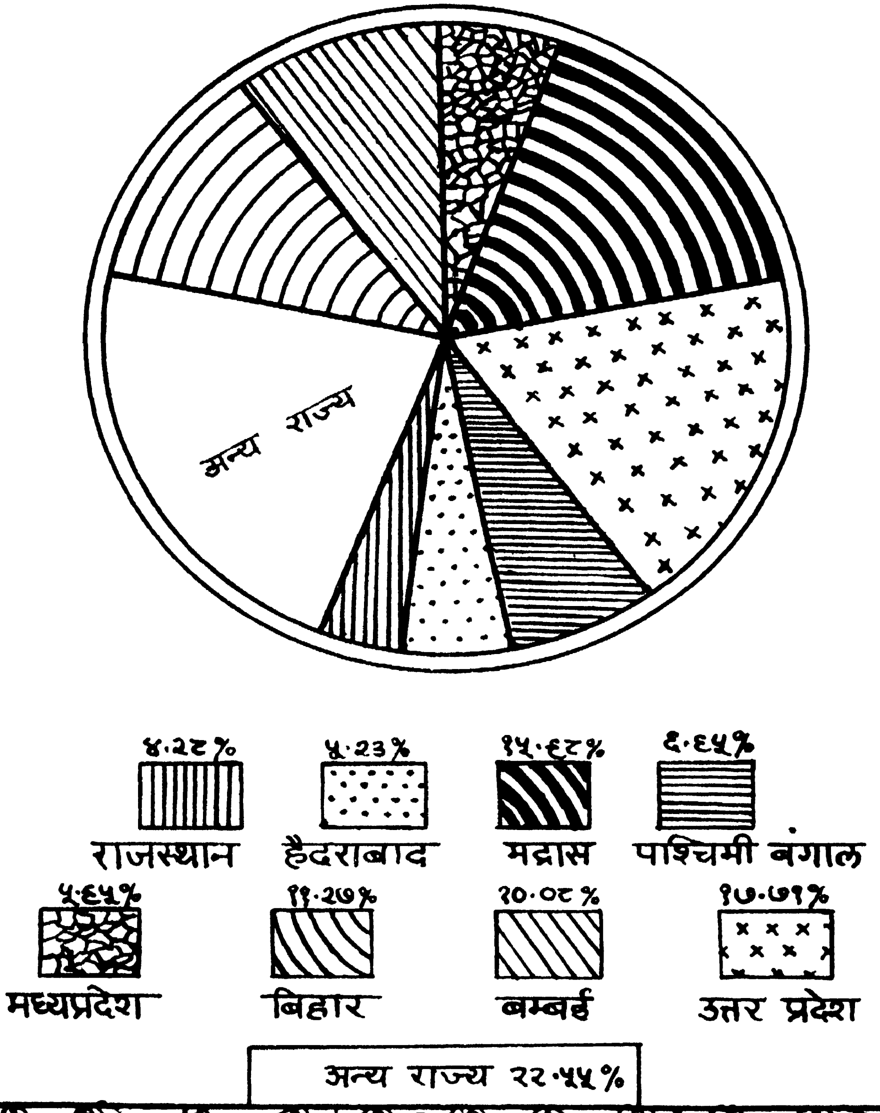

अन्य राज्य
४·२८%
राजस्थान
५·२३%
हैदराबाद
१५·९८%
मद्रास
६·९५%
पश्चिमी बंगाल
५·९५%
मध्यप्रदेश
११·२७%
बिहार
१०·०८%
बम्बई
१७·७१%
उत्तर प्रदेश
अन्य राज्य २२·५५%

## क्षेत्रफल और जनसंख्या
### (भारत की जनगणना, १९४१ और १९५१)

| राज्य (१) | क्षेत्रफल (वर्ग मील) (१९५१) (२) | जनसंख्या (१९५१) (३) | जनसंख्या (१९४१) (४) | मध्यम दशवार्षिक वृद्धि-दर (१९४१—५१) (५) | कुल जनसंख्या का प्रतिशतता प्रमाण (१९५१) (६) | प्रति वर्ग मील घनत्व (१९५१) (७) | प्रति १,००० पुरुष पीछे स्त्रियां (१९५१) (८) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भाग 'ब'— | | | | | | | |
| हैदराबाद ... ... ... | ८२,१६८ | १,८६,५५,१०८ | १,६३,३८,५३४ | +१३.३ | ५.२३ | २२७.० | ९७८ |
| मध्यभारत ... ... ... | ४६,४७८ | ७९,५४,१५४ | ७१,४१,८८० | +१०.४ | २.२३ | १७१.१ | ९४५ |
| मैसूर ... ... ... | २९,४८९ | ९०,७४,९७२ | ७३,२९,१४० | +२३.८ | २.५४ | ३०७.७ | ९५९ |
| पेप्सू ... ... ... | १०,०७८ | ३४,९३,६८५ | ३४,२४,०६० | +२.० | ०.९८ | ३४६.७ | ८४४ |
| राजस्थान ... ... ... | १,३०,२०७ | १,५२,९०,७९७ | १,३३,०६,२३२ | +१४.९ | ४.२८ | ११७.४ | ९२१ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | २१,४५१ | ४१,३७,३५९ | ३५,५९,२०० | +१५.० | १.१६ | १९२.९ | ९३५ |
| त्रावनणकोर-कोचीन ... ... | ९,१४४ | ९२,८०,४२५ | ७५,००,०५७ | +२३.७ | २.६० | १,०१४.९ | १,००८ |
| योग ... | ३,२२,०१५ | ६,३८,८६,५०० | ५,८६,०४,३९२ | | | | |
| भाग 'स'— | | | | | | | |
| अजमेर ... ... ... | २,४१७ | ६,९३,३७२ | ५,८३,६९३ | +१८.८ | ०.१९ | २८६.९ | ९२५ |
| भोपाल ... ... ... | ६,८७८ | ८,३६,४७४ | ७,८५,३२२ | +६.५ | ०.२३ | १२१.६ | ९११ |
| बिलासपुर* ... ... ... | ४५३ | १,२६,०९९ | १,१०,३३६ | +१४.३ | ०.०४ | २७८.४ | ९४८ |
| कुर्ग ... ... ... | १,५८६ | २,२९,४०५ | १,६८,७२६ | +३६.० | ०.०६ | १४४.६ | ८३० |
| दिल्ली ... ... ... | ५७८ | १७,४४,०७२ | ९,१७,९३९ | +९०.० | ०.४९ | ३,०१७.४ | ७६८ |
| हिमाचल प्रदेश ... ... | १०,४५१ | ९,८३,३६७ | ९,३५,४२७ | +५.१ | ०.२८ | ९४.१ | ९१० |
| कच्छ ... ... ... | १६,७२४ | ५,६७,६०६ | ५,००,८०० | +१३.३ | ०.१६ | ३३.९ | १,०७९ |
| मनीपुर ... ... ... | ८,६२८ | ५,७७,६३५ | ५,१२,०६९ | +१२.८ | ०.१६ | ६६.९ | १,०३६ |
| त्रिपुरा ... ... ... | ४,०३२ | ६,३९,०२९ | ५,१३,०१० | +२४.६ | ०.१८ | १५८.५ | ९०४ |
| विंध्यप्रदेश ... ... ... | २३,६०३ | ३५,७४,६९० | ३३,६६,४६९ | +६.० | १.०० | १५१.५ | ९५० |
| योग ... | ७५,३५० | ९९,७१,३७९ | ८२,०६,३०० | | | | |

*अब हिमाचल प्रदेश मे सम्मिलित.

## क्षेत्रफल और जनसंख्या

**(भारत की जनगणना, १९४१ और १९५१)**

| राज्य | क्षेत्रफल (वर्ग मील) (१९५१) | जनसंख्या (१९५१) | जनसंख्या (१९४१) | मध्यम दशवार्षिक वृद्धि-दर (१९४१—५१) | कुल जनसंख्या का प्रतिशतता प्रमाण (१९५१) | प्रति वर्ग मील घनत्व (१९५१) | प्रति १,००० पुरुष पीछे स्त्रियां (१९५१) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| भाग 'ड' इत्यादि— | | | | | | | |
| अंदमान और निकोबार द्वीप ... | ३,२१५ | ३०,९७१ | ३३,७६८ | —८.६ | ०.०१ | ९.६ | ६२५ |
| चन्द्रनगर* ... ... ... | ४ | ४९,९०९ | ... | ... | ०.०१ | १२,४७७.३ | ४३५ |
| सिक्किम ... ... ... | २,७४४ | १,३७,७२५ | १,२१,५२० | +१२.५ | ०.०४ | ५०.२ | ९०७ |
| योग ... | ५,९६३ | २,१८,६०५ | १,५५,२८८ | | | | |
| कुल योग ... | ११,७६,८६४ | ३५,६८,७९,३९४ | ३१,४५,६६,३८० | +१२.५† | १००.०० | ३०३.२ | ९४७ |

*अब पश्चिमी बंगाल का भाग है.

†भारत के मध्यम दशवार्षिक वृद्धि की दर निकालते समय चंद्रनगर की जनसंख्या सम्मिलित नहीं की गई.

# जनसंख्या का घनत्व
(प्रति वर्गमील)

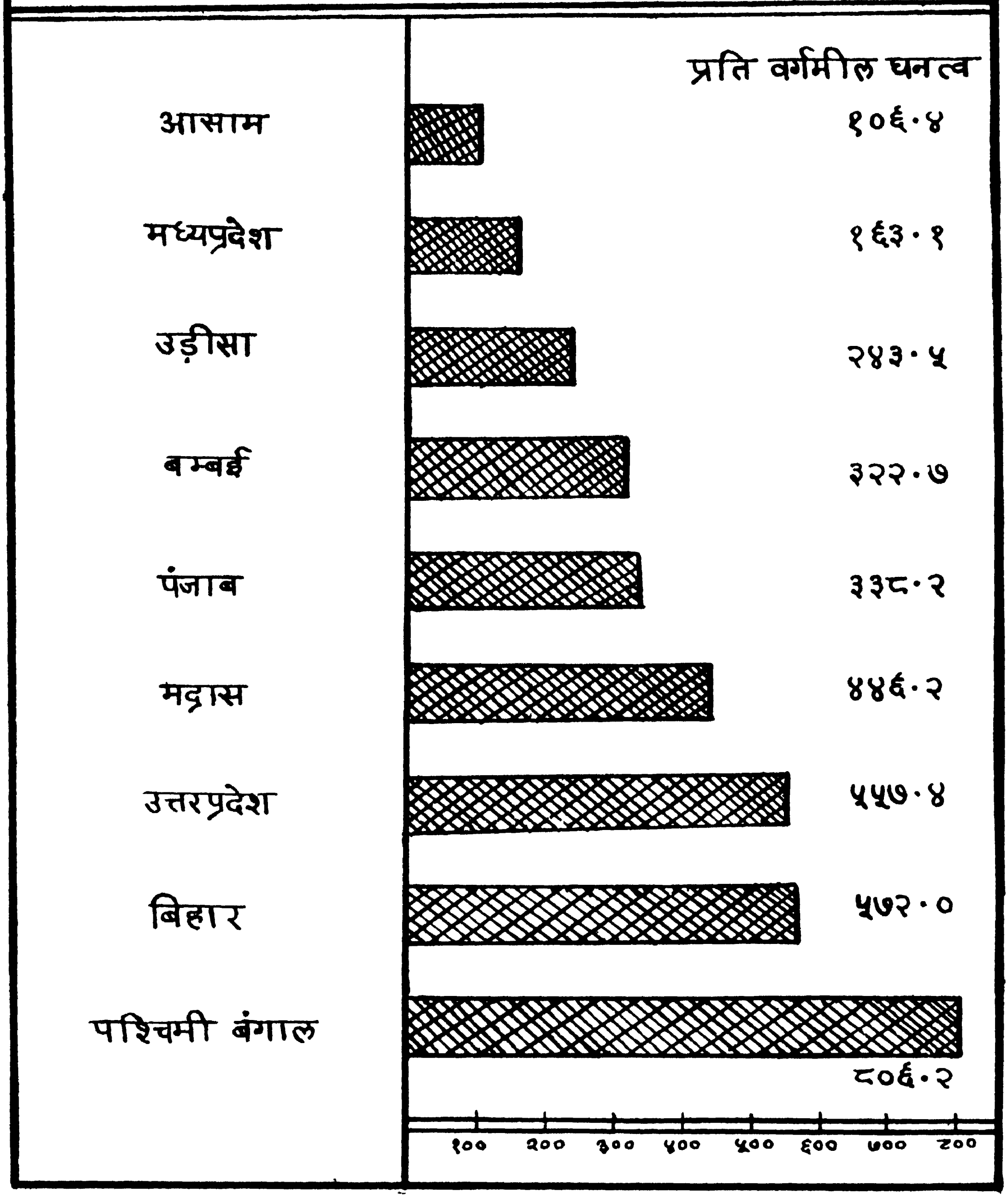

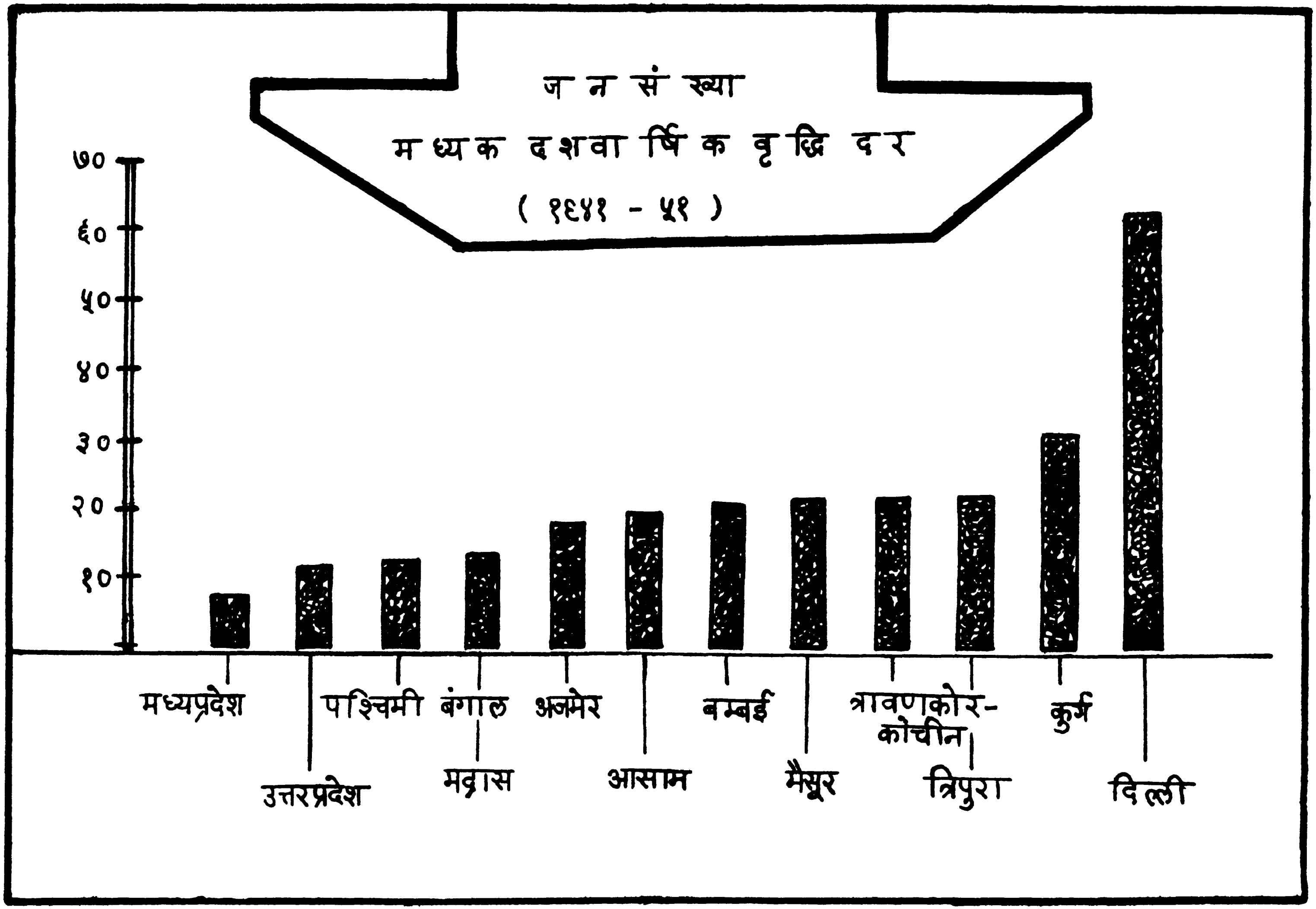
जनसंख्या
मध्यक दशवार्षिक वृद्धि दर
( १९४१ - ५१ )
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
मध्यप्रदेश
उत्तरप्रदेश
पश्चिमी बंगाल
मद्रास
अजमेर
आसाम
बम्बई
मैसूर
त्रावणकोर-कोचीन
त्रिपुरा
कुर्ग
दिल्ली

## जीविका के आधार पर जनसंख्या का वितरण

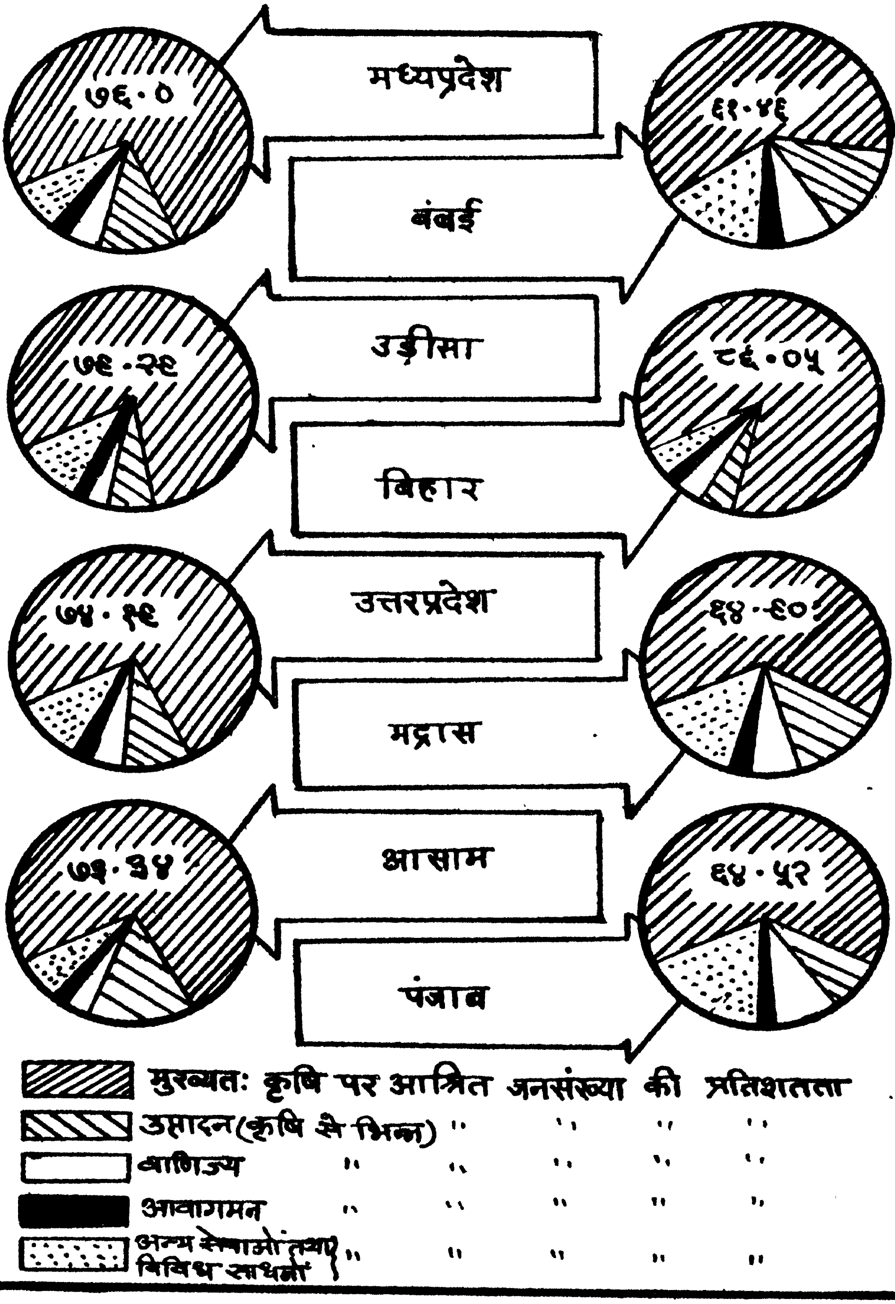

अध्याय २

# जीवन-समंक

**प्र**स्तुत तालिका में भारतवर्ष के 'अ' श्रेणी के राज्यों की जन्म, मृत्यु तथा बाल-मृत्यु-दरों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है. उक्त दरें सन् १९४६--५० की अवधि के तत्संबंधी समकों के औसत-मान हैं. यद्यपि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाने अथवा राज्य-सरकारों द्वारा लोक-स्वास्थ्य-वर्धन के लिये किये गये विभिन्न उपायों से अब उक्त स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया हो, तथापि यह तालिका इस विषय पर विभिन्न राज्यों की जन्म, मृत्यु तथा बाल-मृत्यु-दरों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये उपयोगी समंक प्रस्तुत करती है.

इस तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब में जन्म-दर (प्रति हजार जनसंख्या पीछे ३७) सर्वोच्च है. तत्पश्चात्, मध्यप्रदेश (प्रति हजार जनसंख्या पीछे ३४) और बम्बई (प्रति हजार जनसंख्या पीछे ३३) का क्रम आता है. परन्तु मध्यप्रदेश की मृत्यु-दर (प्रति हजार जीवित जनसंख्या पीछे २८) और बाल-मृत्यु-दर (प्रति हजार जीवित जनसंख्या पीछे २०८) सर्वोच्च है. इसी सिलसिले में उडीसा और बम्बई का क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान आता है. आसाम में सबसे कम जन्म-दर (प्रति-हजार जनसंख्या पीछे १६) और मृत्यु-दर (प्रति हजार जनसंख्या पीछे ९) है. इसी तरह, बिहार में बाल-मृत्यु-दर (प्रति हजार जनसंख्या पीछे ८२) सबसे कम है. मध्यप्रदेश में सर्वोच्च मृत्यु व बाल-मृत्यु-दरों के कारण राज्य में अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य साधनों की तीव्र आवश्यकता भासित होती है.

### औसत जन्म, मृत्यु तथा बाल-मृत्यु-दरें १९४६--१९५०

| राज्य (१) | औसत जन्म-दर (प्रति १,००० जनसंख्या के लिये) (२) | औसत मृत्यु-दर (प्रति १,००० जनसंख्या के लिये) (३) | औसत बाल-मृत्यु-दर (प्रति १,००० जीवित जन्मों के लिये) (४) |
|---|---|---|---|
| आसाम ... | १६ | ९ | १०१ |
| बिहार ... | १९ | १४ | ८२ |
| पश्चिमी बंगाल | २१ | १७ | १३७ |
| उतर प्रदेश ... | २३ | १५ | १०७ |
| उडीसा ... | २८ | २४ | १७६ |
| मद्रास ... | ३१ | १९ | १३४ |
| बम्बई ... | ३३ | २२ | १४७ |
| मध्यप्रदेश ... | ३४ | २८ | २०८ |
| पंजाब ... | ३७ | १९ | १४२ |

प्राप्ति स्थान: "भारतवर्ष की स्वास्थ्य मानचित्रावली", १९५३, महासंचालक, स्वास्थ्य सेवा, द्वारा प्रकाशित (स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार).

# औसत जन्म, मृत्यु तथा बाल-मृत्यु दरें
(१९४६—५०)

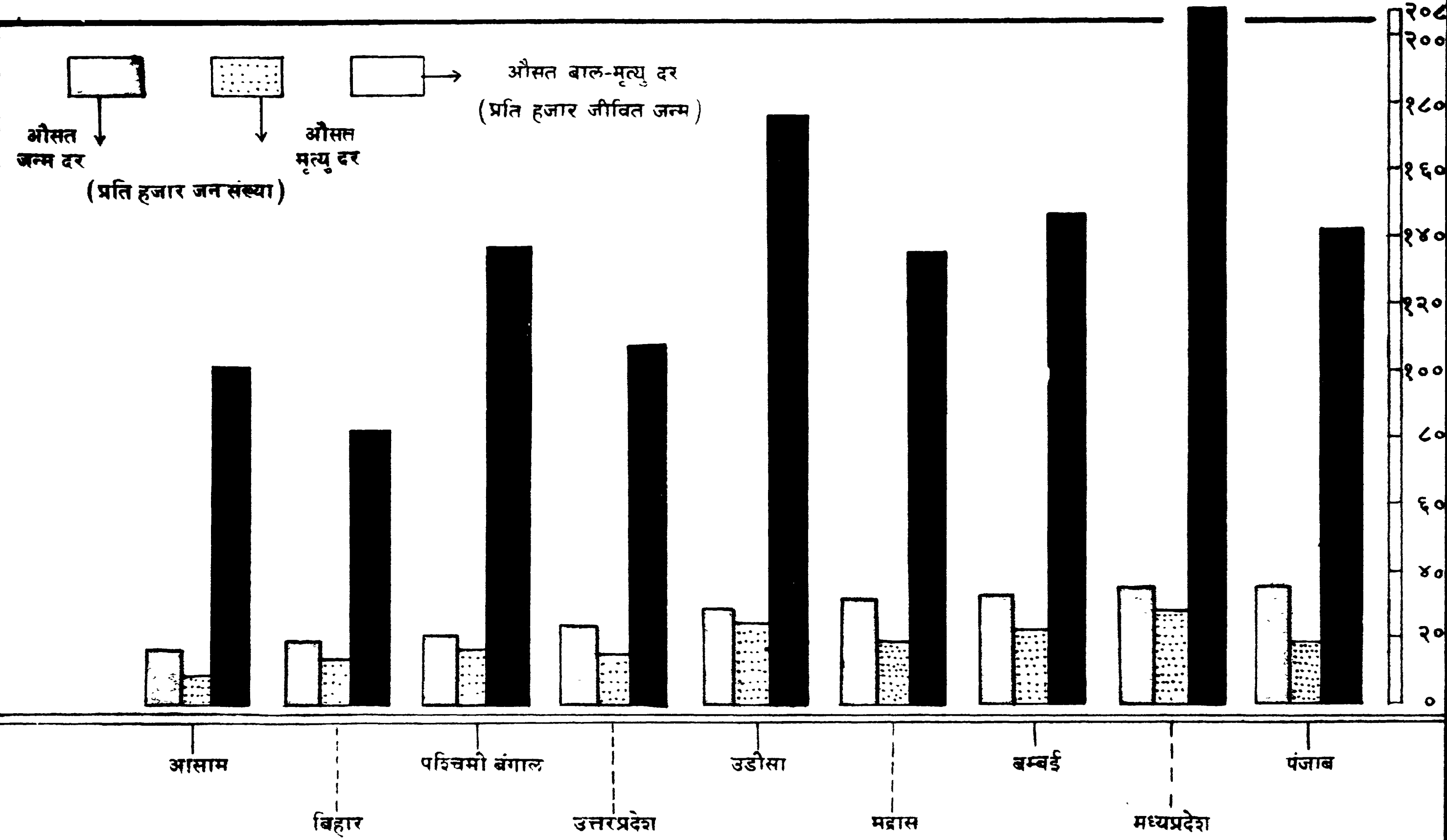

अध्याय २

# कृषि, वनोद्योग तथा पशुधन

## कृषि

**भारतवर्ष** में भूमि ही सबसे मूल्यवान सम्पत्ति है और कृषि प्रमुख व्यवसाय. यहां लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या की जीविका कृषि पर आश्रित है और ५१ प्रतिशत से भी अधिक राष्ट्रीय आय कृषि (जिसमें पशु-पालन, वनोद्योग और मत्स्य-पालन भी सम्मिलित हैं) से होती है. समस्त संसार में यह देश लाख, मूंगफली और चाय का सबसे बडा उत्पादक है. चांवल, जूट, तम्बाखू और कपास के उत्पादन में उसका द्वितीय स्थान है. सन् १९५३-५४ में यहां कुल २,८८० लाख एकड भूमि बोई गई थी जिसमें खाद्य-फसलों तथा वाणिज्योपयोगी फसलों का क्षेत्रफल क्रमशः ८२ तथा १८ प्रतिशत था. प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है. परिशोधित योजना की २,२४८.९ करोड रुपये की निधि में से कृषि, सिंचाई व विद्युत् शक्ति-उत्पादन के लिये ४४ प्रतिशत निधि निर्धारित की गई है. योजना आयोग के अनुसार कृषि-विकास पर सर्वाधिक ध्यान देना इसलिये जरूरी है कि खाद्यान्न और उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चे माल के उत्पादन में आपेक्षित वृद्धि किए बिना अन्य क्षेत्रों का वांछनीय विकास किया जाना सम्भव नहीं है. देश के विकास के लिये अन्न और कच्चा माल बहुत जरूरी होता है. अतः न केवल तत्संबंधी आत्मनिर्भरता ही जरूरी है, वरन् इन पदार्थों का अतिरिक्त उत्पादन भी नितांत आवश्यक है.

योजना के प्रथम तीन वर्षों में कृषि-उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि हुई है. आधार-वर्ष १९४९-५० की तुलना में कृषि-उत्पादन के देशनांक सन् १९५०-५१ में ९५.६ से बढकर सन् १९५३-५४ में ११३.५ हो गये थे. इसी अवधि में खाद्यान्न-उत्पादन ११३.७ लाख टन (फसल-उत्पादन के चतुर्थ अनुमान के अनुसार) बढ गया था; जबकि योजना का लक्ष्य केवल ७६ लाख टन खाद्यान्न-उत्पादन करना था. अतः खाद्यान्न के क्षेत्र में इस देश ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है. अन्नोत्पादन में आशातीत वृद्धि होने से कृषि-पदार्थों के मूल्य काफी घट गये हैं और विभिन्न खाद्यान्नों पर से नियंत्रण उठा लिये गये हैं. कृषि-उत्पादन की उपरोक्त वृद्धि के अनेक कारण हैं, जिनमें से योजना के विभिन्न विकास कार्यों की आंशिक पूर्ति, अधिक-अन्न-उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत गहन-खेती (Intensive cultivation) का प्रयोग, छोटे सिंचाई के कामों का विकास, पडती भूमि का कृष्यकरण (Reclamation), जापानी पद्धति से धान की खेती करना और कृषि-साख की सुविधाएं प्रदान की जाने जैसे कृषि-विकास-कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं.

अन्य राज्यों की तुलना में यद्यपि मध्यप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तथापि बोये गये भू-क्षेत्र की दृष्टि से उसका चतुर्थ स्थान आता है. सन् १९५१ में मध्यप्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र २,८४,८७,१४९ एकड था तथा बम्बई, उत्तरप्रदेश और मद्रास में क्रमशः ४,१०,८१,५००; ३,९२,९९,८०५ और ३,१०,५८,४६९ एकड. अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्यप्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में बोये गये क्षेत्र की प्रतिशतता संतोषजनक नहीं है. सन् १९५१ में इस राज्य की उक्त प्रतिशतता केवल ३४.३ थी ; जबकि पंजाब, पेप्सू,

सौराष्ट्र, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, और उत्तरप्रदेश में यही प्रतिशतता क्रमशः ६६.७, ६४.६, ६०.५, ५८.४, ५८.० और ५४.६ थी. मध्यप्रदेश की तत्संबंधी प्रतिशतता की कमी का प्रमुख कारण यह है कि इस राज्य का लगभग ४८ प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है और वह सरलता से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता.

कुल बोये गये क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल की प्रतिशतता भी मध्यप्रदेश में (६.०) कम है. यही प्रतिशतता पेप्सू, पंजाब, जम्मू व काश्मीर, त्रावणकोर-कोचीन, मद्रास और उत्तरप्रदेश में क्रमशः ४४.८, ४०.२, ३४.८, ३२.८, ३१.३ और २९.१ है. कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जिनमें उक्त प्रतिशतता मध्यप्रदेश से भी कम है. ऐसे राज्यों में बम्बई (४.३), सौराष्ट्र (५.३) और मध्य-भारत (४.३) आदि राज्य उल्लेखनीय हैं. मध्यप्रदेश में सिंचाई साधनों की कमी का कारण यहां जल-श्रोतों की न्यूनता है ; तथापि अब स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है.

कुल बोये गये क्षेत्रफल की तुलना में दो-फसली क्षेत्रफल (Double cropped area) की प्रतिशतता बिहार में (२७.५) सर्वाधिक है. तत्पश्चात् क्रमशः उत्तरप्रदेश (२४.२), पंजाब (१९.८), राजस्थान (१६.९), पेप्सू (१६.४), मद्रास (१५.८), आसाम (१५.६) और उडीसा (१५.३) का क्रम आता है. मध्यप्रदेश की यही प्रतिशतता १२.२ है ; जबकि पश्चिमी बंगाल तथा बम्बई की क्रमशः ११.८ व ३.१. कृषि-उत्पादन वृद्धि के लिये दो-फसली खेती बहुत सहायक होती है, परन्तु प्रायः समस्त भारतवर्ष में कुल बोये गये क्षेत्रफल की तुलना में इसकी प्रतिशतता बहुत कम है. गहन-खेती द्वारा इस कमी की पूर्ति की जा सकती है.

भारतवर्ष में खेतों का औसत आकार लगभग ५ एकड है ; जबकि यही आकार अन्य राज्यों की तुलना में त्रावणकोर-कोचीन में सब से कम (२.४ एकड) और सौराष्ट्र में सबसे अधिक (२९.६ एकड) है. उत्पादक-कृषि के लिये खेतों का अन्तर्विभाजन (Sub-divisicn) एवं अपखंडन (Fragmentation) बहुत बाधक होता है. इनसे कृषि-उत्पादन-व्यय बढ जाता है और श्रम, पशुओं और अन्य तत्संबंधी साधनों का पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाता. मध्यप्रदेश में खेतों का औसत आकार १३.९ एकड है. अतः अन्य बहुत से राज्यों की तुलना में मध्य-प्रदेश में यह समस्या उतनी विकट नहीं है.

खाद्यान्न-क्षेत्र में प्रादेशिक परिवर्तन (१९४९-५० से १९५३-५४ तक) दर्शाने वाली तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि सन् १९४९-५० की अपेक्षा सन् १९५३-५४ में बिहार, त्रावणकोर-कोचीन और बम्बई को छोडकर अन्य सभी राज्यों में खाद्यान्न-क्षेत्र में वृद्धि हुई है. इसी तरह खाद्यान्न-उत्पादन की प्रवृत्तियां दर्शाने वाली तालिका से स्पष्ट होता है कि सन् १९४९-५० की अपेक्षा सन् १९५३-५४ में बिहार, आसाम और त्रावणकोर-कोचीन को छोडकर अन्य सभी राज्यों में खाद्यान्न-उत्पादन में वृद्धि हुई है. खाद्यान्न-क्षेत्र की प्रतिशतता वृद्धि राजस्थान में (६१.३६) सर्वाधिक थी. तत्पश्चात्, मैसूर (२६.२१), हैदराबाद (२४.४४), सौराष्ट्र (१७.५७) और पेप्सू (१३.५९) का क्रम था. इसी प्रकार खाद्यान्न उत्पादन की प्रतिशतता वृद्धि भी राजस्थान में (२२०.६६) सर्वाधिक थी, और फिर हैदराबाद (५८.७५), पेप्सू (५१.९४), पश्चिमी बंगाल (४१.५७) तथा पंजाब (३५.४९) का क्रम था. मध्यप्रदेश में खाद्यान्न-क्षेत्र और खाद्यान्न-उत्पादन वृद्धि की प्रतिशतता क्रमशः १.७४ और २०.४ थी.

यहां विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र और उनके उत्पादन का उल्लेख कर देना अनुचित न होगा. सन् १९५३-५४ में चांवल के अन्तर्गत बोया गया क्षेत्र (हजार एकडों में) बिहार में (१३,०१६) सर्वाधिक था. तत्पश्चात्, क्रमशः पश्चिमी बंगाल (१०,५४७), उडीसा (९,७८६), मध्यप्रदेश (९,०६५), उत्तरप्रदेश (९,००३), मद्रास (६,३७८) तथा अन्य राज्यों का क्रम था. इसी वर्ष चांवल का उत्पादन (हजार टनों में) पश्चिमी बंगाल में (५,२२४) सर्वाधिक था. तत्पश्चात्, बिहार (४,२०२), मद्रास (२,९७५), मध्यप्रदेश (२,६६३), उडीसा (२,३४०) और उत्तरप्रदेश (२,२४६) का क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां स्थान था.

गेहूं के क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से उत्तरप्रदेश का स्थान पहिला व पंजाब का दूसरा है. सन् १९५३-५४ में उत्तरप्रदेश में गेहूं का क्षेत्र व उत्पादन क्रमशः ९२,३१,००० एकड व ३१,०६,००० टन था तथा पंजाब में क्रमशः ३०,५४,००० एकड व १२,८५,००० टन. गेहूं-क्षेत्र की दृष्टि से मध्यप्रदेश का तृतीय स्थान (२७,६६,००० एकड) व उत्पादन (५,८५,००० टन) की दृष्टि से चतुर्थ स्थान था. गेहूं के क्षेत्र में बम्बई (१९,९५,००० एकड), राजस्थान (१८,७४,००० एकड) व मध्यभारत (१६,८२,००० एकड) का क्रमशः चौथा, पांचवां व छठवां क्रम था. उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान (६,४४,००० टन), पेप्सू (४,३६,००० टन) और बिहार (४,०२,००० टन) —स्थान क्रमशः तीसरा, पांचवां और छठवां था.

कपास के क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से बम्बई का स्थान सर्वप्रथम है. सन् १९५३-५४ में इस राज्य का कपास-क्षेत्र (हजार एकडों में) ३,८३६ व उत्पादन (हजार गांठों में) १,०९२ था. इस संबंध में मध्यप्रदेश (३६,५७,००० एकड व ६,४७,००० गांठें) का स्थान द्वितीय व हैदराबाद (३२,८१,००० एकड व ३,८१,००० गांठें) का स्थान तृतीय था. कपास-क्षेत्र की दृष्टि से चौथा व पांचवां स्थान क्रमशः मध्यभारत (१५,८८,००० एकड) और सौराष्ट्र (१०,५३,००० एकड) को प्राप्त था और इसी तरह कपास-उत्पादन में क्रमशः पंजाब (३,६५,००० गांठें) व मध्यभारत (३,३६,००० गांठें) को.

विभिन्न राज्यों की उपरोक्त मुख्य फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र व उनके उत्पादन की संक्षिप्त समीक्षा से स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र व उत्पादन के अतिरिक्त प्रति-एकड उत्पादन में भी काफी विषमता है. जहां तक चांवल, गेहूं और कपास के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल का संबंध है, मध्यप्रदेश की स्थिति काफी संतोषजनक है; परन्तु उनके उत्पादन की दृष्टि से स्थिति उतनी संतोषप्रद नहीं कही जा सकती.

---

## वनोद्योग

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में वनों का प्रमुख स्थान है. वे इमारती व जलाऊ लकडी, बांस, लाख, रंग, तथा उद्योगोपयोगी घास सदृश बहुमूल्य वनोत्पत्ति के स्त्रोत हैं राष्ट्र के औद्योगिक विकास में सहायक होने के साथ ही भूमि के कटाव को रोकने व उसकी उर्वरा-शक्ति बढाने में भी वन बहुत सहायक होते हैं. इतना ही नहीं, वे फसलों की वांछनीय वृद्धि के लिये अनुकूल जलवायु का निर्माण करने में भी सहायक होते हैं, तथा पशुओं के लिये चारे की पूर्ति करते हैं. सन् १९५०-५१ में भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का २१.६३ प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित था.

मध्यप्रदेश के लिये वनों का अपना विशिष्ट महत्व है. समस्त भारतवर्ष में हमारे राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र (६६,९६२ वर्ग मील) सर्वाधिक है. तत्पश्चात्, आसाम (२८,८९४ वर्ग मील), उडीसा (२०,६१७ वर्ग मील) बम्बई (१९,९०५ वर्ग मील) व अन्य राज्यों का क्रम आता है. कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशतता-मान की दृष्टि से मध्यप्रदेश (५१.४०) का चतुर्थ स्थान है; जबकि त्रिपुरा (८५.७६), अन्दमान-निकोबार द्वीप (७७.७६) तथा कुर्ग (७२.४५) का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है.

वनोत्पत्ति का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि समस्त भारतवर्ष में मध्यप्रदेश का इमारती व जलाऊ लकडी का उत्पादन (१६,०१,३१,००० घन फुट) सर्वाधिक है. तत्पश्चात्, बम्बई (८,२३,४२,००० घन फुट), उत्तरप्रदेश (६,७४,५८,००० घन फुट), पश्चिमी बंगाल (३,६४,४२,००० घन फुट) तथा अन्य राज्यों का क्रम आता है. इमारती व जलाऊ लकडी की उत्पत्ति के मूल्य की दृष्टि से बम्बई (४,३६,५०,००० रु.) का प्रथम स्थान आता है; जबकि मध्यप्रदेश (२,९१,०७,००० रु.), उत्तरप्रदेश (२,७३,५७,००० रु.), तथा त्रावणकोर–कोचीन (१,४४,६२,००० रु.) क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करते हैं. उपरोक्त समंकों से स्पष्ट हो जाता है कि इमारती व

जलाऊ लकडी के उत्पादन की मात्रा तथा उसके मूल्य में सामंजस्य नहीं है, अर्थात् वनोत्पत्ति के मूल्य-निर्धारण में उसके गुण आदि का भी विशेष प्रभाव पडता है.

गौण-वनोत्पत्ति के उत्पादन में भी मध्यप्रदेश का स्थान सर्वप्रथम है. सन् १९५०-५१ में ऐसी उत्पत्ति का मूल्य १,७२,६९,००० रु. आंका गया था. अतः उपरोक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि वन मध्य-प्रदेश की अमूल्य सम्पत्ति हैं. परन्तु अभी तक उनका पूर्णरूपेण समुपयोजन नहीं किया जा सका है. इनके समुचित समुपयोजन एवं उपयोग से वनोत्पत्ति पर आधारित अनेक उद्योगों का विकास हो सकता है, कई लाख व्यक्तियों को काम मिल सकता है, और साथही राज्य की यथेष्ट राजस्व-वृद्धि हो सकती है. अतः वन-विकास के लिये राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये.

---

## पशु-धन

रूस को छोडकर समस्त संसार के कुल पशु-धन का लगभग एक-सप्तांश पशु-धन भारतवर्ष में ही है. सन् १९५१ की पशुगणना के अनुसार भारतवर्ष में कुल २,९२२.२ लाख पशु ह, जिनमें से १,५५० लाख गोधन, ४३३.३ लाख भैंस, लगभग ३९० लाख भेडें और ४७० लाख बकरे व बकरियां हैं. इस देश में कृषि-कार्यों के लिये बैल ही गामक-शक्ति (Motive power) के प्रमुख साधन हैं. देश की करोडों शाकाहारी जनसंख्या के लिये दूध और दूध स बने हुए विभिन्न पदार्थ भी इन्हीं पशुओं से उपलब्ध होते हैं. राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में पशु-धन का महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि पशुओं से देश को प्रतिवर्ष लगभग १,००० करोड रु. की सकल (Gross) आय होती है. इस अंक में कृषि व आवा-गमन कार्यों में लगी हुई पशु-शक्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं है.* कुल पशु-संख्या में से लगभग १० प्रतिशत पशु अयोग्य, अथवा अनुत्पादक (Un-productive) हैं. दूषित नस्ल और अपर्याप्त पोषाहार (Nourishment) ही भारतीय पशुओं की दीन दशा के प्रमुख कारण हैं. पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पशु-संवर्धन के लिये अनेक विकास योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें से 'आदर्श ग्राम' योजना, गोसदनों की स्थापना, रिन्डरपेस्ट निरो-धात्मक आन्दोलन और अधिक पशु-चिकित्सालयों की स्थापना संबंधी योजनायें उल्लेखनीय हैं.

देश के 'अ' और 'ब' श्रेणियों के राज्यो में उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक पशु (२,३५,१३,०००) हैं. तत्पश्चात् अवि-भाजित मद्रास (१,९४,१७,०००), बिहार (१,५२,९७,०००), मध्यप्रदेश (१,४८,५९,०००), बम्बई (१,१९,१५,०००), राजस्थान (१,०४,५६,०००) तथा अन्य राज्यों का क्रम आता है भैंसों की संख्या भी उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक (९२,५१,०००) है. तदनंतर अविभाजित मद्रास (७८,६६,०००), बम्बई (४१,६२,०००), बिहार (३३,१६,०००), राजस्थान (२९,५५,०००), मध्य-प्रदेश (२६,००,०००) आदि राज्यों का क्रम आता है. भेडों तथा बकरे व बकरियों की संख्या में मद्रास (अवि-भाजित) का स्थान सर्वप्रथम है. इस राज्य में १,५१,६१,००० भेडें और ७४,२५,००० बकरे व बकरियां हैं. तत्पश्चात् भेडों की संख्या राजस्थान में ५१,०८,०००, हैदराबाद में ४३,००,०००, मैसूर में २७,०९,००० और बम्बई में २५,१५,००० है. बकरे व बकरियों की संख्या की दृष्टि से बिहार (५९,४१,०००), राजस्थान (५३,९५,०००), उत्तरप्रदेश (५२,२४,०००) और बम्बई (४३,१२,०००) का क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां स्थान है. मध्यप्रदेश में भेडों और बकरे व बकरियों की संख्या क्रमशः ३,३०,००० और २३,००,००० है.

---

*प्रथम पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ २७३.

## भूमि का उपयोग और जोते हुए क्षेत्र

| राज्य | कुल बोया गया क्षेत्रफल (एकड) | कुल क्षेत्रफल में बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत | बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत | | जोते गये खेतों का औसत आकार (एकड) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सिंचित क्षेत्रफल | दोफसली क्षेत्रफल | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ३९,२९९,८०५ | ५४.६ | २९.१ | २४.२ | ५.३ |
| आसाम ... ... | ५,२६१,०३९ | १५.८ | २२.३ | १५.६ | ५.३ |
| बिहार ... ... | २२,८४७,५४९ | ५१.० | २४.५ | २७.५ | ४.१ |
| उडीसा ... ... | ६,५८०,५२५ | ३२.० | २५.४ | १५.३ | ५.६ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | १०,४५१,७५६ | ५८.० | १७.७ | ११.८ | ४.७ |
| मद्रास ... ... | ३१,०५८,४६९ | ३८.४ | ३१.३ | १५.८ | ४.५ |
| मैसूर ... ... | ६,३६८,३९८ | ३६.६ | १७.९ | ४.५ | ७.२ |
| त्रावनकोर-कोचीन ... | २,८२४,९५७ | ५३.१ | ३२.८ | ७.३ | २.४ |
| बम्बई ... ... | ४१,०८१,५०० | ५८.४ | ४.३ | ३.१ | ९.७ |
| सौराष्ट्र ... ... | ३,५३९,८५९ | ६०.५ | ५.३ | ४.२ | २९.६ |
| मध्यप्रदेश ... ... | २८,४८७,१४९ | ३४.३ | ६.० | १२.२ | १३.९ |
| मध्यभारत ... ... | १०,७५२,२७० | ३९,० | ४.३ | ६.४ | १२.७ |
| हैदराबाद ... ... | २४,०६४,१०८ | ४५.४ | ६.२ | ०.६ | १४.१ |
| राजस्थान ... ... | ८,२७३,१४९ | ४०.३ | १७.५ | १६.९ | १६.९ |
| पंजाब ... ... | १२,१४९,४६४ | ६६.७ | ४०.२ | १९.८ | ११.८ |
| पेप्सू ... ... ... | ४,११४,७५७ | ६४.६ | ४४.८ | १६.४ | १५.४ |
| जम्मू और काश्मीर ... | २,२५७,७९५ | २८.२ | ३४.८ | १३.१ | ३.८ |

प्राप्ति स्थान: स्कन्ध (२) से (५)—भारतवर्ष की संगणना, पत्र संख्या २, १९५२. स्कन्ध (६)—कृषि श्रम जांच (१९५०-५१).

## खाद्यान्न-क्षेत्र की प्रवृत्तियां—१९४९—५४

(हजार एकडों में)

| राज्य | १९४९-५० | १९५०-५१ | १९५१-५२ | १९५२-५३ | १९५३-५४ | बढती अथवा घटती (+अथवा—) | आधार वर्ष १९४९-५० की तुलना में अतिरिक्त क्षेत्रफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| उत्तरप्रदेश ... | ४२,३१० | ४२,३१४ | ४१,४२२ | ४२,०८३ | ४३,१७६ | +८६६ | +२.०५ |
| बिहार ... | २७,३४७ | २४,३०७ | २४,००५ | २४,२३३ | २२,८५७ | —४,४९० | —१६.४२ |
| उडीसा ... | १०,५२५ | १०,२१७ | १०,८३२ | १०,९८७ | ११,२१७ | +६९२ | +६.५७ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ११,४७६ | ११,४५४ | ११,३२६ | १२,०९२ | १२,६५८ | +१,१८२ | +१०.३० |
| आसाम ... | ४,३५२ | ४,२४४ | ४,३५५ | ४,४५० | ४,३९३ | +४१ | +०.९४ |
| मद्रास (अविभाजित) | २४,८०४ | २३,४५९ | २४,८९८ | २५,१३८ | २६,१४४ | +१,३४० | +५.४० |
| मैसूर ... | ४,५१० | ५,६६९ | ५,२३७ | ५,३०७ | ५,६९२ | +१,१८२ | +२६.२१ |
| त्रावनकोर-कोचीन | १,०९७ | १,०९७ | ८४० | ८४० | ८४० | —२५७ | —२३.४३ |
| बम्बई ... | २९,५९४ | २६,९१८ | २७,१३८ | २७,७७५ | २९,५६५ | —२९ | —०.१० |
| सौराष्ट्र ... | ४,२०६ | ४,१०२ | ४,१९२ | ४,९१४ | ४,९४५ | +७३९ | +१७.५७ |
| मध्यप्रदेश ... | २५,०१५ | २४,८६४ | २५,२७१ | २५,३९९ | २५,४५१ | +४३६ | +१.७४ |
| मध्यभारत ... | ८,७४० | ८,५०९ | ८,१२७ | ८,८२८ | ८,८१७ | +७७ | +०.८८ |
| हैदराबाद ... | १६,१९३ | १६,२३१ | १७,२४९ | १८,६१७ | २०,१५० | +३,९५७ | +२४.४४ |
| राजस्थान ... | ११,८४७ | १३,७२१ | १२,५७८ | १७,०५७ | १९,११७ | +७,२७० | +६१.३६ |
| पंजाब ... | १०,९२५ | १०,८०९ | ९,७८५ | १०,३३२ | ११,०१८ | +९३ | +०.८५ |
| पेप्सू ... | ३,३९३ | ३,५७७ | ३,१७९ | ३,५१० | ३,८५४ | +४६१ | +१३.५९ |

प्राप्ति स्थान : योजना आयोग (केन्द्रीय शासन), पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४.

## खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्तियां—१९४९—५४

(हजार टनों में)

| राज्य | १९४९-५० | १९५०-५१ | १९५१-५२ | १९५२-५३ | १९५३-५४ | बढती अथवा घटती (+अथवा—) | आधार वर्ष १९४९-५० की तुलना में अतिरिक्त उत्पादन की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| उत्तरप्रदेश ... | ११,१५७ | ११,६११ | १०,७९२ | ११,९४२ | १२,०६९ | +९१२ | ८.१७ |
| बिहार ... | ६,२६३ | ४,२२७ | ४,८५० | ५,८११ | ६,१३८ | —१२५ | —२.० |
| उडीसा ... | २,१८४ | २,१३३ | २,४२३ | २,५२२ | २,६३५ | +४५१ | २०.६५ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ४,०७० | ४,३५४ | ३,९८१ | ४,४४७ | ५,७६२ | +१,६९२ | ४१.५७ |
| आसाम ... | १,७८९ | १,४४७ | १,५३७ | १,६८८ | १,६७३ | —११६ | —६.४८ |
| मद्रास ... | ७,१०२ | ६,६७० | ६,९६८ | ६,९९९ | ८,७९४ | +१,६९२ | २३.८२ |
| मैसूर ... | ९६५ | १,०३० | १,००१ | ८५५ | १,२३९ | +२७४ | २८.३९ |
| त्रावनकोर-कोचीन | ४०७ | ४०५ | २७८ | २४१ | २७८ | —१२९ | —३१.६९ |
| बम्बई ... | ५,२३७ | ४,१५३ | ३,७५५ | ३,७०६ | ५,४७५ | +२३८ | ४.५४ |
| सौराष्ट्र ... | ३२८ | २८८ | १७५ | ३१४ | ४०४ | +७६ | २३.१७ |
| मध्यप्रदेश ... | ५,०९९ | ४,२६७ | ६,०६८ | ५,६८७ | ६,१३९ | +१,०४० | २०.४ |
| मध्यभारत ... | १,२४४ | १,१३३ | ८२१ | १,२८९ | १,३९५ | +१५१ | १२.१४ |
| हैदराबाद ... | १,९४९ | १,८२८ | २,११७ | ३,००७ | ३,०९४ | +१,१४५ | ५८.७५ |
| राजस्थान ... | १,०८९ | १,५१३ | १,२४२ | २,६५९ | ३,४९२ | +२,४३० | २२०.६६ |
| पंजाब ... | २,६८८ | २,५३० | २,५२० | ३,४३० | ३,६४२ | +९५४ | ३५.४९ |
| पेप्सू ... | ७४९ | ७२६ | ७९५ | ९४४ | १,१३८ | +३८९ | ५१.९४ |

प्राप्ति स्थान: योजना आयोग (केन्द्रीय शासन), पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४.

## प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन, १९५३-५४

(अंतिम प्राक्कलन)

| राज्य | चांवल | | गेहूं | | कपास | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल (हजार एकडों में) | उत्पादन (हजार टनों में) | क्षेत्रफल (हजार एकडों में) | उत्पादन (हजार टनों में) | क्षेत्रफल (हजार एकडों में) | उत्पादन (हजार गांठों में) |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| आन्ध्र ... ... ... | ४,५०० | २,१३५ | ७ | १ | ६५९ | ९७ |
| आसाम ... ... ... | ४,१८० | १,६३३ | ६ | २ | ३८ | १९ |
| बिहार ... ... ... | १३,०१६ | ४,२०२ | १,६०१ | ४०२ (अ) | १२ | ४ |
| बम्बई ... ... ... | ३,१९७ | १,३०१ | १,९९५ | ३५८ (अ) | ३,८३६ | १,०९२ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | ९,०६५ | २,६६३ (अ) | २,७६६ | ५८५ (अ) | ३,६५७ | ६४७ |
| मद्रास ... ... ... | ६,३७८ | २,९७५ | ४ | १ | ८४९ | २६२ |
| उडीसा ... ... ... | ९,७८६ | २,३४० | १२ | ३ | २६ | २ |
| पंजाब ... ... ... | ५७९ | २३४ (अ) | ३,०५४ | १,२८५ (अ) | ५८८ | ३६५ |
| उत्तरप्रदेश ... .. ... | ९,००३ | २,२४६ | ९,२३१ | ३,१०६ (अ) | १८२ | ५३ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... ... | १०,५४७ | ५,२२४ | १३३ | ३८ (अ) | १ | (ड) |
| हैदराबाद ... ... ... | १,७४३ | ५८१ | ५८४ | ६८ (अ) | ३,२८१ | ३८१ |
| जम्मू और काश्मीर ... ... | ४९७ (ब) | २०५ (ब) | २३० | ६२ | ... | ... |
| मध्यभारत ... ... ... | २०० | ४८ | १,६८२ | २५३ | १,५८८ | ३३६ |
| मैसूर ... ... ... | ८५७ | ४३६ | ४ | १ | ३९४ | ७५ |
| पेप्सू ... ... ... | ५८ | १७ | ९६२ | ४३६ (अ) | ३०४ | १८० |
| राजस्थान ... ... ... | १६९ | ८१ | १,८७४ | ६४४ (अ) | ३९५ | १७७ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | ७९ | ३१ | २२४ | ७६ | १,०५३ | २०२ |
| त्रावनकोर-कोचीन ... ... | ८०० | २७३ | (स) | (ड) | १५ (इ) | ६ (इ) |
| अन्य राज्य ... ... ... | १,९९२ | ४५४ | १,७२९ | ४७१ | १४९ | ३७ |
| योग ... | ७६,६४६ | २७,०७९ | २६,०९८ | ७,७९२ | १७,०२७ | ३,९३५ |

(अ) समसम्भाविक न्यादर्श फसल-कटाई सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित. (ब) चालू वर्ष की सामग्री के अभाव में पिछले वर्षों के समंकों का पुनर्लेखन.
(स) ५०० एकडों से कम. (ड) ५०० टनों अथवा गांठों से कम. (इ) कोचीन क्षेत्र के केवल त्रिचुर जिले से सम्बन्धित.

**टिप्पणी.**—जम्मू और काश्मीर से कपास प्राक्कलन प्राप्त नहीं होते.

प्राप्ति स्थान : "भारत में कृषि परिस्थिति"—अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर १९५४, आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार, अन्न और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रकाशित.

# प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल

(१९५३-१९५४)

(अंतिम प्राक्कलन)

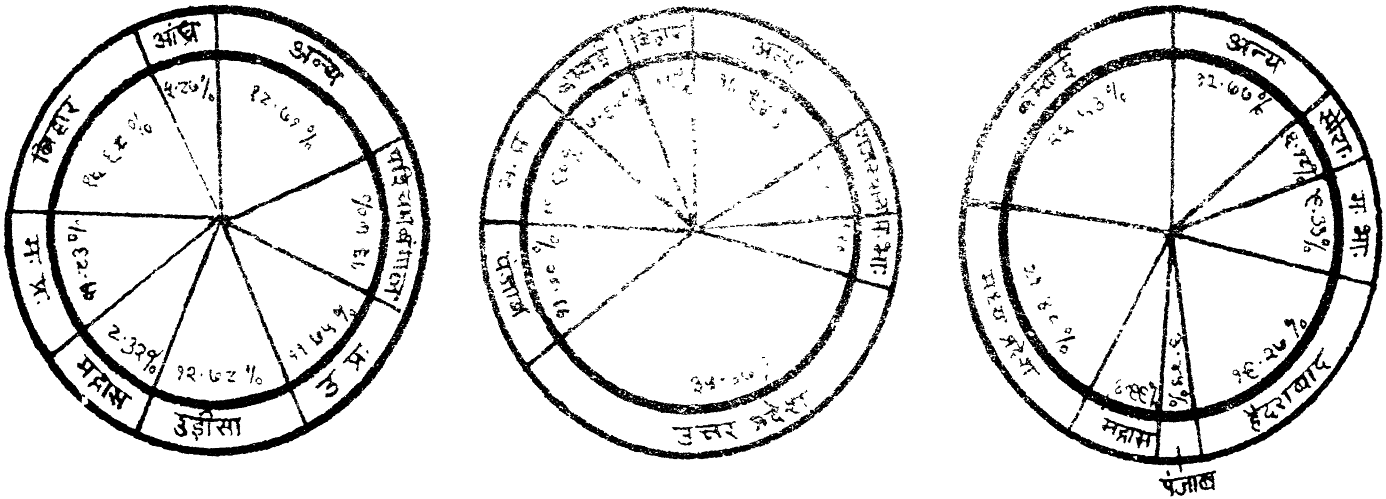


चांवल

गेहूँ

कपास

# प्रमुख फसलों का उत्पादन (१९५३-५४)

(अंतिम प्राक्कलन)

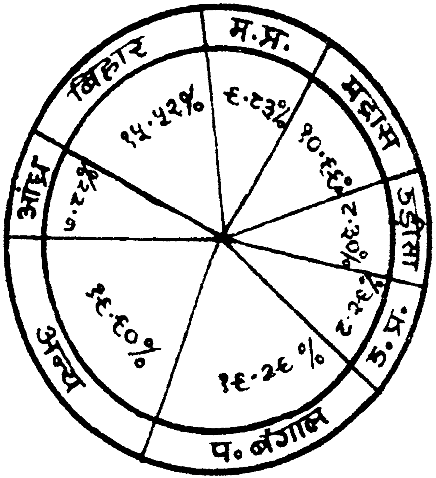


चांवल

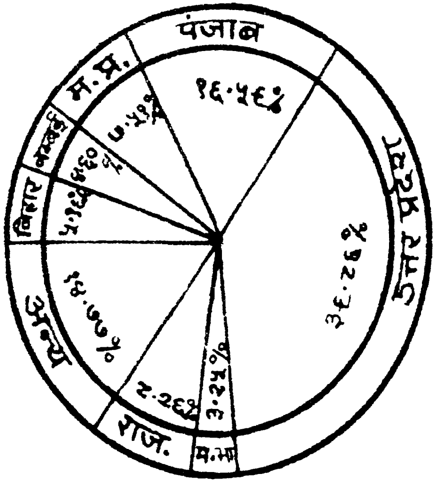


गेहूँ

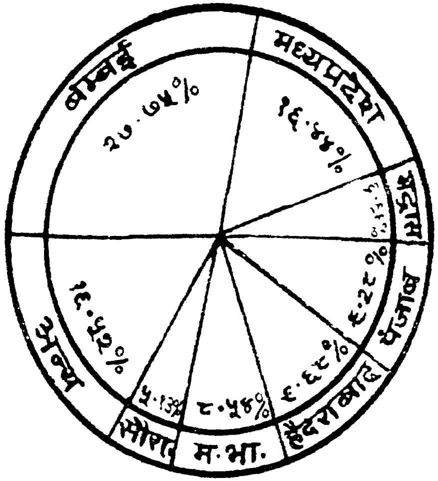


कपास

## वनाच्छादित क्षेत्र और वनोत्पत्ति, १९५०-५१

| राज्य | कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल | कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशतता | वनोत्पत्ति — इमारती लकडी और ईंधन — परिमाण (हजार घन फुटों में) | वनोत्पत्ति — इमारती लकडी और ईंधन — मूल्य (हजार रुपयों में) | वनोत्पत्ति — गौण उत्पत्ति का मूल्य (हजार रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| आन्ध्र ... ... ... | २८,८९४ | ३३.९९ | १३,३४३ | ३,६६८(अ) | १,५८५ |
| बिहार ... ... ... | १५,०४० | २१.३८ | १२,८६७ | ५,४०१ | १,३०४ |
| बम्बई ... ... ... | १९,९०५ | १७.९२ | ८२,३४२ | ४३,६५० | ६,१९९ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | ६६,९६२ | ५१.४० | १६०,१३१ | २९,१०७ | १७,२६९ |
| मद्रास * ... ... | १८,९१९ | १४.८० | २३,०८७ | १३,७९७ | ३,७२० |
| उडीसा † ... ... | २०,६१७ | ३४.२८ | २५,७०९ | ६,१७७ | ३,७५० |
| पंजाब ... ... ... | ५,००३ | १३.३८ | १८,१४३ | ३,७६७ | २,४४६ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | १३,४१० | ११.८२ | ६७,४५८ | २७,३५७ | ९,२६७ |
| पश्चिमी बंगाल .. | ५,१७३ | १६.८० | ३६,४४२ | ८,६४५ | ६०९ |
| हैदराबाद ... ... ... | १२,७२९ | १५.५० | ५,७२९ | ५,४४७ | ३,९८४ (क) |
| जम्मू और काश्मीर ... ... | ११,०५८ | २०.०१ | ८,००० | ३,८१७ | १,१३४ |
| मध्यभारत ... ... ... | ११,४११ | २४.५२ | ९,६०० | ३,३३१ | १,७४४ |
| मैसूर ... ... ... | ४,७०४ | १५.९० | १८,५३१ | ३,८१३ | ९३० |
| पेप्सू ... ... ... | २९२ | २.९१ | ५७१ | १९८ | ३३५ |
| राजस्थान ... ... ... | १२,९२९ | ९.९३ | अप्राप्य | अप्राप्य | अप्राप्य |
| सौराष्ट्र ... ... ... | ९९७ | ४.६७ | ३,०४० | १,८६२ | १६२ |
| त्रावनकोर-कोचीन ... ... | ३,०५१ | ३३.३७ | १६,०१३ | १४,४६२ | २०२ |
| अजमेर ... ... ... | १३५ | ५.५९ | ४४२ | १३२ | ४१ |
| भोपाल ... ... ... | १,९६२ | २८.५३ | २,६९२ | ५५१ | ५०५ |
| बिलासपुर ... ... | २०० | ४४.१५ | २२५ | ३३ | २४९ |
| कूर्ग ... ... ... | १,१४९ | ७२.४५ | १,७७३ | २,७५२ | १९३ |
| हिमाचल प्रदेश ... ... | ३,३९१ | ३२.४० | ३०,८६६ | ६,३४१ | १,९१० |
| कच्छ ... ... ... | १९७ | १.१६ | अप्राप्य | १० | ५२ |
| मनीपुर ... ... ... | २,२५० | २६.१० | ५७१ | ६६ | २७ |
| त्रिपुरा ... ... ... | ३,४५८ | ८५.७६ | ९३८ | १,००४ | ६,२३० |
| विन्ध्य प्रदेश ... ... | ७,७१४ | ३२.६८ | १६,९१२ | १,१८४(ब) | ५,४०० |
| अन्दमान और निकोबार द्वीप ... | २,५०० | ७७.७६ | २,१६२ | २,८४५ | २० |
| योग ... | २,७४,०५० | २१.६३ | ५५७,५८७ | १८,९,४१७ | ६९,२६५ |

* मैसूर राज्य के आन्ध्र और बेलारी जिलों के समंक समाविष्ट है. † तत्कालिक.

(अ) इसमें निजी वनों से संबंधित ४१ हजार रुपये समाविष्ट हैं जिनका ब्यौरा अप्राप्य है.

(ब) ब्यौरा अप्राप्य.

(क) निःशुल्क अनुदान ग्रहीताओं द्वारा इकट्ठी की गई १८,००० रुपयों की गौण उत्पत्ति सम्मिलित नहीं है

प्राप्ति स्थान : "भारत में कृषि परिस्थिति"—फरवरी १९५४, आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार, अन्न व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित.

(भारतवर्ष की पशुगणना, १९५१)

(हजारों में)

| राज्य (१) | गोधन (२) | भैंसें (३) | भेड़ें (४) | बकरे व बकरियां (५) |
|---|---|---|---|---|
| आसाम | ५,१४५ | ४७५ | ३३ | ९१७ |
| बिहार | १५,२९७ | ३,३१६ | १,०५० | ५,९४१ |
| बम्बई | ११,९१५ | ४,१६२ | २,५१५ | ४,३१२ |
| मध्यप्रदेश | १४,८५९ | २,६०० | ३३० | २,३०० |
| मद्रास | १९,४१७ | ७,८६६ | १५,१६१ | ७,४२५ |
| पंजाब | ४,२९२ | २,५५२ | ६४१ | १,१५६ |
| उत्तरप्रदेश | २३,५१३ | ९,२५१ | १,६३६ | ५,२२४ |
| पश्चिमी बंगाल | १०,३८५ | ६१९ | ४८० | ४,०३१ |
| हैदराबाद | ९,२२० | २,५२२ | ४,३०० | २,६०७ |
| जम्मू और काश्मीर | १,३२१ | २८३ | ९७९ | ४८७ |
| मध्यभारत | ६,०६७ | १,८५२ | २८० | १,३०६ |
| मैसूर | ४,६८९ | १,०८९ | २,७०९ | १,५८६ |
| पेप्सू | १,४६४ | ८२५ | २०४ | ४८२ |
| राजस्थान (अ) | १०,४५६ | २,९५५ | ५,१०८ | ५,३९५ |
| सौराष्ट्र | १,२९३ | ५३१ | ८६९ | ५६४ |
| त्रावणकोर-कोचीन | १,२८५ | १९२ | ४८८ | ७३ |

(अ) दिडवाना तहसील के समंक छोडकर.

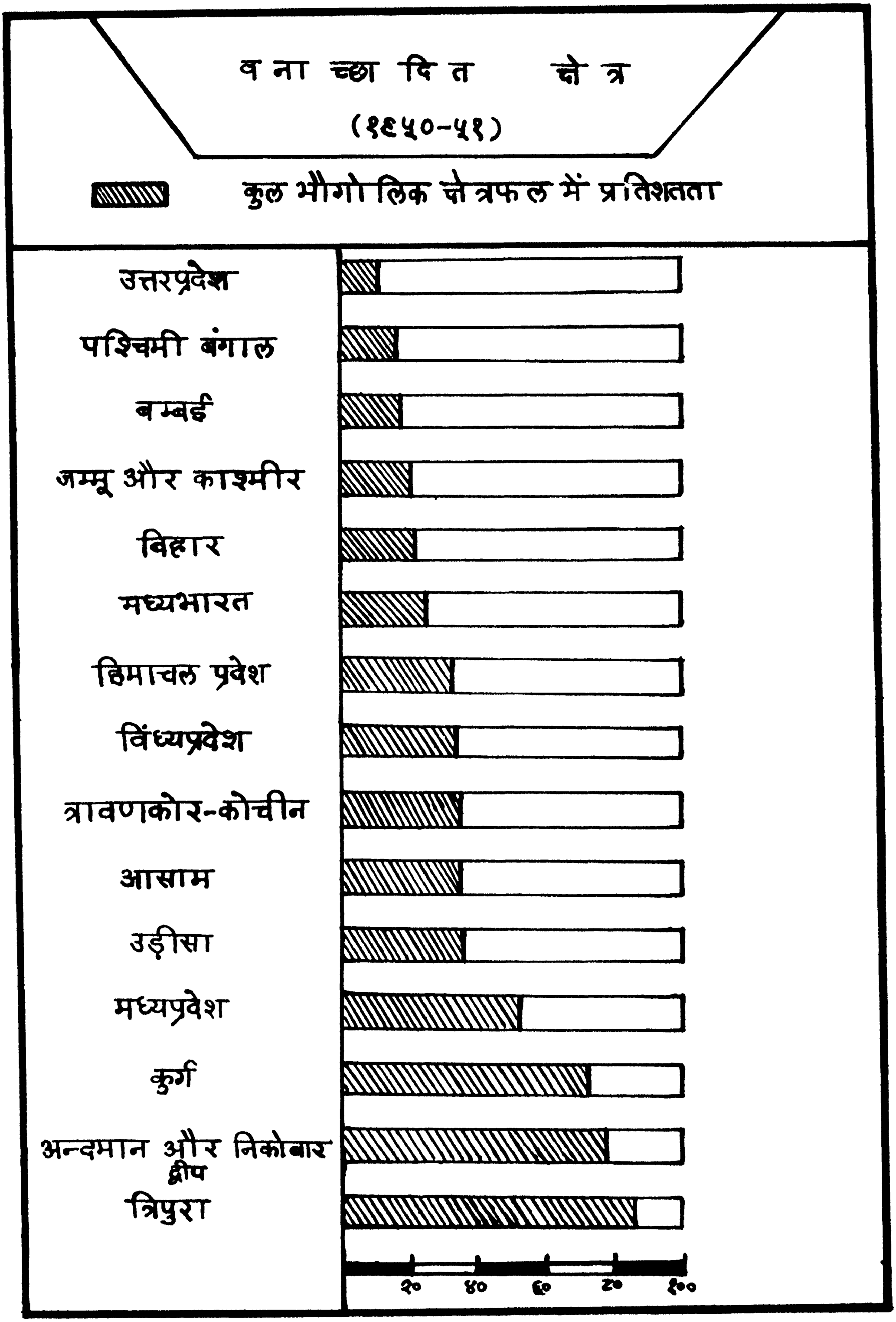
वनाच्छादित क्षेत्र
(१९५०-५१)
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशतता
उत्तरप्रदेश
पश्चिमी बंगाल
बम्बई
जम्मू और काश्मीर
बिहार
मध्यभारत
हिमाचल प्रदेश
विंध्यप्रदेश
त्रावणकोर-कोचीन
आसाम
उड़ीसा
मध्यप्रदेश
कुर्ग
अन्दमान और निकोबार द्वीप
त्रिपुरा
२०
४०
६०
८०
१००

# भारतवर्ष में गोधन-संख्या
(१९५१)

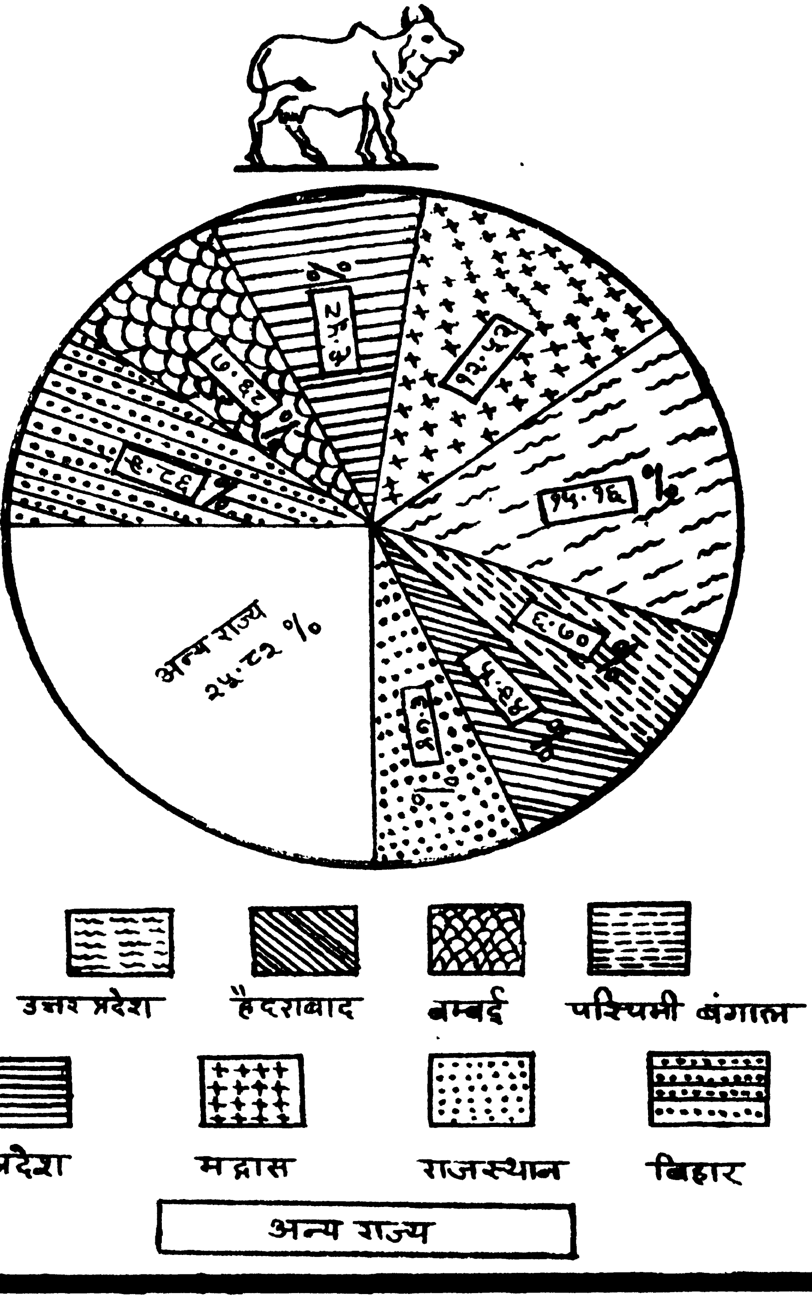

## अध्याय ४

# सिंचाई तथा विद्युत्-शक्ति

## सिंचाई

संपूर्ण संसार में भारतवर्ष का सिंचित-क्षेत्र सर्वाधिक है. फिर भी, कुल जोते जाने वाले क्षेत्र का वह पंचमांश ही है. अभी देश में ऐसे विशाल भू-क्षेत्र पडे हुए हैं, जहां सिंचाई नितांत आवश्यक है. निसंदेह, सिंचाई सुविधाओं की आपेक्षित वृद्धि से विस्तृत ऊसर और अनुपजाऊ भू-क्षेत्र लहलहाते हुए खेतों में परिणित किये जा सकते हैं. यहां कुएं, तालाब और नहरें सिंचाई के मुख्य साधन हैं. सन् १९५१-५२ में कुल ५१५ लाख एकड सिंचित क्षेत्र में से नहरों, तालाबों, कुओं और अन्य साधनों द्वारा क्रमशः २१२.५ लाख एकड, ८५ लाख एकड, १६० लाख एकड और ५७.५ लाख एकड भू-क्षेत्र सींचा गया. उल्लेखनीय है कि कुओं और तालाबों जैसे छोटे सिंचाई कार्यों द्वारा नहरों सदृश बडे सिंचाई कार्यों की अपेक्षा अधिक सिंचाई की जाती है. गौरव की बात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के विस्तार के लिये प्राथमिकता दी गई है. योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की गई सिंचाई-योजनाओं से सन् १९५५-५६ तक १९७ लाख एकड अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी, जिसमें से बडी सिंचाई योजनाओं और छोटे सिंचाई-कार्यों द्वारा क्रमशः ८५ लाख एकड तथा ११२ लाख एकड भूमि सींची जावेगी. सन् १९५३-५४ के अंत तक ७५ लाख एकड अतिरिक्त भूमि सींची गई थी.

सन् १९४९-५० में सींचा गया क्षेत्र (हजार एकडों में) उत्तरप्रदेश में १०,८०३, मद्रास (मद्रास और आंध्र) में १०,०७०, पंजाब में ५,८४६, बिहार में ४,२८०, पश्चिमी बंगाल में २,३१३, बम्बई में १,७६०, मध्यप्रदेश में १,६८६, उडीसा में १,६०५ और आसाम में १,०८२ था. सन् १९५१—५६ में सींचा जाने वाला अतिरिक्त भू-क्षेत्र (हजार एकडों में) उत्तरप्रदेश में १,३६१, पश्चिमी बंगाल में ९१७, बिहार में ६७५, पंजाब में ६६६, उडीसा में ४८०, बम्बई में ४७४, मद्रास (मद्रास और आंध्र) में ४३५, आसाम में २१८ और मध्यप्रदेश में ११४ होगा. सन् १९५१—५४ में सिंचाई योजनाओं के लक्ष्यों और उनकी प्रतिशत-पूर्ति का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहार, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मध्यभारत और मैसूर ने अपने तत्कालीन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली है, जबकि सौराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक सफलता (क्रमशः १७६.९ प्रतिशत और १५२ प्रतिशत) प्राप्त की है. ऐसे राज्य जहां पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी—उत्तरप्रदेश (९३.८ प्रतिशत), आसाम (८१.१ प्रतिशत), जम्मू व काश्मीर (७३.३ प्रतिशत), बम्बई (५७.१ प्रतिशत), राजस्थान (५६.६ प्रतिशत), मध्यप्रदेश (४७.६ प्रतिशत), हैदराबाद (३१.४ प्रतिशत), मद्रास (२२.३ प्रतिशत) और उडीसा (१७.७ प्रतिशत) हैं.

# विद्युत्-शक्ति

भारतवर्ष में जलविद्युत्-शक्ति और तापविद्युत्-शक्ति—दोनों का ही पर्याप्त प्रसार हुआ है. देश की विद्युत्-प्रसार संबंधी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है: दक्षिण-भारत में अधिकांशतः जलविद्युत्-शक्ति ; बम्बई-क्षेत्र में मुख्यतः जलविद्युत्-शक्ति और अंशतः तापविद्युत्-शक्ति ; बिहार और बंगाल के कोयला क्षेत्रों में मुख्यतः तापविद्युत्-शक्ति ; भारत के मध्यभाग में (जिसमें हैदराबाद, उडीसा, और मध्यप्रदेश आते है) मुख्यतः तापविद्युत्-शक्ति और पंजाब तथा उत्तरप्रदेश में मुख्यतः जलविद्युत्-शक्ति व अंशतः तापविद्युत्-शक्ति का प्रसार हुआ है.* प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई योजनाओं के समान विद्युत्-शक्ति योजनाओं को भी विशेष महत्त्व दिया गया है. इन योजनाओं के फलस्वरूप विद्युत-शक्ति का प्रसार उतनी ही तीव्रगति से हो रहा है जितना कि देश का औद्योगीकरण. आशा है कि सन् १९५९ के अंत तक देश की कुल विद्युत्-उत्पादन क्षमता दुगुनी हो जाएगी. उल्लेखनीय है कि सन् १९५३-५४ के अंत तक देश की अतिरिक्त विद्युत्-उत्पादन क्षमता ५ लाख किलोवाट तक पहुंच गई थी.

इसी तरह राज्य विद्युत्-योजनाओं की भी संतोषजनक प्रगति हुई है. मध्यप्रदेश में सन् १९५१ से १९५४ तक ७३,००० किलोवाट अतिरिक्त विद्युत्-उत्पादन क्षमता बढाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से ५१,००० किलोवाट ही अतिरिक्त बिजली पैदा की जा सकी. इस प्रकार उसकी लक्ष्य-पूर्ति की प्रतिशतता ६९.८६ थी. यही प्रतिशतता बिहार में १००, मैसूर में १००, उडीसा में ७१.४३, मद्रास में ६१.२६, उत्तरप्रदेश में ४८.२८, बम्बई में ३२.८४, और मध्यभारत में २८.५७ थी. केवल राजस्थान में ही उक्त प्रतिशतता निर्धारित लक्ष्य से अधिक (१०९.०९) थी. फिर भी, राजस्थान, बिहार और उडीसा की तत्संबंधी प्रगति विशेष महत्त्व नहीं रखती; क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षा उन्हें कम बिजली पैदा करना थी. इस क्षेत्र में मैसूर और मध्यप्रदेश ने अवश्य उल्लेखनीय प्रगति की है.

यहां विभिन्न राज्यों में प्रति-व्यक्ति और प्रति-वर्गमील उत्पन्न की गई बिजली का तुलनात्मक उल्लेख कर देना अनुचित न होगा. इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य ने अधिक बिजली पैदा की और किसने कम. सन् १९५३ में प्रति-व्यक्ति विद्युत्-उत्पादन मैसूर में सर्वाधिक (६९.७९ किलोवाट) था. इसके बाद बम्बई (५८.७७ किलोवाट) और पश्चिमी बंगाल (५४.६६ किलोवाट) का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान था. इसी वर्ष प्रति-वर्गमील विद्युत्-उत्पादन पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक (४४,०६६.०० किलोवाट) था. मैसूर (२१,४७८.६२ किलोवाट), त्रावणकोर-कोचीन (२०,८९५.७८ किलोवाट), और बम्बई (१८,९६२.३२ किलोवाट) का क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान था. मध्यप्रदेश में प्रति-व्यक्ति और प्रति-वर्गमील विद्युत्-उत्पादन क्रमशः ६.८४ किलोवाट और १,११४.८४ किलोवाट था. उपरोक्त राज्यों की तुलना में जहां विद्युत्-उत्पादन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, मध्यप्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती. फिर भी, प्रति-व्यक्ति विद्युत्-उत्पादन की दृष्टि से आंध्र, आसाम, बिहार, हैदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर, मध्यभारत, उडीसा, पेप्सू और राजस्थान की तुलना में तथा प्रति-वर्गमील विद्युत्-उत्पादन की दृष्टि से आसाम, हैदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर, मध्यभारत, उडीसा, पेप्सू और राजस्थान की तुलना में उसकी (मध्यप्रदेश की) स्थिति अच्छी रही है.

विभिन्न राज्यों में बेची गई बिजली का उपभोग घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और लोकोपयोगी-कार्यों (रोशनी, सिंचाई, सीवेज, पम्पिग, आदि) के लिये किया जाता है. घरेलू कार्यों के लिये उपयोग में लाई गई बिजली की प्रतिशतता अन्य राज्यों की अपेक्षा जम्म

* "इण्डिया" १९५४, पृष्ठ १८५.

तथा काश्मीर (४५.२७), उड़ीसा (३८.०२), आसाम (३६.०२), मध्यभारत (२६.३२), पेप्सू (२३.५१) और पूर्वी पंजाब (२२.९७) में अधिक है. इसी तरह वाणिज्यिक और औद्योगिक कार्यों के लिये बिजली का प्रतिशत-उपभोग बिहार (८३.४९), त्रावणकोर-कोचीन (८०.४०), मैसूर (७९.९३), मध्यप्रदेश (७८.५४), पश्चिमी बंगाल (७५.१९), बम्बई (७३.१२), और सौराष्ट्र (७१.६१) में बहुत होता है. लोकोपयोगी कार्यों के लिये बिजली का प्रतिशत-उपभोग मध्यभारत (३३.९०), राजस्थान (३३.७७), उत्तरप्रदेश (२५.५७), और मद्रास (२१.२२) में अधिक होता है. इस तरह लगभग सभी राज्यों में घरेलू और लोकोपयोगी-कार्यों की अपेक्षा वाणिज्यिक और औद्योगिक कार्यों में अधिक बिजली खर्च की जाती है. कुछ राज्यों में घरेलू-कार्यों की अपेक्षा लोकोपयोगी-कार्यों में अधिक बिजली खर्च होती है ; जबकि कुछ राज्यों में दूसरों की अपेक्षा पहिले शीर्षक के अंतर्गत अधिक बिजली खर्च होती है. सन् १९५३ में घरेलू-कार्यों और लोकोपयोगी-कार्यों के लिये बिजली का प्रतिशत-उपभोग क्रमशः १४.६८ और ६.७८ था.

## सिंचित क्षेत्र

(हजार एकड़ों में)

| राज्य | कुल सिंचित क्षेत्रफल (१९४९-५० में) | पंचवर्षीय योजना (१९५१—५६) में सींचा जानेवाला अतिरिक्त क्षेत्र | सिंचित क्षेत्र (१९५१—५४) आयोजित लक्ष्य | लक्ष्य-पूर्ति | लक्ष्य-पूर्ति की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| आसाम ... ... ... | १,०८२ | २१८ | ९० | ७३ | ८१.१ |
| बिहार ... ... ... | ४,२८० | ६७५ | ३३६ | (अ) ३३६ | १००.० |
| बम्बई . ... ... | १,७६० | ४७४ | १४० | ८० | ५७.१ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | १,६८६ | ११४ | २१ | १० | ४७.६ |
| मद्रास ... ... ... | १०,०७० | ४३५ | २०६ | ४६ | २२.३ |
| उड़ीसा ... ... ... | १,६०५ | ४८० | ३५० | ६२ | १७.७ |
| पंजाब ... ... ... | ५,८४६ | ६६६ | ३६३ | (अ) ३६३ | १००.० |
| उत्तरप्रदेश ... ... | १०,८०३ | १,३६१ | ८३२ | ७८० | ९३.८ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | २,३१३ | ९१७ | ६१९ | ६१९ | १००.० |
| हैदराबाद ... ... ... | १,४८८ | ३०६ | १०२ | ३२ | ३१.४ |
| जम्मू और काश्मीर ... ... | ७०१ | ७६ | १५ | ११ | ७३.३ |
| मध्यभारत ... ... ... | ४६२ | ८३ | २९ | २९ | १००.० |
| मैसूर ... ... ... | १,१५९ | ३० | १२ | (अ) १२ | १००.० |
| राजस्थान ... ... ... | १,४७३ | २४३ | १२९ | ७३ | ५६.६ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | ६७ | १०८ | २६ | ४६ | १७६.९ |
| हिमाचल प्रदेश ... ... | १३५ | ७५ | २५ | ३८ | १५२.० |

(अ) सिंचाई के वास्तविक समंक उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्य के ही समंक दिये गये हैं.

प्राप्ति स्थान : योजना आयोग (केन्द्रीय शासन), "प्रथम पंचवर्षीय योजना" तथा "पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४".

## विद्युत् योजनाओं की प्रगति

| राज्य | अधिष्ठित क्षमता—अधिक -'००० किलोवाट | | |
|---|---|---|---|
| | १९५१—५४ योजना | १९५१—५४ निष्पादन | प्रतिशत निष्पादन |
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| आंध्र ... ... ... | ५२ | १४ | २६.९२ |
| बिहार ... ... ... | ५ | ५ | १००.०० |
| बम्बई ... ... ... | ६७ | २२ | ३२.८४ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | ७३ | ५१ | ६९.८६ |
| मद्रास ... ... ... | १११ | ६८ | ६१.२६ |
| उडीसा ... ... ... | ७ | ५ | ७१.४३ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | २९ | १४ | ४८.२८ |
| मध्यभारत ... ... ... | १४ | ४ | २८.५७ |
| मैसूर ... ... ... | ७२ | ७२ | १००.० |
| राजस्थान ... ... ... | ११ | १२ | १०९.०९ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... ... | ७३ | ९ | १२.३३ |

प्राप्ति स्थान : योजना आयोग (केन्द्रीय शासन), पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४.

## सन् १९५३ में विद्युत्-उत्पादन

| राज्य | कुल उत्पादन (१० लाख किलोवाट में) | प्रति-व्यक्ति उत्पादन (किलोवाट) | प्रति-वर्गमील उत्पादन (किलोवाट) |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| आंध्र ... ... | ८४.६७६ | ४.१३ | १,३४१.७६ |
| आसाम ... ... | ७.९४१ | ०.८८ | ९३.४१ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | १,३५६.१३१ | ५४.६६ | ४४,०६६.०० |
| बिहार ... ... | २२४.००० | ५.५७ | ३,१८४.९९ |
| बम्बई ... ... | २,११३.०४७ | ५८.७७ | १८,९६२.३२ |
| हैदराबाद ... ... | ५९.९१७ | ३.२१ | ७२९.२० |
| जम्मू और काश्मीर ... | २५.३४३ | ५.७५ | २७३.१५ |
| मध्यभारत ... ... | ३४.१९० | ४.३० | ७३५.६२ |
| मध्यप्रदेश ... ... | १४५.२३२ | ६.८४ | १,११४.८४ |
| मद्रास ... ... | ६८६.४१४ | १८.८० | ५,३७१.४२ |
| मैसूर ... ... | ६३३.३८३ | ६९.७९ | २१,४७८.६२ |
| उडीसा ... ... | ९.०४१ | ०.६२ | १५०.३४ |
| पेप्सू ... ... ... | ७.०७५ | २.०३ | ७०२.०२ |
| पंजाब ... ... | १९४.५४७ | १५.३९ | ५,२०४.८५ |
| राजस्थान ... ... | ६७.०३२ | ४.३८ | ५१४.८१ |
| सौराष्ट्र ... ... | ५०.१८२ | १२.१३ | २,३३९.३८ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | १९१.०७१ | २०.५९ | २०,८९५.७८ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ६०७.६२४ | ९.६१ | ५,३५७.८१ |

प्राप्ति स्थान : केन्द्रीय जल व विद्युत् आयोग (विद्युत् पक्ष), शिमला.

**टिप्पणी.**—सांख्यिकीय गणना के लिये यहां मद्रास की जनसंख्या में बिलारी जिले (जो अब मैसूर में विलीन हो गया है) की जनसंख्या का भी समावेश कर लिया गया है.

## सन् १९५३ में बेची गई बिजली

| राज्य | अंतिम उपभोक्ताओं को बेची गई कुल बिजली (१० लाख किलोवाट में) | बेची गई कुल बिजली का प्रतिशतता में पृथक्करण | | |
|---|---|---|---|---|
| | | घरेलू उपयोग के लिये | वाणिज्य तथा औद्योगिक उपयोग के लिये | सार्वजनिक उपयोग के लिये (प्रकाश, सिंचाई-कार्य और मलप्रवाह उदन्चन (Sewage-pumping) इत्यादि |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| आंध्र ... ... ... | ८०.४२७ | २०.२० | ६५.२८ | १४.५२ |
| आसाम ... ... | ६.७१६ | ३६.०२ | ५३.५६ | १०.४२ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | १,२२५.४१२ | १६.७९ | ७५.१९ | ८.०२ |
| बिहार ... ... | १६३.७०० | १०.९१ | ८३.४९ | ५.५८ |
| बम्बई ... ... | १,८२२.८२८ | ७.३७ | ७३.१२ | १९.५१ |
| हैदराबाद ... ... | ५१.७१३ | १७.२४ | ६५.३० | १७.४५ |
| जम्मू और काश्मीर ... | १६.५३३ | ४५.२७ | ३९.५६ | १५.१७ |
| मध्यभारत ... ... | २७.९०६ | २६.३२ | ३९.७९ | ३३.९० |
| मध्यप्रदेश ... ... | ११२.६१८ | १४.६८ | ७८.५४ | ६.७८ |
| मद्रास ... ... | ५५५.८९३ | १२.८५ | ६५.९३ | २१.२२ |
| मैसूर ... ... ... | ५०५.०२१ | ७.९८ | ७९.९३ | १२.०९ |
| उडीसा ... ... | ७.१८३ | ३८.०२ | ५४.६८ | ७.३० |
| पेप्सू ... ... ... | १५.६४७ | २३.५१ | ६४.८३ | ११.६६ |
| पंजाब ... ... | १२२.०७२ | २२.९७ | ६७.८४ | ९.१९ |
| राजस्थान ... ... | ४९.४८३ | १८.६० | ४७.६३ | ३३.७७ |
| सौराष्ट्र ... ... | ४१.९१९ | १९.५८ | ७१.६१ | ८.८१ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | १५२.१८० | १०.१८ | ८०.४० | ९.४१ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ४८८.४२३ | १२.३९ | ६२.०४ | २५.५७ |

प्राप्ति स्थान : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (विद्युत् पक्ष), शिमला.

अध्याय ५

# खनिज-पदार्थ

कोयला, लोहा तथा मेंगनीज सदृश खनिज-पदार्थ जो देश के औद्योगिक विकास के लिये परमावश्यक हैं, भारतवर्ष में बहुतायत से पाये जाते हैं. इनमें से कुछ खनिज-पदार्थों का यह संसार में सबसे बडा उत्पादक है.

बिहार और पश्चिमी बंगाल भारतवर्ष के कोयला उत्पन्न करनेवाले प्रमुख क्षेत्र हैं. सन् १९५१ में बिहार में कोयले का उत्पादन १,८५,८८,३०० टन (मूल्य–२५,९४,६०,००० रुपये) और पश्चिमी बंगाल में ९६,४५,५७० टन (मूल्य–१४,२६,०९,००० रुपये) था. इस प्रकार, समस्त देश के कुल कोयला-उत्पादन का ८२ प्रतिशत उत्पादन इन दोनों राज्यों में ही होता है. कोयला उत्पादन में मध्यप्रदेश का तीसरा स्थान है. सन् १९५१ में इस राज्य का कुल कोयला-उत्पादन ३२,०२,६२० टन (मूल्य–४,६४,७४,००० रुपये) था. हैदराबाद, विन्ध्यप्रदेश, उडीसा, आसाम, राजस्थान और काश्मीर में भी कोयले का उत्पादन होता है.

सन् १९५१ में देश में ३५ लाख टन से भी अधिक कच्चे लोहे का उत्पादन किया गया. देश के कच्चा लोहा उत्पन्न करनेवाले प्रमुख क्षेत्र बिहार और उडीसा में हैं, जहां देश के कुल लोहा-उत्पादन का लगभग ९८ प्रतिशत लोहा उत्पन्न किया जाता है. अन्य स्थानों के लोह-संचयों का अभी विदोहन नहीं किया गया है. उदाहरणार्थ, उडीसा में १६,५४० लाख टन कच्चा लोहा संचित है. मध्यप्रदेश में भी इसके विशाल संचय (१५,५१९ लाख टन) हैं, तथापि यहां लोहे का वार्षिक उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है. देश की बढती हुई फौलाद संबंधी मांग की पूर्ति करने के लिये इन संचयों का समुचित अन्वेषण एवं विदोहन (Exploitation) नितांत आवश्यक है.

भारतवर्ष के सबसे बडे मेंगनीज के संचय मध्यप्रदेश में है. समस्त देश के कुल मेंगनीज-उत्पादन का लगभग ५४ प्रतिशत उत्पादन सिर्फ मध्यप्रदेश में ही होता है. इस राज्य का मेंगनीज-उत्पादन मद्रास से चौगुना और उडीसा से ढाई गुना है. इस दृष्टि से उडीसा और मद्रास क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं.

# खनिज उत्पादन, १९५१

परिमाण.—हजार टनों में

मूल्य.—लाख रुपयों में

| राज्य | | कच्चा लोहा | | कोयला | | कच्चा मेंगनीज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परिमाण | मूल्य | परिमाण | मूल्य | परिमाण | मूल्य |
| (१) | | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| बिहार | ... | १,७६५.७० | ११०.७८ | १८,५८८.३० | २,५९४.६० | ४८.४२ | ६६.८२ |
| उडीसा | ... | १,८२३.३१ | ९४.९१ | ४८१.८२ | ७१.७० | २५२.३० | ३४८.१७ |
| मध्यप्रदेश | ... | ०.६० | ०.११ | ३,२०२.६२ | ४६४.७४ | ७००.७७ | ९६७.०६ |
| पश्चिमी बंगाल | ... | ... | ... | ९,६४५.५७ | १,४२६.०९ | ... | ... |
| मैसूर ... | ... | ३४.८० | १.४५ | ... | ... | १३.१२ | १८.१० |
| मद्रास | ... | ३१.२० | २.१८ | ... | ... | १६४.०२ | २२६.३५ |
| बम्बई | ... | १.५० | ०.०९ | ... | ... | ९०.८२ | १२५.३४ |
| आसाम | ... | ... | ... | ४६६.०६ | ११५.७४ | ... | ... |
| राजस्थान | ... | ... | ... | ३३.०८ | ३.६५ | ७.७४ | १०.६८ |
| मध्यभारत | ... | ... | ... | ... | ... | १५.१८ | २०.९५ |
| हैदराबाद | ... | ... | ... | १,२६९.२४ | २७०.०० | ... | ... |
| काश्मीर | ... | ... | ... | १.८७ | ०.४९ | ... | ... |
| विंध्यप्रदेश | ... | ... | ... | ७४३.८५ | १०१.१० | ... | ... |
| कुल योग | ... | ३,६५७.१४ | २०९.५२ | ३४,४३२.४१ | ५,०४८.११ | १,२९२.३६ | १,७८३.४७ |

प्राप्ति स्थान : भारत का सांख्यिकीय संक्षेप—१९५१-५२, १९५४ में प्रकाशित.

## कच्चे लोहे के संचय

| राज्य (१) | दस लाख टनों में (२) |
|---|---|
| **बिहार** | |
| सिंघभूम ... ... ... | १,०४७.०० |
| **मध्यप्रदेश** | |
| बस्तर ... ... ... | ६१०.०० |
| रावघाट ... ... ... | ८००.०० |
| चांदा ... ... ... | २१.९० |
| दुर्ग ... ... ... | १२०.०० |
| योग ... | १,५५१.९० |
| **उडीसा** | |
| बोनाज ... ... ... | ६४८.०० |
| केओन्झार ... ... | ९८८.०० |
| मयूरभन्ज ... ... | १८.०० |
| योग ... | १,६५४.०० |

| राज्य (१) | दस लाख टनों में (२) |
|---|---|
| **मद्रास** | |
| सालेम-त्रिचिरापल्ली ... | ३०४.६५ |
| **आंध्र** | |
| कुदाप्पा ... ... ... | ३०४.०४ |
| करनूल ... ... ... | ३.७० |
| योग ... | ३०७.७४ |
| **मैसूर** | |
| केमनगुन्डी ... ... | १०५.०० |
| बाबाबूदान ... ... | २००.०० |
| सेंदूर ... ... ... | १३०.०० |
| योग ... | ४३५.०० |
| बम्बई और गोवा ... ... | ६.०० |
| **पंजाब और पेप्सू** | |
| पटियाला ... ... | ५.०० |
| मण्डी ... ... ... | ५.०० |
| योग ... | १०.०० |

प्राप्ति स्थान : "टाईम्स ऑफ इंडिया" डायरेक्टरी एण्ड ईयर बुक, १९५४-५५.

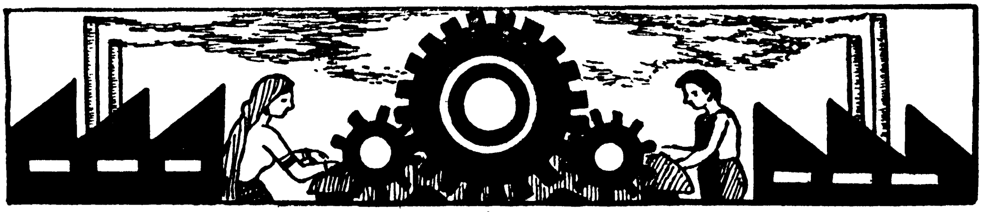

# अध्याय ६
# उद्योग

**उद्योगों** की संख्या और जनसंख्या के वितरण को देखते हुये भारतवर्ष में औद्योगिक विकास समान रूप से नहीं हुआ है. उदाहरणार्थ, बम्बई, पश्चिमी बंगाल और बिहार सदृश राज्यों में काफी औद्योगीकरण हो चुका है, जबकि अन्य राज्य औद्योगिक साधनों से परिपूर्ण होते हुये भी इस क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं. सैद्धान्तिक रूप से उद्योगों का स्थानीयकरण उन्हीं स्थानों में होता है, जहां कच्चे माल और निर्मित माल—दोनों का ही परिवहन व्यय न्यूनतम हो. किन्तु वास्तविकता इससे कुछ भिन्न ही है ; अर्थात् अन्य पहलुओं का भी उद्योगों के स्थानीयकरण पर विशेष प्रभाव पडता है. भारतवर्ष में भी अनेक उद्योगों की स्थापना परिवहन-व्यय सिद्धान्त के अनुसार नहीं हुई. सामान्यतः विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में ही नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाती है ; क्योंकि इन क्षेत्रों में उनके विकास के लिये अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं. फलस्वरूप इन क्षेत्रों में उद्योगों का केन्द्रीयकरण बढता ही जाता है ; जबकि अन्य क्षेत्र पिछडे ही रहते हैं. भारतवर्ष में कुछ विशेष उद्योग विशिष्ट राज्यों में ही केन्द्रित हैं. उदाहरणार्थ, शक्कर-उद्योग उत्तरप्रदेश और बिहार में ; सूती कपडे का उद्योग बम्बई, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में ; लोहे और फौलाद का उद्योग बिहार में और जूट-उद्योग बंगाल में केन्द्रित है. इसका प्रमुख कारण राज्य विशेष में विशिष्ट उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल और शक्ति आदि की पर्याप्त सुविधाओं की प्राप्ति तथा उद्योगपतियों की प्रतिकूल धारणाएं हो सकती हैं.

सन् १९५० में उत्पादक-पूंजी का विनियोग बम्बई में सर्वाधिक था. तत्पश्चात्, क्रमशः पश्चिमी बंगाल, बिहार, मद्रास, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और पंजाब का क्रम था. विभिन्न राज्यों में उत्पादक-पूंजी का विनियोग उनके औद्योगिक विकास का परिचायक है.

सन् १९५० में मध्यप्रदेश में पंजीयित निर्माणियों की कुल संख्या ३०० अथवा 'अ' वर्गीय राज्यों की कुल निर्माणी-संख्या के ४.५२ प्रतिशत थी. बम्बई, पश्चिमी बंगाल और मद्रास की सम्मिलित उक्त प्रतिशतता ७०.१४ थी. ये समंक भारत में उद्योगों के केन्द्रीयकरण की जानकारी देते हैं.

स्वामित्व के अनुसार विभिन्न राज्यों की निर्माणी-संख्या का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि सन् १९५० में निजी-स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाली निर्माणियों की प्रतिशत संख्या उडीसा के पश्चात् मध्यप्रदेश की (३०) सर्वाधिक थी. इसी प्रकार भागिता-साथों द्वारा संचालित निर्माणियों की संख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश (५१) का तृतीय स्थान था. इसका अर्थ यह है कि परिसीमित प्रमंडलों द्वारा संचालित निर्माणियों की संख्या इस राज्य में संतोषजनक नही थी. निज-प्रमंडलों (परिसीमित) द्वारा संचालित निर्माणियों की प्रतिशत संख्या मद्रास में सर्वाधिक (३०) थी. तत्पश्चात्, क्रमशः आसाम (२७), पश्चिमी बंगाल (२६), अजमेर (२५) तथा उत्तरप्रदेश (२४) का क्रम था. मध्यप्रदेश की यह प्रतिशतता सबसे कम (७) थी. लोक-प्रमंडलों (परिसीमित) द्वारा संचालित

निर्माणियों की प्रतिशत संख्या १० थी ; जबकि यही प्रतिशतता राजस्थान की २७, पश्चिमी बंगाल की २६, अजमेर की २५ और उत्तरप्रदेश की २४ थी. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि मध्यप्रदेश में संयुक्त-स्कंध-प्रमंडलों का, जो अधिकांशतः बडे उद्योगों का संचालन करते है, समुचित विकास नहीं हो पाया है, और इस राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछडेपन का यह भी एक कारण हो सकता है.

यहां कुछ प्रमुख उद्योगों के संबंध में विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक स्थिति का भी उल्लेख कर देना वांछनीय है. सन् १९५१ में कांच व कांच के सामान के उत्पादन में मध्यप्रदेश का पांचवां स्थान था. इसी वर्ष बम्बई और पश्चिमी बंगाल दोनों ने कुल उत्पत्ति-मूल्य में से ६३.३ प्रतिशत मूल्य का कांच और कांच का सामान बनाया ; जबकि मध्यप्रदेश की यही प्रतिशतता केवल ४.७ थी.

सन् १९५१ में मृच्छिल्प (Ceramics) उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश का तृतीय स्थान था. कुल उत्पत्ति-मूल्य में से इस राज्य ने १२.३ प्रतिशत मूल्य का मृच्छिल्प-उत्पादन किया. यही प्रतिशतता बिहार की सर्वाधिक (३८) थी. बिहार और पश्चिमी बंगाल ने कुल मिलाकर ६९ प्रतिशत मूल्य का उत्पादन किया.

सन् १९५२ में फलों और शाक-भाजी की प्रक्रिया (Processing) संबंधी उद्योग में बम्बई का स्थान प्रथम व मध्यप्रदेश का द्वितीय था. सामान्य यांत्रिकीय (General Engineering) और विद्युत् यांत्रिकीय (Electrical Engineering) उद्योग में मध्यप्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है. उदाहरणार्थ, सन् १९५१ में देश के कुल उत्पत्ति-मूल्य की तुलना में यहां इस उद्योग का उत्पत्ति-मूल्य केवल १.१ प्रतिशत ही था, जबकि पश्चिमी बंगाल और बम्बई की यही प्रतिशतता ७३.९ थी. मध्यप्रदेश में माचिस उद्योग की भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. इस उद्योग का वांछनीय विकास बंगाल और मद्रास में ही हुआ है.

सूती कपडे का उत्पादन बम्बई में सर्वाधिक है. तत्पश्चात् उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, पश्चिमी बंगाल, मध्यप्रदेश और मद्रास का क्रम आता है. सन् १९५३ में केवल बम्बई ने ही समस्त देश के सूती कपडे के उत्पादन का ६३.८ प्रतिशत उत्पादन किया. सूती कपडे की मिलों के साथ ही हाथ-करघा उद्योग का उल्लेख भी आवश्यक है. यह देश का एक महत्वपूर्ण कुटीर-उद्योग है, जिसमें लाखों व्यक्तियों को काम मिलता है. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस उद्योग को उचित संरक्षण प्राप्त होता है. सन् १९५१ के पश्चात् कर्मशील हाथ-करघों की संख्या मद्रास में (८,४१,१४०) सर्वाधिक है. तदनन्तर, आसाम (४,७९,८०७), उत्तरप्रदेश (२,५३,३११) और बिहार (१,९२,२१८) का क्रम आता है. मध्यप्रदेश में कुल १,०५,००० हाथ-करघे हैं.

यहां औद्योगिक स्थानीयकरण की कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है. अब सूती कपडे का उद्योग दिनोंदिन उत्तरी-भारत की ओर बढ रहा है. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों में नवीन मिलें स्थापित हो गई हैं, जिससे बम्बई का महत्व क्रमशः घटता जा रहा है. इसी तरह शक्कर उद्योग का भी विकेन्द्रीकरण हो रहा है. यद्यपि उत्तरप्रदेश और बिहार अब भी सब से अधिक शक्कर उत्पन्न कर रहे हैं, तथापि मद्रास और बम्बई सदृश दक्षिणी राज्यों में भी नई नई शक्कर की मिलें खुलती जा रही हैं. बल्लारपुर पेपर मिल्स, चांदा, और नेपा मिल्स (निमाड) के खुल जाने से कागज-उद्योग के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का महत्व बढ गया है. इसी तरह लोहे और फौलाद के उद्योग में भी विकेन्द्रीकरण हो रहा है. उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने उडीसा में एक नया फौलाद का कारखाना खोल दिया है और मध्यप्रदेश में इसी तरह का एक दूसरा कारखाना (भिलाई में) स्थापित किया जा रहा है. भारतवर्ष में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की अभी भी बहुत आवश्यकता है. इसके लिये एक राष्ट्रव्यापी-नीति अपनाई जाना जरूरी है. उद्योगों के स्थानीयकरण पर नियंत्रण रखने के लिये उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, १९५१ द्वारा भारत सरकार को आवश्यक अधिकार भी प्राप्त हैं. तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह उद्योगों के अनुज्ञापन (Licensing) की नीति अपना रही है.

# उत्पादक पूंजी
## (१९५०)
### २९ उद्योगों में लगी हुई
(लाख रू. में)

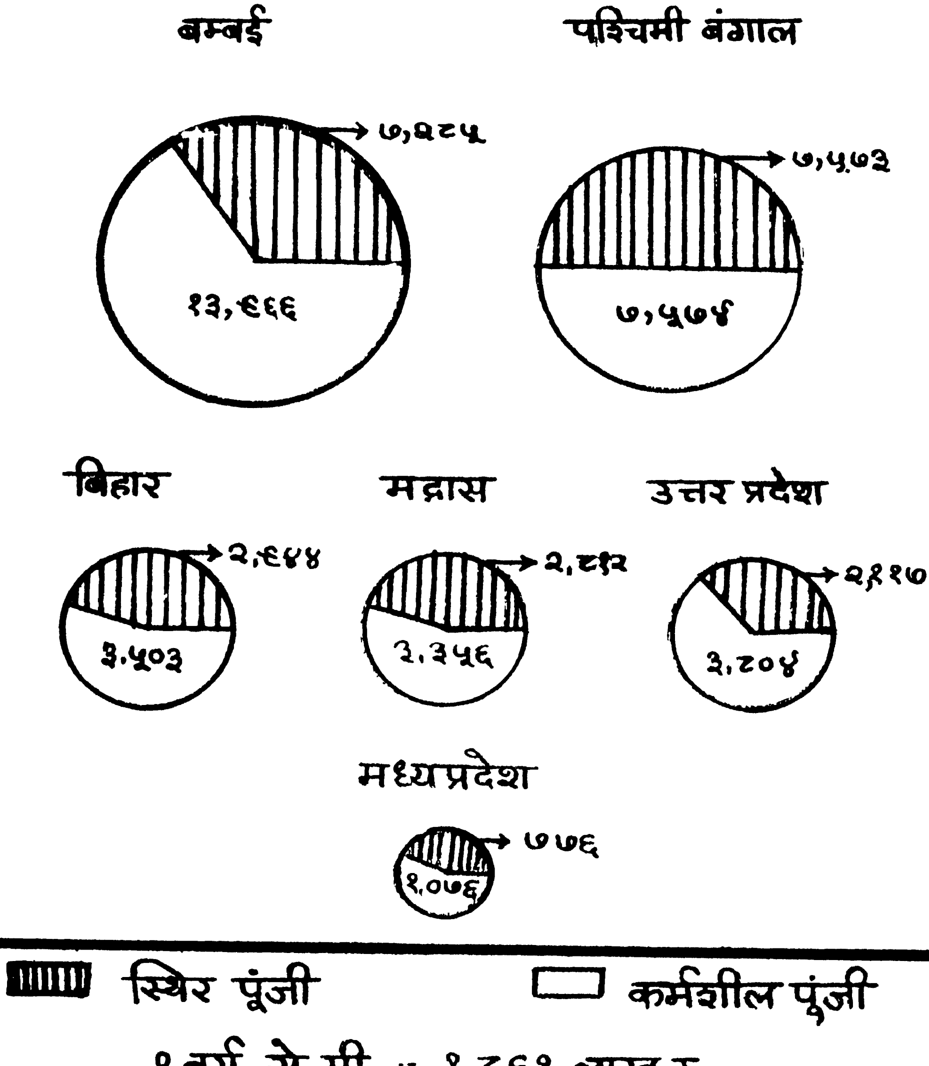


१ वर्ग से. मी. = १,८६१ लाख रू.

## लगी हुई उत्पादक पूँजी, १९५०

| राज्य (१) | कारखाने जिनसे प्रविवरण मिले (प्रतिशतता) (२) | स्थिर-पूंजी (लाखों में) (३) | कर्मशील-पूंजी (लाखों में) (४) | योग (लाखों में) (५) |
|---|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये | रुपय |
| बंगाल (पश्चिमी) ... | ९४ | ७,५७३ | ७,५७४ | १५,१४७ |
| बम्बई ... ... | ९१ | ७,२८५ | १३,९६६ | २१,२५१ |
| मद्रास ... ... | ९८ | २,८१२ | ३,३५६ | ६,१६८ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ८५ | २,११७ | ३,८०४ | ५,९२१ |
| बिहार ... ... | ९७ | २,९४४ | ३,५०३ | ६,४४७ |
| पंजाब ... ... | ८९ | ४४१ | ६८५ | १,१२६ |
| मध्यप्रदेश ... ... | ९९ | ७७६ | १,०७५ | १,८५१ |
| उडीसा ... ... | ९६ | ४४३ | १५२ | ५९५ |
| आसाम ... ... | ९९ | १४ | २०५ | ३४६ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | ९१ | १४५ | १३४ | २७९ |
| पेप्सू ... ... ... | १०० | २९६ | २६८ | ५६४ |
| राजस्थान ... ... | ५९ | ३५० | २८७ | ६३७ |

प्राप्ति स्थान: ५ वीं भारतीय निर्माणी संगणना, १९५०.

## पंजीयित निर्माणियों की संख्या

| राज्य (१) | १९४६ (२) | १९४७ (३) | १९४८ (४) | १९४९ (५) | १९५० (६) |
|---|---|---|---|---|---|
| बंगाल (पश्चिमी) ... | १,२१८ | १,३१६ | १,४०८ | १,४८४ | १,४४४ |
| बम्बई ... ... | ९५९ | १,०२० | १,२३७ | १,५९६ | १,७३६ |
| मद्रास ... ... | १,२४४ | १,३९९ | १,४६५ | १,४७३ | १,४७१ |
| उत्तरप्रदेश ... | ५५९ | ५८१ | ६२३ | ६२३ | ६०५ |
| बिहार ... ... | ३१६ | ३८७ | ३९३ | ४०३ | ३८३ |
| पंजाब ... ... | २५३ | २७९ | ३२२ | ३४१ | ४६८ |
| मध्यप्रदेश ... ... | २०३ | २६७ | २७६ | ३०८ | ३०० |
| उडीसा ... ... | ९७ | १०४ | १०९ | १२६ | १३५ |
| आसाम ... ... | ५८ | ७३ | ७५ | ७९ | ८९ |

**टिप्पणी.**—स्कन्ध (२) से (६) में ऐसी निर्माणियों के समंक समाविष्ट हैं जिनमें २० अथवा २० से अधिक मनुष्यों ने प्रतिदिन काम किया और जिनमें शक्ति का उपयोग किया गया.

**प्राप्ति स्थान:** निर्माणी संगणना.

## स्वामित्व के अनुसार निर्माणियों का वितरण

| राज्य | ऐसी निर्माणियों की संख्या जिनके सम्बन्ध में सूचना मिली | वैयक्तिक स्वामी (प्रतिशत) | भागिता सार्थ (प्रतिशत) | परिसीमित प्रमण्डल | | अन्य (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वैयक्तिक (प्रतिशत) | सार्वजनिक (प्रतिशत) | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| बंगाल (पश्चिमी) | १,३५१ | २२ | २४ | २६ | २६ | २ |
| बम्बई ... | १,५२४ | २२ | ३० | २३ | २१ | ४ |
| मद्रास ... | १,४३१ | २७ | २७ | ३० | १२ | ४ |
| उत्तरप्रदेश ... | ४९१ | १९ | २९ | २४ | २४ | ४ |
| बिहार ... | ३६९ | २० | ४० | १५ | २३ | २ |
| पंजाब ... | ४०८ | २२ | ४९ | २० | ७ | २ |
| मध्यप्रदेश ... | २८८ | ३० | ५१ | ७ | १० | २ |
| उडीसा ... | १२३ | ३३ | ३४ | २० | ९ | ४ |
| आसाम ... | ८८ | १६ | ४१ | २७ | १५ | १ |
| दिल्ली ... | १६५ | २७ | ३७ | १७ | १७ | २ |
| अजमेर ... | ४ | २५ | २५ | २५ | २५ | ... |
| विन्ध्यप्रदेश ... | ७ | १४ | ५८ | १४ | १४ | ... |
| पेप्सू ... ... | १०२ | १५ | ६१ | ८ | १५ | १ |
| राजस्थान ... | ४८ | १५ | ३५ | २१ | २७ | २ |

प्राप्ति स्थान : निर्माणी संगणना, १९५०.

## स्वामित्व के अनुसार निर्माणियों का वितरण ( प्रतिशतताओं में )
(१९५०)

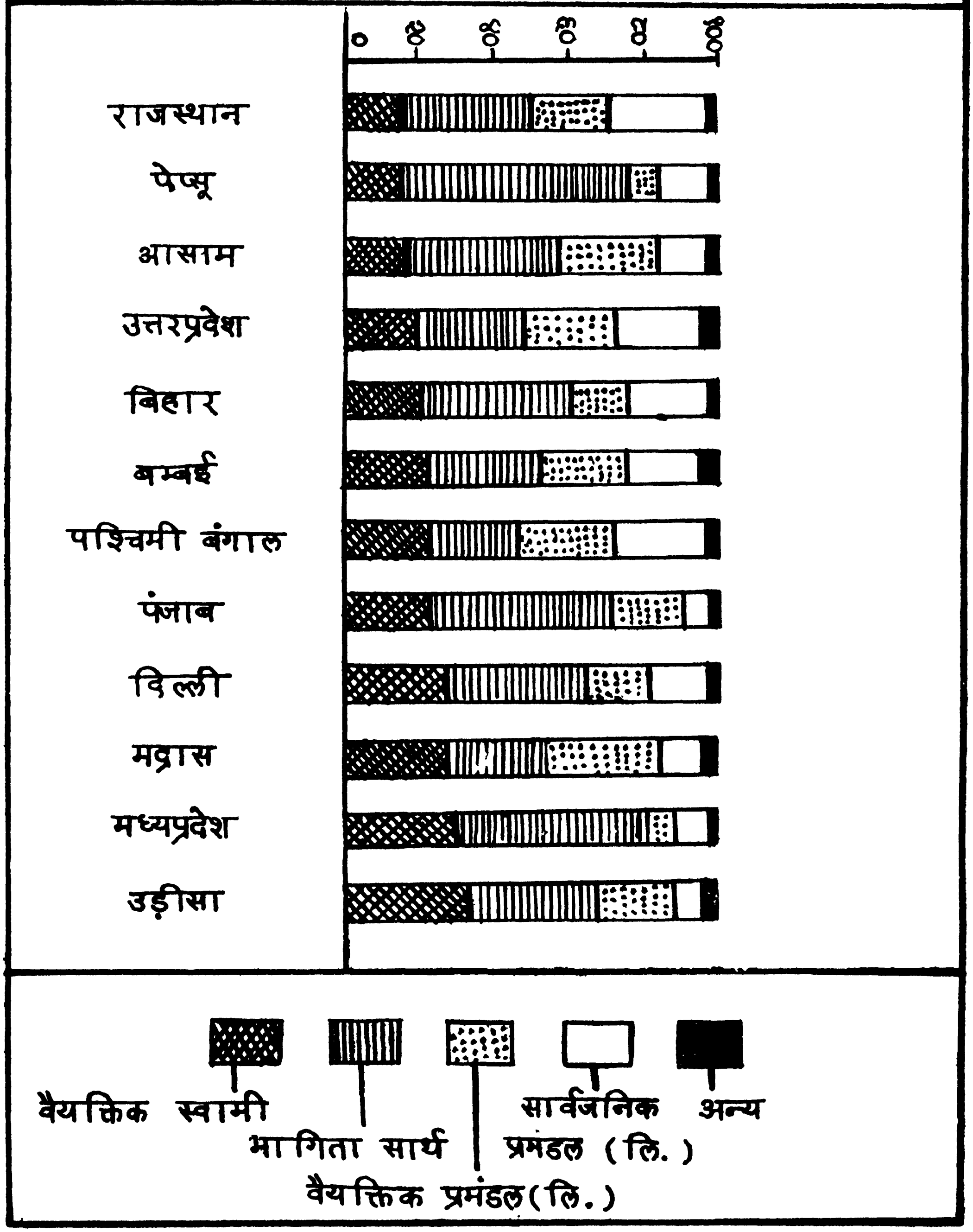

## काँच और काँच का सामान, १९५१

| राज्य | परिमाण — रोशनी संबंधी वस्तुएं (ग्रॉस) | परिमाण — ८ औंस से अधिक समावेश शक्ति-वाली बिना कार्क की शीशियां (ग्रॉस) | परिमाण — ८ औंस या इससे कम समावेश शक्ति-वाली बिना कार्क की शीशियां (ग्रॉस) | उत्पत्ति का मूल्य रुपये |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| बम्बई ... ... | ४३,९४७ | १,२७,८६५ | ७,५६,७५५ | १,७०,७७,२५९ |
| पश्चिमी बंगाल ... | १,२७,१५४ | ८८,८४२ | ३,४६,१८२ | १,५०,५२,७६८ |
| मद्रास ... ... | १,३३,८३६ | १०,१७७ | ११,९६६ | १९,१२,०१० |
| उत्तरप्रदेश ... ... | १,०३,७०१ | ४८,००७ | १,२६,३४२ | ८५,४२,५१८ |
| बिहार ... ... | २२,३३३ | ८३५ | ७०६ | ३४,५२,२०२ |
| मध्यप्रदेश ... ... | ७०,४५५ | १,०७४ | ३१,९२९ | २४,१६,१८२ |
| राजस्थान ... ... | ... | ... | ५०० | ३,३८,४७५ |
| पंजाब, उडीसा, पेप्सू और सौराष्ट्र. | ३३,६१८ | १२,९८६ | ७८,५७८ | १९,५१,५६३ |
| योग ... | ५,३५,०४४ | २,८९,७८६ | १३,५२,९५८ | ५,०७,४२,९७७ |

**टिप्पणी.**—(५) वें स्कन्ध का मूल्य (२), (३) और (४) स्कन्धों में उल्लेखित सामान तथा अन्य कांच के सामान की उत्पत्तियों का संवादी है.

प्राप्ति स्थान: निर्माणी-उद्योग संगणना, १९५१.

"इण्डियन ट्रेड जर्नल", दिनांक ६ फरवरी १९५४ से उद्धरण.

## मृच्छिल्प (Ceramics), १९५१

| राज्य | उत्पत्ति का मूल्य |
|---|---|
| (१) | (२) |
| | रुपये |
| बम्बई ... ... ... | १८,८८,०८६ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | १,३२,२७,५४१ |
| मद्रास ... ... ... | ३,८५,४४३ |
| बिहार ... ... ... | १,६४,०१,१७५ |
| मध्यप्रदेश ... ... | ५३,०१,६३९ |
| दिल्ली ... ... ... | १८,६८,२१८ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | ३३,०७,४३७ |
| उत्तरप्रदेश, पंजाब, उडीसा, विन्ध्य-प्रदेश और त्रावणकोर-कोचीन (केवल कोचीन) | ४,४२,६४३ |
| योग ... | ४,२८,२२,१८२ |

प्राप्ति स्थान: निर्माणी-उद्योग संगणना, १९५१.

"इन्डियन ट्रेड जर्नल", दिनांक १७ अप्रैल १९५४ से उद्धरण.

## फल और शाकभाजी प्रक्रिया, १९५२

| राज्य | उत्पत्ति का मूल्य |
|---|---|
| (१) | (२) |
| | रुपय |
| बम्बई ... ... ... | ५२,५०,९०९ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | ९,४६,१५५ |
| मध्यप्रदेश ... ... | १९,६२,९१२ |
| मद्रास, उत्तरप्रदेश, पंजाब, दिल्ली और पेप्सू. | २०,९६,७४८ |
| योग ... | १,०२,५६,७२४ |

प्राप्ति स्थान: निर्माणी-उद्योग संगणना, १९५२.

"इन्डियन ट्रेड जर्नल", दिनांक ११ नवम्बर १९५४ से उद्धरण.

## सामान्य यान्त्रिकीय और विद्युत् यान्त्रिकीय, १९५१

**[उत्पादक गैस संयन्त्र** (Producer Gas Plant) **का निर्माण मिलाकर],**

| राज्य (१) | वर्ष भर में कारखानों में तैयार की गई सर्व वस्तुओं और उपवस्तुओं का कारखानों का शुद्ध बिक्री मूल्य (२) |
|---|---|
| | रुपये |
| बम्बई ... ... ... | २५,१८,८७,४१९ |
| बंगाल (पश्चिमी) ... | २५,८१,१५,०७६ |
| मद्रास ... ... ... | ३,३२,५९,७५६ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | १,६३,०३,६१६ |
| बिहार ... ... ... | ७,१६,५१,६५४ |
| मध्यप्रदेश ... ... | ७८,०७,०६० |
| पंजाब ... ... ... | २,४२,१९,५५३ |
| दिल्ली ... ... ... | १,८९,६७,५६१ |
| उडीसा ... ... ... | ३३,९१३ |
| राजस्थान ... ... | १६,२०,२६८ |
| पेप्सू ... ... ... | ४०,०९,१२९ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | १८,४०० |
| आसाम ... ... ... | ३२,१४२ |
| त्रावणकोर-कोचीन (केवल कोचीन). | ७,६३,६७२ |
| अजमेर, हिमाचल प्रदेश और कच्छ | १६,४८,६२४ |
| योग ... | ६९,०३,३७,८४३ |

प्राप्ति स्थान: उद्योग निर्माणी संगणना, १९५१.

"इन्डियन ट्रेड जर्नल", दिनांक १५ मई १९५४ से उद्धरण.

## माचिसें, १९५१

| राज्य (१) | उत्पत्ति का मूल्य (२) |
|---|---|
| | रुपये |
| बंगाल (पश्चिमी) ... ... | १,४१,३३,०३८ |
| मद्रास ... ... ... | १,७८,६१,५७८ |
| मध्यप्रदेश ... ... | २,८९,३४८ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | ८,८१,१३४ |
| बम्बई, उत्तरप्रदेश, बिहार, आसाम, त्रावणकोर-कोचीन, राजस्थान और कच्छ. | ३,६४,०९,४२९ |
| योग ... | ६,९५,७४,५२७ |

प्राप्ति स्थान: उद्योग निर्माणी संगणना, १९५१.

"इन्डियन ट्रेड जर्नल", दिनांक ६ फरवरी १९५४ से उद्धरण.

## सन् १९५३ में सूत तथा कपड़े का उत्पादन (हजारों में)

| राज्य (१) | सूत (२) | कपडा (३) | कपडा (४) |
|---|---|---|---|
| | पौंड | पौंड | गज |
| बम्बई ... ... ... | ७,६४,०९९ | ६,८७,७६९ | २९,८८,३९९ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | २२,९७८ | २०,५६० | ८५,०४९ |
| मध्यभारत ... ... | ९०,३९८ | ८५,२२२ | ३,३०,८६३ |
| भोपाल ... ... ... | ४,६८७ | ५,०३५ | १८,२५० |
| अजमेर ... ... ... | १२,२१० | ७,४५४ | २६,९८६ |

## सन् १९५३ में सूत तथा कपडे का उत्पादन (हजारों में)—चालू

| राज्य (१) | सूत (२) | कपडा (३) | कपडा (४) |
|---|---|---|---|
| | पौंड | पौंड | गज |
| राजस्थान ... ... ... | १८,६१७ | ११,४०३ | ३४,७२७ |
| पेप्सू ... ... ... | ५,२०४ | ५,६३० | २०,९१० |
| पंजाब ... ... ... | ७,६५५ | ६,९५७ | ३२,७९५ |
| दिल्ली ... ... ... | ४८,०३९ | ३३,८९४ | १,२३,१३१ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | १,१८,४८१ | ८८,७७२ | ३,४९,१९८ |
| बिहार ... ... ... | २,२५७ | २,३४८ | ९,७८० |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | ५८,७९५ | ४६,७१९ | २,१६,७२४ |
| उडीसा ... ... ... | १०,२८० | ८,३२८ | ३१,५०३ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | ५९,०५६ | ४०,५२४ | १,३८,४२८ |
| हैदराबाद ... ... ... | ३०,२२५ | २६,६२५ | ८६,७७७ |
| मद्रास ... ... ... | २,०३,६२२ | ३९,६९७ | १,२४,९०२ |
| मैसूर ... ... ... | ३२,२२३ | १७,०८५ | ५२,७९४ |
| केराला ... ... ... | १०,५०५ | १,९४९ | ७,३५८ |
| आंध्र ... ... ... | ५,६७८ | ... | ... |
| कच्छ ... ... ... | १८९ | ... | ... |

प्राप्ति स्थान: भारतीय सूती कपड़े का उद्योग वार्षिक, १९५३-५४. (सर्वश्री एम. पी. गांधी एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा प्रकाशित)

## विभिन्न राज्यों में हाथ-करघा उद्योग का विकास

| राज्य का नाम (१) | सक्रिय हाथ करघों की संख्या (१९५१ से चालू) (२) |
|---|---|
| बिहार ... ... ... | १,९२,२१८ |
| हैदराबाद ... ... | २,००,००० |
| मद्रास ... ... ... | ८,४१,१४० |
| मनीपुर ... ... ... | १,२०,८९० |
| उडीसा ... ... ... | १,२९,६३५ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | २,५३,३११ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | ९७,१५१ |
| पंजाब ... ... ... | ४६,३५७ |
| बम्बई ... ... ... | १,६१,२५५ |
| मध्यप्रदेश ... ... | १,०५,००० |
| आसाम ... ... ... | ४,७९,८०७ |

प्राप्ति स्थान: हाथ-करघा बुनाई उद्योग, १९५२-५३ वार्षिक (सर्वश्री एम. पी. गांधी एण्ड कम्पनी, बम्बई, द्वारा प्रकाशित).

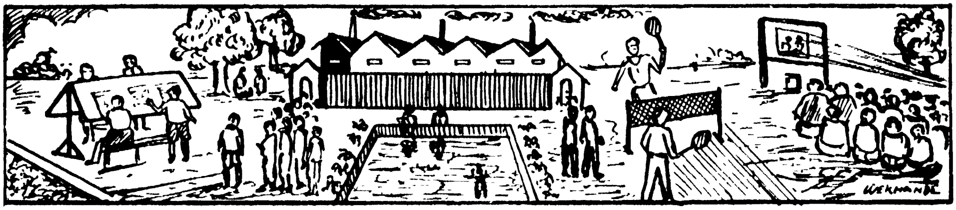

# अध्याय ७
# श्रम

देश की आर्थिक समुन्नति में श्रमिक-वर्ग बहुत सहायक होता है. अतः इस वर्ग के स्वास्थ्य और उसकी कार्य-क्षमता की पूरी-पूरी देखभाल करना बहुत जरूरी है. कम से कम श्रमिकों की भोजन, वस्त्र और मकान संबंधी प्राथमिक आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था तो होनी ही चाहिये. साथही, उनके लिये उन्नत स्वास्थ्य-सेवाओं, सामाजिक-सुरक्षा (Social Security) के आश्वासनों और उपयुक्त शैक्षणिक, मनोरंजक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिये. देश की आर्थिक प्रगति के लिये यह भी जरूरी है कि मिल मालिकों और मजदूरों में पारस्परिक सद्भावना पैदा कर देश में औद्योगिक शांति स्थापित की जावे. अपनी व्यवस्थापन संबंधी व्यथाओं का निराकरण करने के लिये श्रमिकों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये. साथही, अपने अधिकारों एवं हितों के संरक्षणार्थ उन्हें संगठित होने तथा वैधानिक कार्यवाही करने का भी पूरा-पूरा अवसर मिलना चाहिये. उपरोक्त सुविधाओं एवं अधिकारों के उपलक्ष में श्रमिकों पर भी यह नैतिक उत्तरदायित्व आ जाता है, कि वे अपने काम को नियमित रूप से लगन के साथ करें.

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने श्रमिकों की आवश्यकताओं का सदैव ही ध्यान रखा है. उनकी विविध समस्याओं का निराकरण करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिये समयानुसार अनेक श्रम-अधिनियम पारित किये गये हैं. यद्यपि निर्माणियों, कामगार-संघों तथा श्रमिकों की मृत्यु और अन्य विविध हानियों की क्षतिपूर्ति से संबंधित अधिनियम बहुत पहिले से ही लागू थे, तथापि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही इस क्षेत्र में ठोस प्रगति दृष्टिगत हुई. स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् बनाये गये अधिनियमों में औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act), १९४७ ; निर्माणी अधिनियम (Factories Act), १९४८ ; कोयले की खानों का भविष्य-निधि व बोनस योजना अधिनियम (Coal Mines Provident Fund and Bonus Scheme Act) ; न्यूनतम भृत्ति अधिनियम (Minimum Wages Act) ; श्रमिक राज्य-बीमा योजना अधिनियम (Employees' State Insurance Scheme Act), १९४८ ; रोपण-श्रमिक अधिनियम (Plantation Labour Act), १९५१ ; और भविष्य-निधि अधिनियम (Provident Fund Act), १९५२ प्रमुख हैं.

प्रस्तुत लेख में विभिन्न राज्यों के श्रम संबंधी कुछ पहलुओं का तुलनात्मक विवेचन किया गया है. सन् १९५३ में मध्यप्रदेश में निर्माणी अधिनियम के अंतर्गत निर्माणियों में काम करनेवाले श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या १,०७,९५८ थी. तत्पश्चात् "अ" वर्गीय राज्यों में क्रमशः बम्बई (७,३३,३४२), पश्चिमी बंगाल (६,२०,०८२), अविभाजित मद्रास (४,३९,९६७), उत्तरप्रदेश (२,३६,२३३), बिहार (१,६०,६०६), आसाम (५९,२२९), पंजाब (४९,२३४) और उडीसा (१८,३१६) का क्रम आता है. इस तरह निर्माणी-सेवानियोजन में मध्यप्रदेश का छठवां

स्थान आता है. उडीसा में निर्माणी-श्रमिकों की संख्या सबसे कम होते हुए भी सन् १९४७ की अपेक्षा सन् १९५३ में श्रमिक-संख्या की प्रतिशत-वृद्धि सर्वाधिक (७२.९) थी. इसी सिलसिले में उडीसा के बाद "अ" वर्गीय राज्यों में क्रमशः मद्रास (५९.१ प्रतिशत), पंजाब (३१.३ प्रतिशत), बिहार (१७.४ प्रतिशत), मध्यप्रदेश (११.० प्रतिशत), आसाम (५.५ प्रतिशत) और बम्बई (४.४ प्रतिशत) का स्थान आता है. उल्लेखनीय है कि इसी अवधि (सन् १९४७—५३) में पश्चिमी बंगाल और उत्तरप्रदेश की निर्माणी-श्रमिक-संख्या में क्रमशः ७.१ प्रतिशत और १.७ प्रतिशत ह्रास हुआ है.

जहां तक खानों के सेवानियोजन का प्रश्न है, बिहार का स्थान सर्वप्रथम आता है. सन् १९५१ में वहां २,४७,७८० श्रमिक खानों में काम करते थे. यह संख्या समस्त भारतवर्ष की खानों में काम करनेवाले श्रमिकों की तुलना में ४७ प्रतिशत होती है. बिहार के बाद इसी क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल (९६,२९३), मध्यप्रदेश (७५,९९४), उडीसा (२५,६४९), मद्रास (२२,७४८) तथा मैसूर (२१,९३२) का क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठवां स्थान आता है. भविष्य में भूमिगत विपुल खनिज पदार्थों का विदोहन किया जाने पर मध्यप्रदेश में खानों की सेवानियोजन-क्षमता काफी बढ सकती है.

सन् १९४७ के बाद लगभग सभी राज्यों में २०० रुपये से कम वार्षिक अर्जन करनेवाले निर्माणी-श्रमिकों के अर्जन ( Earnings ) में निरंतर वृद्धि हो रही है. सन् १९४९ की अपेक्षा सन् १९५२ में निर्माणी-श्रमिकों के वार्षिक-अर्जन की प्रतिशत-वृद्धि उडीसा में ६०.७६, बिहार में ४४.६०, पश्चिमी बंगाल में १७.७२, मद्रास में १५.३०, आसाम में १५.२४, बम्बई में १०.६४, मध्यप्रदेश में ४.१५ और उत्तरप्रदेश में १.०० थी. केवल पंजाब में ही उक्त प्रतिशतता ६.०९ से घट गई थी. किन्तु वहां भी सन् १९४९ की अपेक्षा सन् १९५३ में श्रमिकों का औसत वार्षिक अर्जन अधिक था.

निर्माणी-श्रमिकों की आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये उनके औसत वार्षिक अर्जन के अतिरिक्त इस वर्ग के जीवन-निर्वाह-व्यय पर भी विचार करना जरूरी है. सन् १९५२ में तत्संबंधी जीवन-निर्वाह-व्यय देशनांक (आधारवर्ष १९४९) बम्बई का ११०, अहमदाबाद का १०४, शोलापुर (बम्बई राज्य) का १०४, खडगपुर (पश्चिमी बंगाल) का ९७, कानपुर (उत्तरप्रदेश) का ९२, मद्रास (मद्रास राज्य) का १०२, नागपुर का १०१, जबलपुर (मध्यप्रदेश) का ९९, झरिया का ११०, जमशेदपुर (बिहार) का ११२, गौहाटी (आसाम) का १११, कटक (उडीसा) का १०९ और लुधियाना (पंजाब) का ९२ था. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी राज्यों में इस वर्ग के औसत वार्षिक अर्जन की प्रतिशत वृद्धि उसके जीवन-निर्वाह-व्यय संबंधी प्रतिशत-वृद्धि से अधिक थी. कुछ राज्यों में जीवन-निर्वाह-व्यय बढने की अपेक्षा घट गया है. उदाहरणार्थ, पंजाब में औसत वार्षिक अर्जन की तुलना में जीवन-निर्वाह-व्यय काफी घट गया है. तात्पर्य यह है कि गत कुछ वर्षों में निर्माणी-श्रमिकों की आर्थिक-स्थिति में अवश्य ही कुछ सुधार हुआ है.

श्रमिक को उसकी भृत्ति के अलावा मिल मालिक और सरकार द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं. श्रम-कल्याण के लिये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ६.७४ करोड रुपये की निधि निर्धारित की गई है. इसी प्रकार औद्योगिक गृह-निर्माण के लिये योजना में ४८.६९ करोड रुपये की निधि निर्धारित की गई है, जिसमें से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें क्रमशः ३८.५० करोड रुपये और १०.१९ करोड रुपये के व्यय का भार वहन करेंगी. पंचवर्षीय योजना के गृह-निर्माण-कार्य के अतिरिक्त सितम्बर १९५२ से केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त एक दूसरी गृह-निर्माण-योजना कार्यान्वित की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, मिल मालिकों और सहकारी समितियों को ऋण और अर्थ-साहाय्य ( Subsidies ) के रूप में वित्तीय सहायता देती है. सितम्बर १९५२ से मार्च १९५४ तक बम्बई को सर्वाधिक (११३.४१ लाख रुपये) ऋण मिला. तत्पश्चात् ऋण-प्राप्ति में उत्तरप्रदेश (८५.१ लाख रुपये), हैदराबाद (४९.१ लाख रुपये), मध्यभारत (४६.४ लाख रुपये) और मैसूर (३६.७ लाख रुपये) का क्रम आता है. इसी प्रकार इसी अवधि में उत्तरप्रदेश को सर्वाधिक (८५.१ लाख रुपये) अर्थ-साहाय्य प्राप्त हुआ उसके बाद हैदराबाद (४८.९ लाख रुपये), मध्यभारत (४६.० लाख रुपये), और

मैसूर (३३.५ लाख रुपये) का क्रम आता है. इसी अवधि में मध्यप्रदेश को केवल १०.२ लाख रुपये का ऋण और ९.९ लाख रुपये का अर्थ-साहाय्य प्राप्त हुआ.

विभिन्न राज्यों में निर्माणी-दुर्घटनाओं की विभिन्न दरें (प्रति हजार सेवायुक्त श्रमिकों के हिसाब से) यह स्पष्ट करती हैं कि श्रमिक-व्यवसाय कहां अधिक संकटमय है और कहां कम. सन् १९५१ में सभी "अ" वर्गीय राज्यों में दुर्घटनाओं (प्राणघातक और साधारण-दोनों ही) की दर बम्बई में सर्वाधिक (३७.४०) थी. तत्पश्चात् पश्चिमी बंगाल (३१.७३), बिहार (२६.८५) उत्तरप्रदेश (२६.६२), पंजाब (१८.९२), मध्यप्रदेश (१६.३८), मद्रास (१५.९३), आसाम (१४.०६) और उडीसा (८.९६) का क्रम आता है.

औद्योगिक-विवाद की तालिका सन् १९५० और सन् १९५१ में विवादों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या और श्रमिक-दिनों ( Man-days ) की हानि संबंधी जानकारी प्रस्तुत करती है. सन् १९५१ में सभी "अ" वर्गीय राज्यों में सर्वाधिक विवाद बम्बई में (३१९) हुए. विवादों में अंतर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या तथा श्रमिक-दिनों की हानि भी बम्बई में क्रमशः १,८९,६९६ और १०,९९,३६९ सर्वाधिक थी. तदनन्तर विवादों की संख्या और श्रमिक-दिनों की हानि की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल का क्रम द्वितीय (क्रमशः २१४ और ८,१८,६७७) और अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या की दृष्टि से उसका क्रम तृतीय (१,०५,७४५) था. विवादों की संख्या और श्रमिक-दिनों की हानि की दृष्टि से मद्रास का स्थान तृतीय (क्रमशः १९८ और (५,७२,०९९) और अन्तर्ग्रस्त श्रमिक संख्या की दृष्टि से चतुर्थ (१,०२,८८०) स्थान था. अन्तर्ग्रस्त श्रमिक-संख्या, श्रमिक-दिनों की हानि और विवादों की संख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश का स्थान क्रमशः दूसरा (१,१७,६३९), चौथा (५,०२,८६३) और छठवां (८१) था. पश्चिमी बंगाल और मद्रास की तुलना में विवादों की संख्या मध्यप्रदेश में कम थी जबकि अन्तर्ग्रस्त श्रमिक-संख्या अधिक. उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की अपेक्षा पश्चिमी बंगाल और मद्रास में सेवायुक्त श्रमिकों की संख्या अधिक है. तात्पर्य यह कि मध्यप्रदेश के श्रमिक अपने हितों एवं अधिकारों के प्रति अधिक सजग हैं.

शीर्षकान्तर्गत अंतिम तालिका विभिन्न राज्यों में कामगार-संघों का तुलनात्मक परिचय देती है. पश्चिमी बंगाल में पंजीयित कामगार संघों की संख्या सर्वाधिक है. तत्पश्चात् मद्रास, बम्बई, उत्तरप्रदेश और बिहार का स्थान आता है. किन्तु उड़ीसा, पंजाब और मध्यप्रदेश जसे औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए राज्यों में कामगार आन्दोलन का अभी भी वान्छित विकास नहीं हुआ है.

## निर्माणी अधिनियम के अधीन निर्माणियों में सेवायोजन

| राज्य | सेवायुक्त श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | १९४७ | १९४८ | १९४९ | १९५० |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| आसाम ... ... ... ... | ५६,११९ | ५९,५६३ | ६१,१३२ | ६१,२६२ |
| बिहार ... ... ... ... | १,३६,८३४ | १,४८,२०८ | १,५५,३३४ | १,८०,२०४ |
| बम्बई ... ... ... ... | ७,०२,४६५ | ७,३७,४६० | ७,८९,४६३ | ७,७३,३३२ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... ... | ९७,२१९ | १०१,६४६ | ९६,२७३ | १,००,०५६ |
| आंध्र और मद्रास ... ... | २,७६,५८६ | २,८८,७२२ | ३,२३,९५० | ३,९१,४५७ |
| उडीसा ... ... ... ... | १०,५९२ | १२,३२९ | १३,३५९ | १४,४३९ |
| पंजाब ... ... ... ... | ३७,४८६ | ३६,६२५ | ३९,३४२ | ५०,४१३ |
| उत्तरप्रदेश ... ... ... ... | २,४०,३९६ | २,४२,०८३ | २,३३,८३७ | २,३२,६९५ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... ... | ६,६७,६२६ | ६,८७,७०१ | ६,६५,००८ | ६,४१,६९४ |
| अजमेर ... ... ... ... | १५,८६४ | १५,८७७ | १५,३८० | १६,५९७ |
| कुर्ग ... ... ... ... | ११७ | ७४ | ८२ | ४८५ |
| दिल्ली ... ... ... ... | ३१,३२० | ३६,८९४ | ३८,८०६ | ४०,२६८ |
| अन्दमान और निकोबार द्वीप ... ... | २,०६५ | २,०१९ | २,००० | १,४९७ |

प्राप्ति स्थान : कामर्स वार्षिक समालोचन अंक (दिसम्बर, १९५४).

## निर्माणी अधिनियम के अधीन निर्माणियों में सेवायोजन

| राज्य | सेवायुक्त श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या १९५१ | १९५२ | (अ) १९५३ | १९५३ में १९४७ से तुलनात्मक बढती अथवा घटती की प्रतिशतता (+अथवा—) |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| आसाम ... ... ... | ६५,१३६ | ६६,६२० | ५९,२२९ | +५.५ |
| बिहार ... ... ... ... | १,९१,७२४ | १,७२,४८६ | १,६०,६०६ | +१७.४ |
| बम्बई ... ... ... ... | ७,६७,७०४ | ७,४४,५०९ | ७,३३,३४२ | +४.४ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | १,१०,९९४ | १,००,८४२ | १,०७,९५८ | +११.० |
| आंध्र और मद्रास ... ... | ४,१७,५४५ | ४,००,३७९ | ४,३९,९६७ | +५९.१ |
| उडीसा ... ... ... | १७,१८६ | १८,०८८ | १८,३१६ | +७२.९ |
| पंजाब ... ... ... ... | ४८,१७५ | ५२,८२२ | ४९,२३४ | +३१.३ |
| उत्तरप्रदेश ... ... ... | २,०२,५१४ | २,०६,८३२ | २,३६,२३३ | —१.७ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... ... | ६,५४,९०१ | ६,२६,६३१ | ६,२०,०८२ | —७.१ |
| अजमेर ... ... ... ... | १६,०२७ | १५,६०३ | १४,६६७ | —७.५ |
| कुर्ग ... ... ... ... | ३६६ | ३८० | ४५३ | +२८७.२ |
| दिल्ली ... ... ... ... | ४२,६३५ | ३६,९९३ | ३८,६५८ | +२३.४ |
| अन्दमान और निकोबार द्वीप ... | १,६३७ | १,२६४ | १,४८४ | —२८.१ |

(अ) तत्कालिक.

प्राप्ति स्थान : कामर्स वार्षिक समालोचन अंक (दिसम्बर, १९५४).

## खानों में सेवायोजन (१९५१)

**(सभी खानें)**

| राज्य | भूमिगत | खुले कार्य | उपरितल | योग |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| आसाम ... ... | २,३५० | ५७६ | १,७०५ | ४,६३१ |
| बिहार ... ... | १,०३,३२५ | ५३,६५४ | ९०,८०१ | २,४७,७८० |
| बम्बई ... ... | ३५५ | ३,९५४ | १,३८३ | ५,६९२ |
| मध्यप्रदेश ... ... | १८,६४३ | ३८,२१० | १९,१४१ | ७५,९९४ |
| मद्रास ... ... | ३,९६९ | १४,६९७ | ४,०८८ | २२,७४८ |
| उडीसा ... ... | ४,२७९ | १३,०३० | ८,३४० | २५,६४९ |
| पंजाब ... ... | १२ | ५१८ | १७ | ५४७ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ... | ४८५ | ५३३ | १,०१८ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ५४,९०९ | ४,९०६ | ३६,४७८ | ९६,२९३ |
| हैदराबाद ... ... | १०,१७१ | ३१ | ७,६१५ | १७,८१७ |
| मैसूर ... ... | १२,९७६ | ७२६ | ८,२३० | २१,९३२ |
| राजस्थान ... ... | ४,५३३ | ९,७५९ | ३,३३५ | १७,६२७ |
| त्रावनकोर-कोचीन ... | ... | ९३६ | ८३८ | १,७७४ |
| दिल्ली ... ... | २५ | ... | २४ | ४९ |
| हिमाचल प्रदेश ... ... | १०४ | ... | ३८ | १४२ |
| कच्छ ... ... | ... | ... | ३ | ३ |
| विन्ध्य प्रदेश ... ... | ४,६६७ | २,०९२ | २,५९३ | ९,३५२ |
| योग ... | २,२०,३१२ | १,४३,५७४ | १,८५,१६२ | ५,४९,०४८ |

प्राप्ति स्थान : भारतीय श्रम वार्षिक पुस्तिका (१९५१-५२).

## प्रतिमाह २०० रु. से कम पानेवाले निर्माणी श्रमिकों का औसत वार्षिक अर्जन

| राज्य (१) | १९३९ (२) | १९४७ (३) | १९४८ (४) | १९४९ (५) | १९५० (६) |
|---|---|---|---|---|---|
| | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| आंध्र ... ... ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| आसाम ... ... | २६३.७ | ७५५.५ | ७९५.८ | ९४२.८ | १,०१८.६ |
| बिहार ... ... ... | ४१५.५ | ८१९.८ | ९४६.२ | ९८३.९ | १,०५९.१ |
| बम्बई ... ... ... | ३७०.४ | ९७७.९ | १,१४१.९ | १,२१०.१ | १,१७०.३ |
| मध्यप्रदेश ... ... | अप्राप्य | ५७२.३ | ६०९.२ | ८४१.९ | ९३६.८ |
| मद्रास ... ... ... | १७५.९ | ५६०.३ | ६११.८ | ७२६.६ | ५९१.२ |
| उडीसा ... ... | १६१.८ | ४९३.६ | ६१२.६ | ५२७.० | ६८०.६ |
| पंजाब ... ... ... | २९६.० | ६२८.२ | ६७५.९ | ८५८.७ | ७७१.३ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | २३५.६ | ६७२.८ | ८८७.१ | ९९३.० | ९३३.० |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | २४८.७ | ५६७.७ | ७२३.९ | ८३९.० | ८७७.५ |
| अजमेर ... ... ... | १६३.७ | ४४५.३ | ५२७.२ | ५५२.० | ६६०.० |
| दिल्ली ... ... ... | ३०९.४ | ८७७.७ | १,०४७.३ | १,०२८.४ | १,०६१.६ |
| त्रावनकोर-कोचीन ... | अप्राप्य | अप्राप्य | अप्राप्य | अप्राप्य | अप्राप्य |
| अन्दमान और निकोबार द्वीप ... | अप्राप्य | अप्राप्य | अप्राप्य | अप्राप्य | ७३२.९ |

## प्रतिमाह २०० रु. से कम पानेवाले निर्माणी श्रमिकों का औसत वार्षिक अर्जन

| राज्य (१) | १९५१ (७) | १९५२ (८) | १९५३(ब) (९) | सन् १९४९ की तुलना में सन् १९५२ में प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा कमी (—) (१०) |
|---|---|---|---|---|
| | रुपये | रुपये | रुपये | |
| आन्ध्र ... ... | ... | ... | ८८९.८ | ... |
| आसाम ... ... | १,०१७.९ | १,०८६.५ | १,२६५.१ | +१५.२४ |
| बिहार ... ... | १,२४१.५ (अ) | १,४२२.७ | अप्राप्य | +४४.६० |
| बम्बई ... ... | १,२७०.५ (अ) | १,३३८.८ | १,३४४.६ | +१०.६४ |
| मध्यप्रदेश ... ... | ८६२.० | ८७६.८ | ८९८.० | +४.१५ |
| मद्रास ... ... | ६६४.९ | ८३७.८ | ८०४.७ | +१५.३० |
| उडीसा ... ... | ७६२.४ | ८४७.२ | ८८०.८ | +६०.७६ |
| पंजाब ... ... | ७५६.० | ८०६.४ | ८९०.९ | —६.०९ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ९६०.४ (अ) | १,००२.९ | अप्राप्य | +१.०० |
| पश्चिमी बंगाल ... | ९४२.३ | ९८७.७ | अप्राप्य | +१७.७२ |
| अजमेर ... ... | ६९४.२ | ७०२.० | अप्राप्य | +२७.१७ |
| दिल्ली ... ... | १,२९२.६ | १,३४०.५ | १,३११.६ | +३०.३५ |
| त्रावनकोर-कोचीन ... | ६३२.१ | ६८३.० | अप्राप्य | अप्राप्य |
| अन्दमान और निकोबार द्वीप | ७१८.१ | ८६४.० | अप्राप्य | अप्राप्य |

(अ) अपूर्ण. (ब) तत्कालिक.

टिप्पणी.—इस तालिका में रेल्वे-वर्कशाप और अन्न, मादक पेय, तम्बाखू, जिन्स तथा मुद्रणालयों के वर्ग समाविष्ट नहीं हैं.

प्राप्ति स्थान : कामर्स वार्षिक समालोचन अंक (दिसम्बर १९५४).

## औद्योगिक श्रमिकों के जीवन-निर्वाह-व्यय देशनांक

**(आधार वर्ष १९४९)**

| शहर व नगर | राज्य | १९५० | १९५१ | १९५२ | १९५३ | आठ माह का औसत— जनवरी— अगस्त १९५४ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| **संपूर्ण भारतवर्ष** | | १०१ | १०५ | १०३ | १०६ | १०२ |
| वम्बई | वम्बई | १०२ | १०८ | ११० | ११८ | ११७ |
| अहमदाबाद | ,, | १०४ | १०५ | १०४ | १११ | १०१ |
| सोलापुर | ,, | ९७ | १०५ | १०४ | १०८ | १०० |
| खडगपुर | पश्चिमीबंगाल | १०० | ९९ | ९७ | १०१ | ९३ |
| कानपुर | उत्तर प्रदेश | ९१ | ९४ | ९२ | ९५ | ८७ |
| मद्रास | मद्रास | १०१ | १०३ | १०२ | १०९ | १०६ |
| एर्नाकुलम | त्रावनकोर-कोचीन | १०२ | १०६ | १०६ | १०७ | १०८ |
| नागपुर | मध्यप्रदेश | ९९ | १०४ | १०१ | १०३ | ९९ |
| जबलपुर | ,, | १०१ | १११ | ९९ | १०० | ९४ |
| दिल्ली | दिल्ली | १०० | १०८ | १०८ | १०६ | १०४ |
| अजमेर | अजमेर | १०४ | १११ | १०८ | १०४ | ९२ |
| झरिया | विहार | ११४ | ११६ | ११० | १०४ | ८५ |
| जमशेदपुर | ,, | १०५ | ११६ | ११२ | १११ | १०२ |
| गौहाटी | आसाम | ९८ | ११० | १११ | १०२ | ८९ |
| कटक | उडीसा | १११ | १२३ | १०९ | १०७ | १०० |
| लुधियाना | पंजाव | १०१ | १०२ | ९२ | ९० | ९१ |
| मर्करा | कुर्ग | १०५ | १०६ | ९९ | १०५ | १०५ |
| वंगलोर | मैसूर | १०५ | ११५ | ११५ | ११४ | १०८ |
| हैदरावाद | हैदरावाद | १०५ | १०८ | १०६ | ११५ | ११० |

प्राप्ति स्थान : कामर्स वार्षिक समालोचन अंक (दिसम्बर, १९५४).

## भारत सरकार की राज्य साहाय्यित औद्योगिक गृह-निर्माण योजना की प्रगति

**(सितम्बर १९५२ से मार्च १९५४ तक)**

| राज्य | अभिकरणों को संमोदित साहाय्य (राज्य सरकारें, सेवायोजक और सहकारी संस्थाएं) | | गृहों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | ऋण | साहाय्य | संमोदित | निर्मित |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| आंध्र ... ... | १.४ | १.० | १५६ | ... |
| भोपाल ... ... | ३.४ | ३.४ | २५० | ... |
| बिहार ... ... | ६.९ | ८.२ | १,३७० | ७०४ |
| बम्बई ... ... | ११३.४१ | ११.३ | ६,५२३ | ३,४९९ |
| दिल्ली ... ... | १८.६ | १८.६ | १,३७६ | ... |
| हिमाचल प्रदेश ... ... | ०.५ | ०.३ | ५० | ... |
| हैदराबाद ... ... | ४९.१ | ४८.९ | ४,००४ | ६०१ |
| मध्यभारत ... ... | ४६.४ | ४६.० | ३,५४४ | १,८५२ |
| मध्यप्रदेश ... ... | १०.२ | ९.९ | ८५० | ... |
| मद्रास ... ... | ३.२ | २.१ | ३६८ | ११२ |
| मैसूर ... ... | ३६.७ | ३३.५ | ३,०५७ | ४१२ |
| उडीसा ... ... | ९.९ | ७.९ | ८८१ | ५६० |
| पेप्सू ... ... | १.३ | ०.८ | १५० | ... |
| पंजाब ... ... | ८.५ | ७.२ | ७५२ | २२० |
| राजस्थान ... ... | ३.१ | २.१ | ३६८ | ... |
| सौराष्ट्र ... ... | ९.८ | ९.४ | ७९२ | ४३८ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ८५.१ | ८५.१ | ६,५२७ | ३,६६० |
| पश्चिमी बंगाल ... | ४.८ | १७.७ | ९६८ | २०० |

प्राप्ति स्थान : स्वतंत्रता का सातवां वर्ष (अगस्त १९५३—अगस्त १९५४) (अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रकाशन).

# औद्योगिक विवाद, १९५०-५१

| राज्य | १९५० | | | १९५१ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विवादों की संख्या | अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या | श्रमिक दिनों की हानि की संख्या | विवादों की संख्या | अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या | श्रमिक दिनों की हानि की संख्या |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| आसाम ... ... | ११ | ३,६५९ | ५,६५२ | २४ | १७,४५१ | २२,९८४ |
| बिहार ... ... | ६६ | २५,०२९ | ३,६५,३४१ | ८८ | ३०,३४५ | २,१४,२५५ |
| बम्बई ... ... | २७१ | ३,६८,३०३ | १,०२,४९,५५० | ३१९ | १,८९,६९६ | १०,९९,३६९ |
| मध्यप्रदेश ... ... | ६५ | ८४,७१२ | ३,३७,२७७ | ८१ | १,१७,६३९ | ५,०२,८६३ |
| मद्रास ... ... | १०५ | ५८,४०६ | ३,५७,६२७ | १९८ | १,०२,८८० | ५,७२,०९९ |
| उडीसा ... ... | ५ | ३,४५० | २३,३०० | ३ | ६,५७८ | ४२,६७० |
| पंजाब ... ... | ५० | ७,७८६ | ६७,६९७ | १६ | ६,८५९ | २९,०६३ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ७४ | ४५,२३८ | २,१६,५८२ | १०८ | ७५,००८ | ३,८१,३१३ |
| पश्चिमी बंगाल ... | १३८ | १,०४,८६६ | ११,५३,४१९ | २१४ | १,०५,७४५ | ८,१८,६७७ |
| अजमेर ... ... | २३ | १५,७६९ | २७,०३८ | ९ | ६,१८५ | ५,९६० |
| दिल्ली ... ... | ६ | २,६६५ | ३,२२१ | ११ | ३,२९३ | १,२९,६७५ |
| योग ... | ८१४ | ७,१९,८८३ | १,२८,०६,७०४ | १,०७१ | ६,९१,३२१ | ३८,१८,९२८ |

प्राप्ति स्थान : भारतीय श्रम वार्षिक पुस्तिका (१९५१-५२) (भारत सरकार प्रकाशन, १९५४, में प्रकाशित).

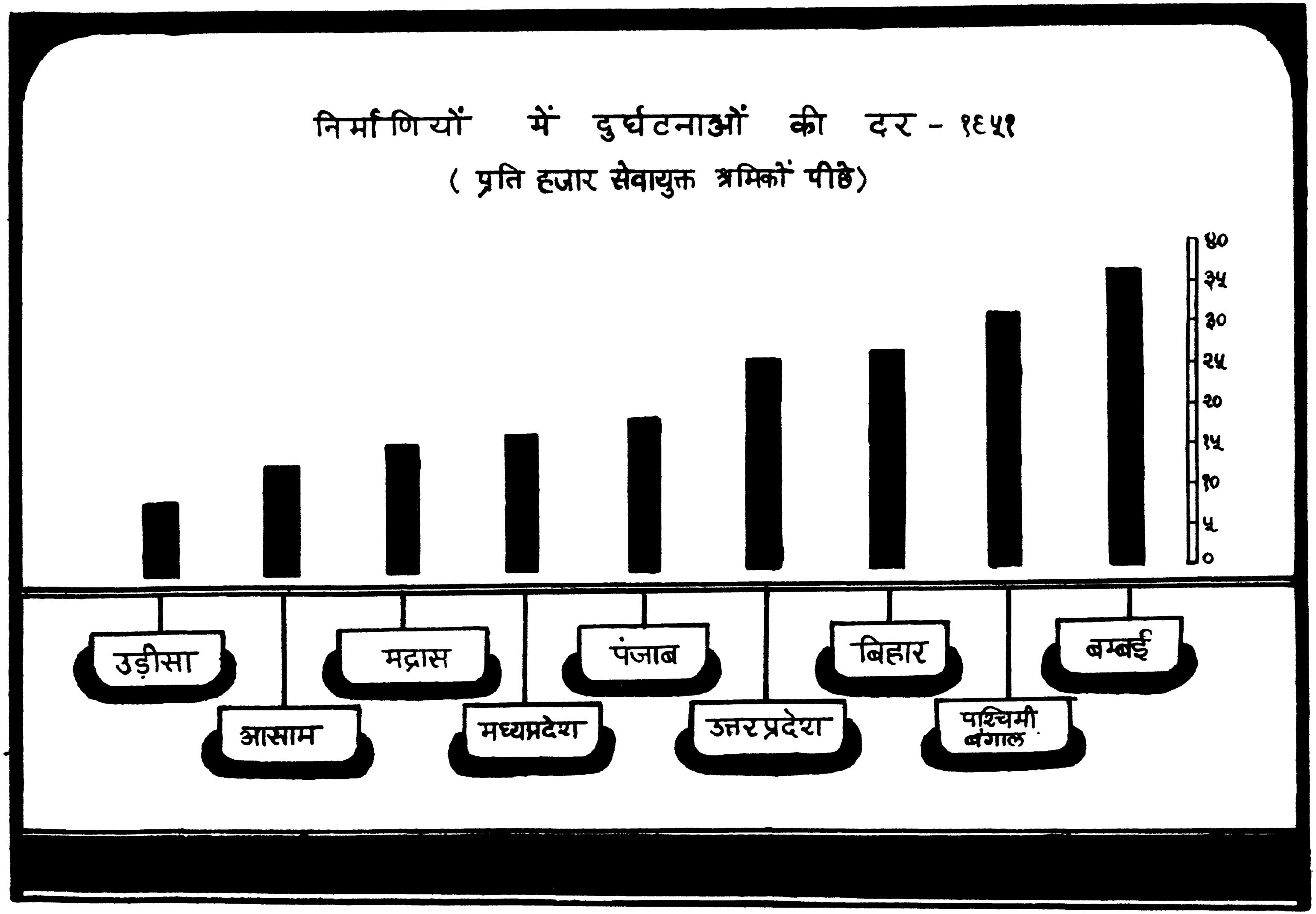
निर्माणियों में दुर्घटनाओं की दर - १९५१
( प्रति हजार सेवायुक्त श्रमिकों पीछे)
४०
३५
३०
२५
२०
१५
१०
५
०
उड़ीसा
आसाम
मद्रास
मध्यप्रदेश
पंजाब
उत्तरप्रदेश
बिहार
पश्चिमी बंगाल
बम्बई

## सन् १९५१ में घटित निर्माणियों की दुर्घटनाएं

| राज्य | घातक | | साधारण | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रति १,००० सेवायुक्त श्रमिकों में अनुपात | संख्या | प्रति १,००० सेवायुक्त श्रमिकों में अनुपात | संख्या | प्रति १,००० सेवायुक्त श्रमिकों में अनुपात |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| आसाम ... ... | ८ | ०.१२ | ९०८ | १३.९४ | ९१६ | १४.०६ |
| बिहार ... ... | २९ | ०.१५ | ५,१३० | २६.७० | ५,१५९ | २६.८५ |
| बम्बई ... ... | ५८ | ०.०८ | २८,८८१ | ३७.६२ | २८,९३९ | ३७.४० |
| मध्यप्रदेश ... ... | १३ | ०.१२ | १,८०५ | १६.२६ | १,८१८ | १६.३८ |
| मद्रास ... ... | २८ | ०.०७ | ६,८२२ | १५.८६ | ६,६५० | १५.९३ |
| उडीसा ... ... | १ | ०.०६ | १५३ | ८.९० | १५४ | ८.९६ |
| पंजाब ... ... | ६ | ०.१२ | ९०६ | १८.८० | ९१२ | १८.९२ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | २९ | ०.१४ | ५,९७० | २९.४८ | ५,९९९ | २९.६२ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ५४ | ०.०८ | २०,७२६ | ३१.६५ | २०,७८० | ३१.७३ |
| अजमेर ... ... | ... | ... | ३,२२९ | २०१.४७ | ३,२२९ | २०१.४७ |
| दिल्ली ... .. | ७ | ०.१६ | १,३२० | ३०.९६ | १,३२७ | ३१.१२ |
| अंदमान और निकोबार द्वीप | १ | ०.६१ | ६३ | ३०.४९ | ६४ | ३०.१० |
| योग ... | २३४ | ०.०९ | ७५,७१३ | २९.८४ | ७५,९४७ | २९.९३ |

प्राप्ति स्थान : भारतीय श्रम वार्षिक पुस्तिका (१९५१-५२) (भारत सरकार प्रकाशन, १९५४ में प्रकाशित).

## कामगार संघों की संख्या व सदस्यता
### (१९५०-५१ वर्ष के अन्त तक पंजीयित)

| राज्य | पंजीयित संघा की संख्या | सूचना उपस्कृत संघों की संख्या | विवरण प्रेषित करने वाले संघों की सदस्यता |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| आसाम ... | ६० | ३५ | १,१२,७३६ |
| बिहार ... | ४५४ | २१५ | १,६४,००७ |
| बम्बई ... | ५९७ | ३७० | ३,५२,१९१ |
| मध्यप्रदेश ... | ९८ | ६० | ३९,३३२ |
| मद्रास ... | ७४९ | २६० | १,३८,५०७ |
| उडीसा ... | ४४ | २६ | १६,०९७ |
| पंजाब ... | ५४ | ५३ | १०,३१४ |
| उत्तरप्रदेश ... | ५५७ | ३६५ | १,७०,५८४ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ९२७ | ४५२ | ३,३९,४८८ |
| अजमेर ... | १८ | १७ | ६,४६२ |
| भोपाल ... | ७ | ५ | १,२२७ |
| कुर्ग ... | २ | २ | ५६४ |
| दिल्ली ... | ८७ | ६८ | ८०,३६४ |

प्राप्ति स्थान : भारतीय श्रम वार्षिक पुस्तिका (१९५१-५२) (भारत सरकार प्रकाशन, १९५४ में प्रकाशित).

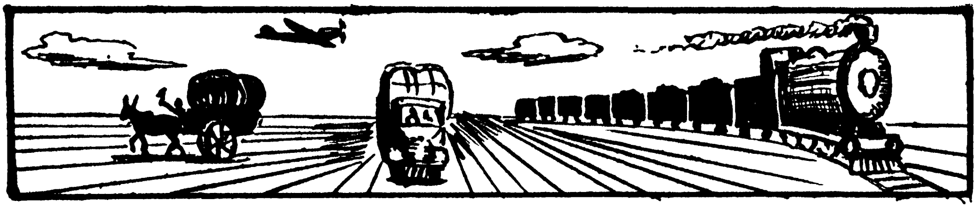

## अध्याय ८

# परिवहन

भारतवर्ष जैसे विशाल देश की आर्थिक उन्नति के लिये समुन्नत परिवहन-व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है. किन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक यह देश इस दृष्टि से बहुत पिछडा हुआ है. इसीलिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४९७ करोड रुपये की एक भारी निधि निर्धारित की गई है, ताकि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के इस महत्त्वपूर्ण अंग का बहुमुखी विकास किया जा सके. इस योजना के फलस्वरूप रेल-मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग की परिवहन सुविधाओं में उन्नति के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे हैं. फिर भी, अन्य देशों की तुलना में, इस देश में अभी बहुत कुछ करना बाकी है.

भारतवर्ष के परिवहन-साधनों में रेलों का अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान है. देश के माल तथा यात्रियों का अधिकांश आवागमन रेलों द्वारा ही सम्पन्न होता है. अन्तर्देशीय जलमार्गों और समुद्र-तटीय जलमार्गों द्वारा भी आवागमन के एक बडे अंश की पूर्ति की जाती है. धीरे धीरे सडकों और विमानों द्वारा भी आवागमन में वृद्धि हो रही है, परन्तु यह वृद्धि अभी संतोषजनक नहीं हैं. देश की अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान होने से सडक-परिवहन का विकास बहुत जरूरी है. रेल और वायु-परिवहन के विकास का उत्तरदायित्व पूर्णत: केन्द्रीय सरकार पर है ; जबकि सडक-परिवहन के विकास का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के साथ ही राज्य सरकारों पर भी है. केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय वायुमार्गों और कुछ महत्त्वपूर्ण सडकों के विकास का ध्यान रखती है ; जबकि प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य की नगरीय और ग्रामीण सडकों का विकास करती है. भारतवर्ष में सन् १९०० में १,७६,००० मील लम्बी सडकें थी ; जबकि सन् १९५२ में इनकी लम्बाई २,५६,००० थी, जिसमें से एक-तिहाई लम्बाई की सडकें पक्की (मेटल्ड) थी तथा शेष कच्ची (अनमेटल्ड). प्रस्तुत तालिका में विभिन्न राज्यों की सडकों (नगर-पालिकाओं की सडकों के अतिरिक्त) और मोटर-वाहनों की संख्या का तुलनात्मक विवेचन किया गया है.

तालिकाओं में दर्शाये गये राज्यों में से दिनांक ३१ मार्च, १९५० में त्रावणकोर-कोचीन में प्रति हजार वर्गमील पीछे ऐसी सडकों की लम्बाई (६७८.८ मील) सर्वाधिक थी ; जबकि सबसे कम लम्बाई (८२.२ मील) पेप्सू में थी. मध्यप्रदेश में यही लम्बाई प्रति हजार वर्गमील पीछे ९२.२ मील थी. यही प्रमाण बिहार में ४१७ मील, मद्रास में ३०३.६ मील, मैसूर में ३०५.९ मील तथा उत्तरप्रदेश में ३१४.७ मील था.

सन् १९५०-५१ में प्रति लाख जनसंख्या पीछे मोटर-वाहनों की संख्या दिल्ली में (६७५.९) सर्वाधिक थी. इसी संबंध में प्रमुख राज्यों में कच्छ (५०९.९), कुर्ग (३४५.७), पश्चिमी बंगाल (२२६.०), अजमेर (२१३.६) और बम्बई (१७१.४) राज्य भी उल्लेखनीय हैं. मध्यप्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पीछे केवल ५१.७ मोटर-वाहन हैं. यह संख्या यद्यपि कम है, तथापि उत्तरप्रदेश (३५.८), बिहार (३३.६) तथा उडीसा (३३.८) की तत्संबंधी संख्या की अपेक्षा अधिक है.

## नगरपालिकातिरिक्त सड़कों की लम्बाई

(३१ मार्च १९५० को)

| (१) | पक्की सडकें (२) | कच्ची सडकें (३) | योग (४) | नगर-पालिका-तिरिक्त सडकों की लम्बाई प्रति १,००० वर्ग मील (५) |
|---|---|---|---|---|
| आसाम ... | १,३७९ | १०,०१७ | ११,३९६ | १३४.१ |
| बिहार ... | ३,८२७ | २५,५०४ | २९,३३१ | ४१७.० |
| बम्बई (अ). | १२,४५५ | ११,३६६ | २३,८२१ | २१३.८ |
| मध्यप्रदेश ... | ६,३७० | ५,६४२ | १२,०१२ | ९२.२ |
| मद्रास (अ). | २६,०१२ | १२,७९१ | ३८,८०३ | ३०३.६ |
| पंजाब ... | २,५५१ | ५,९६५ | ८,५१६ | २२७.८ |
| उत्तरप्रदेश... | १०,१६२ | २५,५२८ | ३५,६९० | ३१४.७ |
| हैदराबाद ... | ५,१७५ | १,६७६ | ६,८५१ | ८३.४ |
| मध्यभारत (अ) | ३,८३५ | २३४ | ४,०६९ | ८७.५ |
| मैसूर ... | ६,३५० | २,६७० | ९,०२० | ३०५.९ |
| पेप्सू ... | ६०५ | २२३ | ८२८ | ८२.२ |
| सौराष्ट्र ... | १,८८८ | १,३४५ | ३,२३३ | १५०.७ |
| त्रावनकोर-कोचीन. | २,१८९ | ४,०१८ | ६,२०७ | ६७८.८ |

(अ) तत्कालिक संमक

प्राप्ति स्थान: "बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स आफ इण्डिया, फोर्थ (१९५३) सप्लीमेंट" (भारत सरकार).

## मोटर-वाहनों की संख्या, १९५०-५१

| राज्य (१) | कुल संख्या (२) | प्रति १,००,००० जनसंख्यानुसार मोटर-वाहनों की संख्या (३) |
|---|---|---|
| **भाग 'अ' राज्य—** | | |
| आसाम ... | ११,३९० | १२५.९ |
| बिहार... ... | १३,५३५ | ३३.६ |
| बम्बई ... ... | ६१,६३९ | १७१.४ |
| मध्यप्रदेश ... | १०,९८३ | ५१.७ |
| मद्रास ... ... | ४२,३७७ | ७४.३ |
| उडीसा... ... | ४,९५४ | ३३.८ |
| पंजाब ... ... | ८,३९९ | ६६.४ |
| उत्तरप्रदेश ... | २२,६३४ | ३५.८ |
| पश्चिमी बंगाल .. | ५६,०७३ | २२६.० |
| **भाग 'ब' राज्य—** | | |
| हैदराबाद ... | १४,१५३ | ७५.९ |
| जम्मू और काश्मीर | २,७३५ | ६२.० |
| मध्यभारत ... | ३,९६३ | ४९.८ |
| मैसूर ... ... | ९,०८८ | १००.१ |
| पेप्सू ... ... | ३,८३६ | १०९.८ |
| राजस्थान ... | ११,०६९ | ७२.४ |
| सौराष्ट्र ... | ६,४८२ | १५६.७ |
| त्रावनकोर-कोचीन. | ६,६४० | ७१.५ |
| **भाग 'स' राज्य—** | | |
| अजमेर... ... | १,४८१ | २१३.६ |
| भोपाल... ... | ८६९ | १०३.९ |
| बिलासपुर ... | १६ | १२.७ |
| कुर्ग ... ... | ७९३ | ३४५.७ |
| दिल्ली... ... | ११,७८९ | ६७५.९ |
| हिमाचल प्रदेश ... | ३३० | ३३.६ |
| कच्छ ... ... | २,८९४ | ५०९.९ |
| मनीपुर ... | ७१५ | १२३.८ |
| त्रिपुरा... ... | २३७ | ३७.१ |
| विन्ध्यप्रदेश ... | ९८७ | २७.६ |
| **भाग 'ड' राज्य—** | | |
| अन्दमान और निकोबार द्वीप. | ६२ | २००.२ |
| योग ... | ३,१०,१४५ | ८५.९ |

प्राप्ति स्थान: "दि टाइम्स आफ इण्डिया" डायरेक्टरी एण्ड इयर बुक, सन् १९५४-५५.

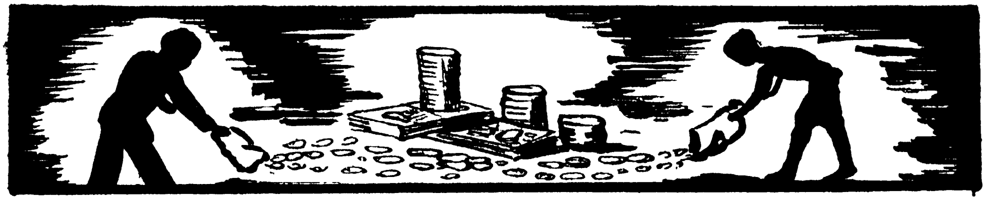

अध्याय ९

# लोक वित्त

गत कुछ वर्षों तक स्थिर तथा अपर्याप्त आय और लोक-सेवाओं पर अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति व्यय राज्यीय आय-व्ययकों की उल्लेखनीय विशेषताएं रही है. फिर भी राज्यीय आय-व्ययक अधिकांशतः आधिक्य (सरप्लस) ही दर्शाते रहे है. राज्य सरकारों की सीमित आय अधिकतर लोक-शासन, न्यायालय व पुलिस, शिक्षा और लोक-स्वास्थ्य सदृश कुछ लोक-सेवाओं पर खर्च की जाती रही, जबकि अन्य महत्त्वपूर्ण लोक-सेवाएं उपेक्षित ही रहीं. भले ही ऐसे आय-व्ययकों से राज्यों की सुस्थित वित्तीय स्थिति का आभास होता हो, किन्तु उनसे कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की आशा नहीं की जा सकती थी. परन्तु गत कुछ वर्षो से उक्त स्थिति में काफी परिवर्त्तन हो गया है. अब राज्य सरकारों की आय और उनके व्यय में काफी वृद्धि हो गई है. बिक्री कर सदृश नवीन करों और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋणों, अर्थ-साहाय्यों (सबवेनशन्स) आदि के रूप में अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होने से राज्यों की आय पहिले की अपेक्षा बहुत बढ गई है. दूसरी ओर अब वे राष्ट्र-निर्माण-कार्यों और लोक-सेवाओं पर अधिक निधि खर्च करने लगे हैं, तथा उनके आय-व्ययकों में आधिक्य की बजाय घाटे की प्रवृत्ति दृष्टिगत होने लगी है.

सन् १९५४-५५ में केवल बम्बई के आय-व्ययक में १९ लाख रुपये का आधिक्य रहा ; जबकि पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, आन्ध्र, आसाम, मध्यप्रदेश, पंजाब, उडीसा और मद्रास के आय-व्ययकों में क्रमशः १३.३८ करोड रुपये, ७.६२ करोड रुपये, ३.९१ करोड रुपये, २.९९ करोड रुपये, २.२८ करोड रुपये, १.८५ करोड रुपये, ०.९५ करोड रुपये, ०.७४ करोड रुपये और ०.५८ करोड रुपये का घाटा हुआ. इसी वर्ष "ब" वर्गीय राज्यों में से मध्यभारत के आय-व्ययक में १४ लाख रुपये का आधिक्य रहा तथा राजस्थान का आय-व्ययक प्रायः संतुलित रहा. किन्तु मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन, हैदराबाद, सौराष्ट्र और पेप्सू के आय-व्ययकों में क्रमशः ३.०९ करोड रुपये, १.३२ करोड रुपये, १.०६ करोड रुपये, ०.४८ करोड रुपये और ०.०७ करोड़ रुपये का घाटा हुआ.

सन् १९४६-४७ से सन् १९५४-५५ तक राजस्व-वृद्धि की प्रतिशतता उडीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आसाम, बिहार और बम्बई में क्रमश: २०६, १४३, १३६, १००, ९८ और ८० थी. सन् १९५४-५५ के आय-व्ययक अनुमान के अनुसार सभी "अ" और "ब" वर्गीय राज्यों में सौराष्ट्र में प्रति-व्यक्ति राजस्व प्राप्ति सर्वाधिक (२७.५ रुपये) थी. इसी सिलसिले में मैसूर (२३.३ रुपये), पेप्सू (२१.० रुपये), बम्बई (२०.२ रुपये), मध्यभारत (१९.० रुपये) और त्रावणकोर-कोचीन (१८.७ रुपये) के नाम उल्लेखनीय हैं. मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति राजस्व प्राप्ति १३.५ रुपये थी.

सन् १९५४-५५ (आय-व्ययक अनुमान) में कुल राजस्व प्राप्ति में आय-कर की प्रतिशतता बिहार (१८.७), पश्चिमी बंगाल (१८.३), आंध्र (१५.४), उडीसा (१४.९), बम्बई (१४.१) और आसाम (१३.९) में अधिक थी. इसी तरह अन्य आय के साधनों की अपेक्षा भू-राजस्व की प्रतिशतता सौराष्ट्र (२६.२), उत्तरप्रदेश

## 'अ' तथा 'ब' वर्गीय राज्यों में प्रति-व्यक्ति प्राप्तियां एवं व्यय

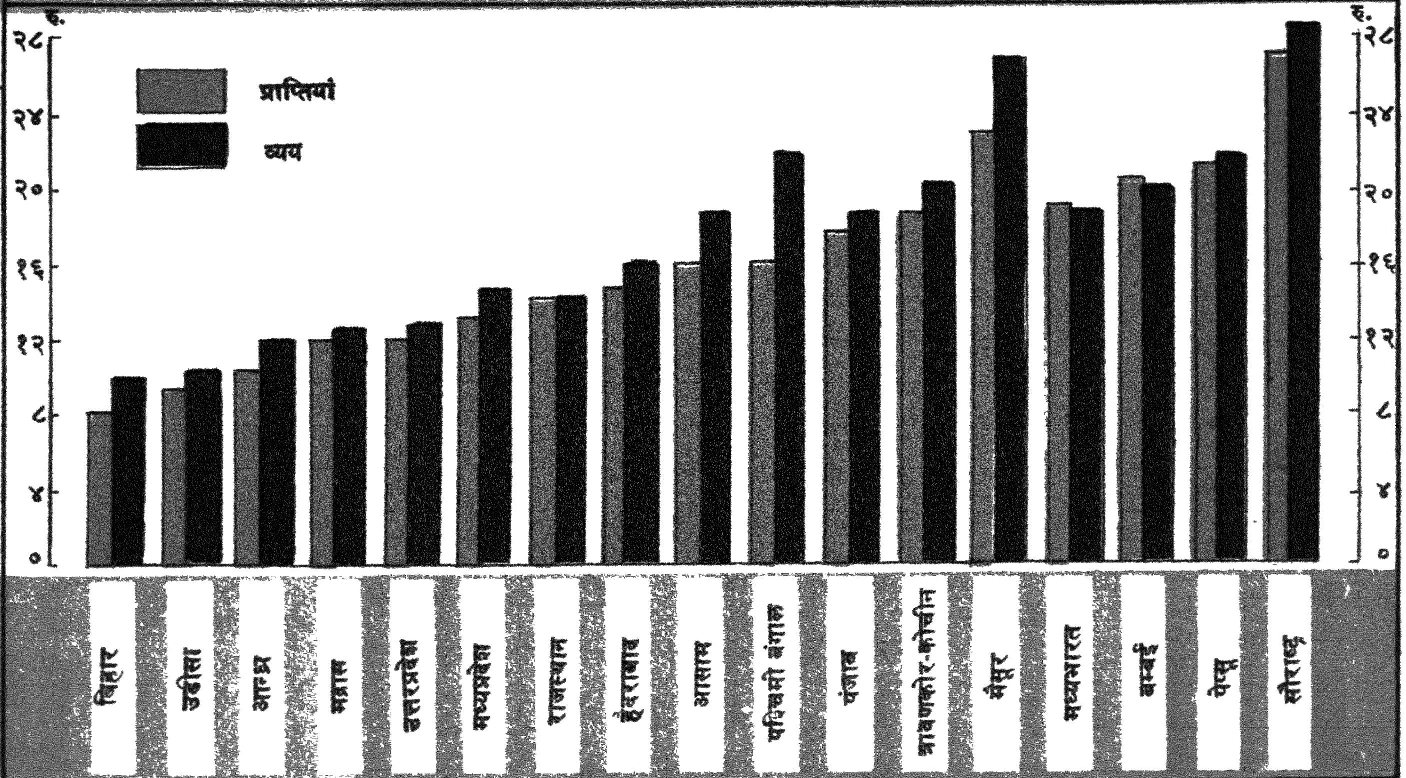

(२४.९), मध्यभारत (२२.४), राजस्थान (२१.९), मध्यप्रदेश (१९.४), पेप्सू (१९.४) और हैदराबाद (१८.२) में अधिक थी. बिक्री कर द्वारा राजस्व प्राप्ति में बम्बई (२२.९ प्रतिशत), मद्रास (२१.३ प्रतिशत), आन्ध्र (१५.० प्रतिशत), त्रावणकोर-कोचीन (१५.० प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (११.५ प्रतिशत), पंजाब (९.६ प्रतिशत) और मध्यभारत (९.३ प्रतिशत) का महत्त्वपूर्ण स्थान है. उत्पाद-शुल्क से प्राप्त राजस्व की दृष्टि से हैदराबाद (३५.० प्रतिशत), पेप्सू (२५.९ प्रतिशत), बिहार (२१.० प्रतिशत), उडीसा (१५.९ प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (१५.८ प्रतिशत) और राजस्थान (१४.७ प्रतिशत) का क्रमशः पहिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठवां स्थान आता है. इसी वर्ष मध्यप्रदेश के कुल राजस्व का १९.४ प्रतिशत, १२.१ प्रतिशत, १०.८ प्रतिशत और ६.८ प्रतिशत राजस्व क्रमश : भू-राजस्व, उत्पाद-शुल्क, आय-कर और बिक्रीकर से प्राप्त किया गया ; जबकि शेष ५०.९ प्रतिशत राजस्व अन्य स्रोतों से.

सन् १९४६-४७ से सन् १९५४-५५ की अवधि में उडीसा, आसाम, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बम्बई के व्यय में क्रमशः २३१ प्रतिशत, १९३ प्रतिशत, १७६ प्रतिशत, १६५.७ प्रतिशत, १४८ प्रतिशत और ९९ प्रतिशत वृद्धि हुई. सन् १९५४-५५ (आय-व्ययक अनुमान) में सभी "अ" और "ब" वर्गीय राज्यों में सौराष्ट्र में प्रति-व्यक्ति व्यय सर्वाधिक (२८.५ रुपये) था. तत्पश्चात् मैसूर (२६.८ रुपये), पश्चिमी बंगाल (२१.५ रुपये), पेप्सू (२१.२ रुपये), बम्बई (२०.१ रुपये) और त्रावणकोर-कोचीन (२०.० रुपये) का क्रम आता है. मध्यप्रदेश में प्रति-व्यक्ति व्यय १४.४ रुपये था.

लोक-प्रशासन (सिविल ॲडमिनिस्ट्रेशन) पर किया गया प्रति-व्यक्ति व्यय बम्बई में सर्वाधिक (५.४ रुपये) था. उसके बाद सौराष्ट्र (५.१ रुपये), पेप्सू (४.७ रुपये), पश्चिमी बंगाल (४.६ रुपये), पंजाब (४.२ रुपये) और मध्यभारत (४.० रुपये) का क्रम आता है. लोक-कार्यों पर किया गया प्रति-व्यक्ति व्यय आसाम में सर्वाधिक (४.९ रुपये) था, जबकि सौराष्ट्र (४.३ रुपये), मैसूर (३.२ रुपये), त्रावणकोर-कोचीन (२.९ रुपये) और मध्यभारत (२.६ रुपये) का क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां स्थान था. लोक-कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किये गये प्रति-व्यक्ति विकास व्यय की दृष्टि से मैसूर का स्थान (१६.४ रुपये) प्रथम आता है. मैसूर के बाद क्रमशः सौराष्ट्र (१२.८ रुपये), मध्यभारत (९.१ रुपये), त्रावणकोर-कोचीन (८.५ रुपये), पश्चिमी-बंगाल (८.४ रुपये) और बम्बई (८.३ रुपये) का स्थान आता है. ऐसे विकास-व्यय में वैज्ञानिक विभागों, शिक्षा, औषधि व लोक-स्वास्थ्य, कृषि, पशु-चिकित्सा, सहकारिता, उद्योगों, ग्रामीण-विकास, श्रम-कल्याण, विद्युत्-योजनाओं, सामुदायिक विकास योजनाओं, बंदरगाहों और विमानवहन (एव्हीएशन) आदि पर किया गया विकास-व्यय सम्मिलित है. मध्यप्रदेश में लोक-प्रशासन, लोक-कार्यों और लोक-कार्यों के अतिरिक्त अन्य विकास-कार्यों पर किया गया प्रति-व्यक्ति व्यय क्रमशः २.७ रुपये, १.९ रुपये और ५.१ रुपये आंका गया है.

सन् १९५४-५५ (आय-व्ययक अनुमान) के कुल व्यय की तुलना में लोक-प्रशासन पर किया गया प्रतिशत व्यय राजस्थान (२७.१५ रुपये), आन्ध्र (२७.०२ रुपये), बम्बई (२६.६८ रुपये), मद्रास (२५.८३ रुपये), उडीसा (२४.९० रुपये) और पंजाब (२२.९० रुपये) में अधिक हुआ. इसी प्रकार लोक-कार्यों पर किये गये व्यय की दृष्टि से आसाम (२६.६५ प्रतिशत), बिहार (१९.४८ प्रतिशत), सौराष्ट्र (१४.९० प्रतिशत), त्रावणकोर-कोचीन (१४.२५ प्रतिशत), मध्यभारत (१३.७७ प्रतिशत) और मध्यप्रदेश (१३.०१ प्रतिशत) का उल्लेखनीय स्थान रहा. लोक-कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किये गये व्यय की प्रतिशतता मैसूर (६१.२८), मद्रास (५३.२५), आन्ध्र (५१.२१), मध्यभारत (४८.३३), सौराष्ट्र (४४.९६) और त्रावणकोर-कोचीन (४२.२०) में अधिक थी.

इसी वर्ष मध्यप्रदेश में कुल व्यय की निधि का १९.९२ प्रतिशत, ३.०६ प्रतिशत, १९.०० प्रतिशत, १३.०१ प्रतिशत, ३५.१४ प्रतिशत और ९.८८ प्रतिशत भाग क्रमशः राजस्व की प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) मांगों,

ऋण-सेवाओं, लोक-प्रशासन, लोक-कार्यों, लोक-कार्यों के अतिरिक्त अन्य विकास-कार्यों और व्यय के अन्य पदों के लिये निर्धारित किया गया.

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद राज्यों का पूंजी व्यय भी बढ रहा है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में अनेक विकास-योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और वे केवल तत्कालीन राजस्व से ही संचालित नहीं की जा सकतीं. सन् १९४७-४८ से सन् १९५२-५३ तक पंजाब का प्रति-व्यक्ति पूंजी व्यय सर्वाधिक (६८.३८ रुपये) था. उसके बाद उडीसा (२३.८३ रुपये), पश्चिमी बंगाल (२३.१४ रुपये) त्रावणकोर-कोचीन (१७.२१ रुपये), मद्रास (१४.७४ रुपये) और मैसूर (१३.६४ रुपये) का क्रम आता है. मध्यप्रदेश का प्रति-व्यक्ति पूंजी व्यय ७.८५ रुपये था.

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता में वृद्धि हो जाने से राज्य-सरकारों के राजस्व में भी वृद्धि हो गई है. अब उन्हें आय-कर और अनुदानों के अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का भी कुछ अंश मिलने लगा है. वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को प्राप्त होनेवाले आय-कर की शुद्ध निधि में ५० से ५५ प्रतिशत वृद्धि हो गई है. इसी प्रकार कुछ विशिष्ट वस्तुओं * के उत्पाद-शुक्ल की शुद्ध निधि का ४० प्रतिशत भाग राज्यों को बांट दिया जाता है. राज्यों को प्राप्त होनेवाले आय-कर की कुल निधि का २० प्रतिशत भाग उन्हें उनके द्वारा संकलित किये गये आयकर के अनुपात में बांटा जाता है ; जबकि शेष ८० प्रतिशत भाग उनकी सन् १९५१ की जनसंख्या के अनुपात में. ऐसी निधि में से बम्बई को सबसे अधिक (१७.५० प्रतिशत) हिस्सा मिलता है. तत्पश्चात् उत्तरप्रदेश (१५.७५ प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (११.२५ प्रतिशत), मद्रास (९.७६ प्रतिशत), बिहार (९.७५ प्रतिशत), आन्ध्र (५.४९ प्रतिशत) और मध्यप्रदेश (५.२५ प्रतिशत) का क्रम आता है. केन्द्रीय शुल्कों की कुल निधि में से उत्तरप्रदेश को सबसे अधिक (१८.२८ प्रतिशत) हिस्सा मिलता है. उसके बाद बिहार (११.६० प्रतिशत), मद्रास (१०.५२ प्रतिशत), बम्बई (१०.३७ प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (७.१६ प्रतिशत), मध्यप्रदेश (६.१३ प्रतिशत) और आन्ध्र (५.९२ प्रतिशत) का स्थान आता है.

### कर जांच आयोग के कुछ विचार

"अ" और "ब" वर्गीय राज्यों के विभिन्न राजस्व के साधनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्श निकलते हैं. आसाम, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, मध्यभारत और सौराष्ट्र को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति भू-राजस्व (लेन्ड रेवेन्यू) से होती है ; जबकि हैदराबाद, पंजाब, पेप्सू, मैसूर और त्रावणकोर-कोचीन को राज्यीय उत्पाद-शुल्क (स्टेट एक्साईज) से. हैदराबाद में उत्पाद-शुल्क राजस्व का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है, जबकि सौराष्ट्र में भू-राजस्व विशेष महत्त्व रखता है. "अ" और "ब" वर्गीय राज्यों में भू-राजस्व द्वारा प्राप्त कुल निधि सन् १९५०-५१ की अपेक्षा सन् १९५३-५४ में १८ करोड रुपये से अधिक थी. सन् १९५०-५१ में यह निधि ४९.६ करोड रुपये थी ; जबकि सन् १९५३-५४ में ६७.६ करोड रुपये. यह वृद्धि उत्तरप्रदेश सदृश राज्यों में जमींदारी-उन्मूलन, देशी रियासतों और राजाओं की जायदादों के विलीनीकरण आदि के कारण हुई है. किन्तु दूसरी ओर क्षति-पूर्ति (कॉम्पेन्सेशन) चुकाने और प्रशासकीय व्ययों का भार उठाने से राज्य सरकारों के व्यय पक्ष में भी काफी वृद्धि हो गई है. इसी तरह एक ओर कुछ राज्यों में बिक्री कर संबंधी राजस्व में वृद्धि हुई है ; जबकि दूसरी ओर बिहार, मध्यप्रदेश, मद्रास, पश्चिमी बंगाल और त्रावणकोर-कोचीन सदृश राज्यों में कमी. यह कमी मुख्यत: संविधान के २८६ (१) अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ सांविधानिक प्रतिबंधों के कारण हुई है. मद्रास, पश्चिमी बंगाल, बम्बई, त्रावणकोर-कोचीन, मैसूर

*ऐसी वस्तुओं के अंतर्गत तम्बाखू (जिसमें सिगरेट, चुरुट (सिगार) आदि भी शामिल हैं), माचिस और वनस्पति इत्यादि वस्तुएं आती हैं.

**टिप्पणी.**—कर जांच आयोग द्वारा विश्लेषित राजस्व और व्यय के उपर्युक्त अंक सन् १९५३-५४ से संबंधित हैं.

और बिहार में मुद्रांकों (स्टाम्प्स) और पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) से राजस्व की प्राप्ति अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होती है. मोटर-वाहन-कर उन राज्यों में विशेष महत्त्व रखता है जहां मोटर-वाहनों की संख्या अधिक है, अथवा जहां कर की दरें अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक हैं. ऐसे राज्यों में मद्रास, बम्बई, त्रावणकोर-कोचीन और मैसूर उल्लेखनीय हैं. बम्बई, पश्चिमी बंगाल और उत्तरप्रदेश में विद्युत्-करों से काफी राजस्व प्राप्त होता है. इसी तरह बम्बई, पश्चिमी बंगाल, उत्तरप्रदेश और मद्रास में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक मनोरंजन-कर संकलित किया जाता है, यद्यपि बिहार और मध्यप्रदेश में अधिक कर लगाया जाता है. सिंचाई कर केवल उत्तरप्रदेश और पंजाब में ही राजस्व का महत्त्वपूर्ण साधन है. कुछ राज्यों में वनों से भी काफी राजस्व प्राप्त होता है. इस दृष्टि से मध्यप्रदेश का स्थान विशेष उल्लेखनीय है, जहां वनों से प्रतिवर्ष लगभग २ करोड रुपये की राजस्व प्राप्ति होती है.

"अ" वर्गीय राज्यों की अपेक्षा "ब" वर्गीय राज्यों में और "अ" तथा "ब" वर्गीय राज्यों की अपेक्षा "स" वर्गीय राज्यों में कुल प्रति-व्यक्ति-व्यय अधिक होता है. प्रति-व्यक्ति-व्यय जनसंख्या के घनत्व पर बहुत कुछ निर्भर करता है. "ब" वर्गीय राज्यों की अपेक्षा "अ" वर्गीय राज्यों का औसत जनसंख्या घनत्व अधिक है ; जबकि "स" वर्गीय राज्यों का औसत जनसंख्या घनत्व सबसे कम. सामान्यतः बिरले बसे हुए क्षेत्रों में पाठशालाओं और चिकित्सालयों का प्रति-व्यक्ति व्यवस्थापन व्यय घने बसे हुए क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि यहां अधिक शिक्षकों और चिकित्सकों की आवश्यकता होती है और अन्य ऊपरी व्यय भी बढ जाता है. घनी जनसंख्यावाले क्षेत्रों में भी लोक-स्वास्थ्य सदृश सेवाओं का प्रति-व्यक्ति-व्यय कभी कभी अधिक होता है. किन्तु, आमतौर पर जनसंख्या जितनी ही सघन बसी होगी उतने ही कम व्यय पर अधिक सेवाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं. "स" वर्गीय राज्यों को छोडकर सभी "अ" और "ब" वर्गीय राज्यों में मैसूर का औसत प्रति-व्यक्ति-व्यय सर्वाधिक (२४ रुपये ३ आने ६ पाई) है. तत्पश्चात् सौराष्ट्र, पेप्सू, पश्चिमी बंगाल और बम्बई का क्रम आता है. सबसे कम प्रति-व्यक्ति-व्यय बिहार (८ रु. १२ आ. ९ पा.) और उडीसा (१० रु. ९ पा.) में होता है. गैर-विकास (नॉन-डेव्हलपमेन्ट) कार्यों पर किये गये व्यय की प्रतिशतता उत्तरप्रदेश, पंजाब और हैदराबाद में सबसे अधिक (५५ से ६० प्रतिशत) थी. उत्तरप्रदेश में गैर-विकास कार्यों पर अधिक व्यय भू-राजस्व द्वारा जमींदारी-उन्मूलन निधि (जमींदारी अबॉलीशन फंड) का निर्माण किया जाने से हुआ है. सन् १९५३-५४ में राजस्थान और पंजाब में पुलिस पर सबसे अधिक व्यय किया गया. सन् १९५१-५२ में हैदराबाद ने पुलिस विभाग पर ६ करोड रुपये खर्च किये ; किन्तु यह खर्च सन् १९५३-५४ में ३.५ करोड तक घट गया था. इसी सिलसिले में मैसूर और त्रावणकोर-कोचीन राज्य भी उल्लेखनीय हैं जहां पुलिस पर कुल व्यय का ५ प्रतिशत भाग ही खर्च किया गया. बम्बई और मैसूर ने लोक-सेवाओं पर अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक व्यय (क्रमशः ५ रु. १२ आ. ८ पा. और ५ रु. ८ आ. ५ पा.) किया ; जबकि बिहार और उडीसा ने सबसे कम (क्रमशः १ रु. १५ आ. ८ पा. और २ रु. १ आ. ८ पा.). पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, आसाम, पेप्सू, उडीसा और सौराष्ट्र को छोडकर अन्य १० "अ" और "ब" वर्गीय राज्यों में शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय किया गया. आसाम, पेप्सू, उडीसा और सौराष्ट्र में लोक-कार्यों पर अधिक व्यय किया गया. सन् १९५३-५४ में आसाम ने इन कार्यों पर अपने कुल व्यय का लगभग एक-चतुर्थांश और पेप्सू ने लगभग एक-पंचमांश खर्च किया. इन राज्यों में यातायात साधनों पर भी काफी व्यय किया जाता है. इसी तरह चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उत्तरोत्तर ध्यान दिया जा रहा है. सन् १९५३-५४ में पश्चिमी बंगाल ने कुल खर्च की गई निधि का १० प्रतिशत (सर्वाधिक) भाग इस शीर्षक पर खर्च किया ; जबकि मद्रास, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश ने ५.६ प्रतिशत भाग ही खर्च किया. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न राज्यों में विकास और गैर-विकास कार्यों पर किये गये व्यय में असमानता तो है ही, किन्तु व्यय के प्रत्येक शीर्षक पर किये गये व्यय भी समान नहीं हैं.

कर जांच आयोग (टॅक्झेशन इन्क्वायरी कमीशन) का प्रतिवेदन (सन् १९५३-५४) विभिन्न राज्यों के अनेक जन-समूहों पर केन्द्रीय, राज्यीय और स्थानीय करों के भार (इन्सीडेन्स ऑफ टॅक्झेशन) के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत करता है. आयोग के मतानुसार जैसे जैसे नगरीय जनसंख्या और क्षेत्रफल में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे (१) प्रति-व्यक्ति व्यय का स्तर, (२) कुल प्रति-व्यक्ति-व्यय की तुलना में नकद व्यय का अनुपात और (३) प्रति-व्यक्ति नकद व्यय की तुलना में कर का अनुपात बढता जाता है; क्योंकि इससे अधिक करयुक्त वस्तुओं की नकद खरीद और करदाताओं की संख्या बढ जाती है; और फलस्वरूप कर का भार भी बढ जाता है.

कर जांच आयोग ने विभिन्न राज्यों में कर-भार संबंधी असमानता का स्थूल चित्रण करने का भी प्रयास किया है. आयोग ने अपने प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, आयात-शुल्क, राज्यीय उत्पाद-शुल्क, सामान्य बिक्रीकर, मोटर स्पिरिट संबंधी बिक्रीकर, मनोरंजन-शुल्क, अन्तर्राज्यीय यातायात-शुल्क (इन्टर स्टेट ट्रान्झीट ड्यूटीज), मोटर-वाहन-कर, गन्ने का उप-कर (शुगर केन सेस) और तम्बाखू विक्रय-शुल्क का व्यापक और विस्तार-पूर्वक विवेचन किया है.

सामान्यत: "अ" वर्गीय राज्यों की अपेक्षा "ब" वर्गीय राज्यों में कर का भार अधिक होता है; जबकि प्रति-व्यक्ति नकद और कुल व्यय कम तथा कर की राशि समान अथवा अधिक होती है. ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यय-स्तरों के कुल व्यय का प्रतिशत कर पांच "अ" वर्गीय राज्यों (आसाम, बिहार, मध्यप्रदेश, उडीसा और उत्तरप्रदेश) में अखिल भारतीय औसत कर से कम है, जबकि सभी "ब" वर्गीय राज्यों में अधिक. "अ" वर्गीय राज्यों में से बम्बई में ग्रामीण कर-भार सबसे अधिक (३.७ प्रतिशत) है और बिहार में सबसे कम (२.० प्रतिशत). किन्तु चार "ब" वर्गीय राज्यों (हैदराबाद, त्रावणकोर-कोचीन, मध्यभारत और पेप्सू) के ग्रामीण क्षेत्रों में बम्बई से भी अधिक कर-भार है. उपरोक्त पांच "अ" वर्गीय राज्यों (आसाम, बिहार, मध्यप्रदेश, उडीसा और उत्तरप्रदेश) में कुल व्यय के प्रतिशत की अपेक्षा नकद व्यय का अनुपात कम आता है, जिससे वहां कुल व्यय का कर-भार भी घट जाता है. "अ" वर्गीय राज्यों की अपेक्षा "ब" वर्गीय राज्यों में परोक्ष करों के अधिक भार का मुख्य कारण मदिरा उत्पाद-शुल्क (लिकर एक्साईज) है जिसका भार बिक्रीकर के भार से भी अधिक है. मनोरंजन-शुल्क और मोटर-वाहन-कर सदृश नवीन प्रकार के करों का भार "अ" वर्गीय राज्यों की अपेक्षा "ब" वर्गीय राज्यों में कम है.

विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय और राज्यीय करों का भार काफी असमान है (प्रस्तुत तालिका के तृतीय और चतुर्थ स्कंध के अनुसार). स्थूलरूप से "अ" और "ब" वर्गीय राज्यों में केन्द्रीय करों के भार की दृष्टि से कोई विशेष असमानता नहीं है. किन्तु राज्यीय करों की दृष्टि से इन राज्यों के कर-भार में काफी अंतर है. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह अंतर "ब" वर्गीय राज्यों में राज्यीय उत्पाद-शुल्क के अधिक भार के कारण है. इसी वजह से हैदराबाद और पेप्सू में (जहां राज्यीय उत्पाद-शुल्क से सर्वाधिक प्रति-व्यक्ति राजस्व प्राप्त होता है) राज्यीय करों का भार बहुत अधिक है. त्रावणकोर-कोचीन में राज्यीय करों का अधिक भार राज्यीय उत्पाद-शुल्क और बहुस्पर्शी बिक्री-कर (मल्टीपॉईन्ट सेल्स टॅक्स) दोनों के ही कारण है. करयुक्त वस्तुओं के उपभोग की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यीय करों की अपेक्षा केन्द्रीय करों का भार अधिक है. केन्द्रीय करयुक्त वस्तुओं का उपभोग बिहार, उत्तरप्रदेश, उडीसा और पश्चिमी बंगाल में सबसे कम होता है. आसाम और मध्यप्रदेश में भी इन वस्तुओं का अधिक उपभोग नहीं होता. "अ" वर्गीय राज्यों में केवल बम्बई, मद्रास और पंजाब ही ऐसे राज्य हैं, जहां ऐसी वस्तुओं का उपभोग अपेक्षाकृत अधिक होता है, अर्थात् इस दृष्टि से वहां "अ" वर्गीय राज्यों के औसत और अखिल भारतीय औसत की तुलना में अधिक कर-भार पडता है. "ब" वर्गीय राज्यों में सामान्यत: अखिल भारतीय औसत के बराबर अथवा उससे अधिक कर-भार पडता है.

अन्तर्प्रदेशीय कर-भार का विश्लेषण हमेशा प्रदेशों के प्रति-व्यक्ति करों से प्राप्त राजस्व (पर केपिटा टैक्स रेवेन्यूज) के आधार पर किया जाता है. ऐसे राजस्व का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न राज्यों के तत्संबंधी अंक काफी असमान हैं. उदाहरणार्थ, उडीसा में प्रति-व्यक्ति कुल कर राजस्व ३.६७ रु., बिहार में ४.२१ रु., मध्यप्रदेश में ५.६९ रु., पेप्सू में १२.०७ रु. और बम्बई व सौराष्ट्र में १०.२१ रु. है.

विभिन्न करों में प्रति-व्यक्ति भू-राजस्व १.८७ रु. (सर्वाधिक), सामान्य बिक्री कर १.७४ रु. और राज्यीय उत्पाद-शुल्क १.२१ रु. है. प्रति-व्यक्ति राज्यीय उत्पाद-शुल्क हैदराबाद में सर्वाधिक (४.३८ रु.) है. इसी तरह प्रति-व्यक्ति बिक्री-कर अन्य राज्यों की अपेक्षा बम्बई, पश्चिमी बंगाल और मद्रास में (जहां देश के तीन सबसे बडे शहर—बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित हैं) अधिक है. प्रति-व्यक्ति बिक्री-कर बम्बई में ४.४१ रु. है. यह अंक मद्रास और बंगाल को छोडकर अन्य सभी 'अ' वर्गीय राज्यों के तत्संबंधी अंकों की अपेक्षा दुगने से भी अधिक है. उल्लेखनीय है कि मद्रास की अपेक्षा पश्चिमी बंगाल में कम प्रति-व्यक्ति बिक्री-कर लिया जाता है. 'अ' वर्गीय राज्यों में उडीसा और उत्तरप्रदेश में सबसे कम प्रति-व्यक्ति बिक्री-कर लिया जाता है.

अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा सौराष्ट्र में प्रति-व्यक्ति और प्रति-एकड भू-राजस्व का स्तर अधिक है. मध्यवर्ती-वर्गों के समाप्त हो जाने से मध्यभारत में और सराफ-ए-खास के विलीनीकरण और जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन से हैदराबाद में भी भू-राजस्व का स्तर बढ गया है. इस क्षेत्र में दोनों राज्यों का स्थान सौराष्ट्र के बाद आता है. 'अ' वर्गीय राज्यों में प्रति-व्यक्ति और प्रति-एकड भू-राजस्व का स्तर उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक है. इसका प्रमुख कारण यहां हाल ही में किये गये भूमि-सुधार हैं, जिनसे अब सरकार और किसानों में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है, और फलस्वरूप किसान जमींदारों को भूमि-कर न देकर सीधे सरकार को ही देते हैं. अन्य 'अ' वर्गीय राज्यों की अपेक्षा प्रति-व्यक्ति खेतों का आकार अधिक होने से मध्यप्रदेश और बम्बई में भी प्रति-व्यक्ति भू-राजस्व का स्तर अधिक है.

## 'अ' तथा 'ब' वर्गीय राज्यों के प्रमुख शीर्षकों के अधीन प्रति-व्यक्ति प्राप्ति (१९५४-५५)

| राज्य (१) | आयकर (२) | भू-राजस्व (३) | बिक्रीकर (४) | उत्पादन शुल्क (अ) (५) | राजस्व के अन्य पद (६) | कुल राजस्व (७) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आसाम ... | २.२ | २.४ | ०.८ | १.८ | ८.७ | १५.९ |
| बिहार ... | १.५ | १.० | ०.७ | १.७ | ३.२ | ८.१ |
| बम्बई ... | २.८ | २.१ | ४.६ | ०.७ | १०.० | २०.२ |
| मध्यप्रदेश ... | १.५ | २.६ | ०.९ | १.६ | ६.९ | १३.५ |
| मद्रास ... | १.५ | १.३ | २.६ | ०.५ | ६.२ | १२.१ |
| आंध्र ... | १.६ | १.६ | १.५ | ०.५ | ५.० | १०.२ |
| उडीसा ... | १.४ | १.० | ०.९ | १.५ | ४.८ | ९.६ |
| पंजाब ... | १.६ | १.८ | १.७ | २.४ | १०.१ | १७.६ |
| उत्तरप्रदेश ... | १.५ | ३.० | ०.८ | १.४ | ५.४ | १२.१ |
| पश्चिमी बंगाल ... | २.९ | ०.९ | १.९ | २.५ | ७.९ | १६.१ |
| हैदराबाद ... | १.५ | २.७ | १.१ | ५.२ | ४.५ | १५.० |
| मध्यभारत ... | १.३ | ४.२ | १.८ | २.५ | ९.२ | १९.० |
| मैसूर ... | ०.१ | १.५ | १.७ | १.७ | १८.३ | २३.३ |
| पेप्सू ... ... | १.३ | ४.१ | १.३ | ५.४ | ८.९ | २१.० |
| राजस्थान ... | १.५ | ३.१ | ०.० | २.१ | ७.४ | १४.१ |
| सौराष्ट्र ... | ०.० | ७.२ | १.७ | ०.२ | १८.४ | २७.५ |
| त्रावणकोर-कोचीन | १.० | ०.८ | २.८ | २.३ | ११.८ | १८.७ |

(अ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में राज्यों का हिस्सा समाविष्ट करते हुए.

प्राप्ति स्थान : रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, चलार्थ तथा वित्त पर प्रतिवेदन, १९५३-५४.

**टिप्पणी.**—सांख्यिकीय गणना के लिये यहां मद्रास की जनसंख्या में बिलारी जिले (जो अब मैसूर में विलीन हो गया है) की जनसंख्या का भी समावेष कर लिया गया है.

## 'अ' तथा 'ब' वर्गीय राज्यों के कुल राजस्व में प्रत्येक शीर्षक के अधीन राजस्व संग्रह की प्रतिशतता, १९५४-५५ (आय-व्ययक)

| राज्य (१) | आयकर (२) | भू-राजस्व (३) | बिक्रीकर (४) | उत्पादन शुल्क (अ) (५) | राजस्व के अन्य पद (६) |
|---|---|---|---|---|---|
| आसाम ... ... | १३.९ | १४.८ | ५.० | ११.५ | ५४.८ |
| बिहार ... ... ... | १८.७ | १२.२ | ८.५ | २१.० | ३९.६ |
| बम्बई ... ... ... | १४.१ | १०.२ | २२.९ | ३.४ | ४९.४ |
| मध्यप्रदेश ... ... | १०.८ | १९.४ | ६.८ | १२.१ | ५०.९ |
| मद्रास ... ... ... | १२.५ | १०.६ | २१.३ | ४.५ | ५१.१ |
| आन्ध्र ... ... ... | १५.४ | १५.९ | १५.० | ५.३ | ४८.४ |
| उडीसा ... ... | १४.९ | ९.९ | ९.२ | १५.९ | ५०.१ |
| पंजाब ... ... ... | ९.१ | १०.० | ९.६ | १३.५ | ५७.८ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | १२.६ | २४.९ | ६.८ | ११.१ | ४४.६ |
| लपश्चिमी बंगा ... ... | १८.३ | ५.४ | ११.५ | १५.८ | ४९ ० |
| हैदराबाद ... ... | ९.७ | १८.२ | ७.२ | ३५.० | २९.९ |
| मध्यभारत ... ... | ६.९ | २२.४ | ९.३ | १३.० | ४८.४ |
| मैसूर ... ... ... | ०.५ | ६.५ | ७.४ | ७.४ | ७८.२ |
| पेप्सू ... ... ... | ६.० | १९.४ | ६.४ | २५.९ | ४२.३ |
| राजस्थान ... ... | १०.३ | २१.९ | ... | १४.७ | ५३.१ |
| सौराष्ट्र ... ... | ... | २६.२ | ६.२ | ०.५ | ६७.१ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | ५.२ | ४.२ | १५.० | १२.३ | ६३.३ |

(अ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में राज्यों का हिस्सा समाविष्ट करते हुए.

प्राप्ति स्थान : रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, चलार्थ तथा वित्त पर प्रतिवेदन, १९५३-५४.

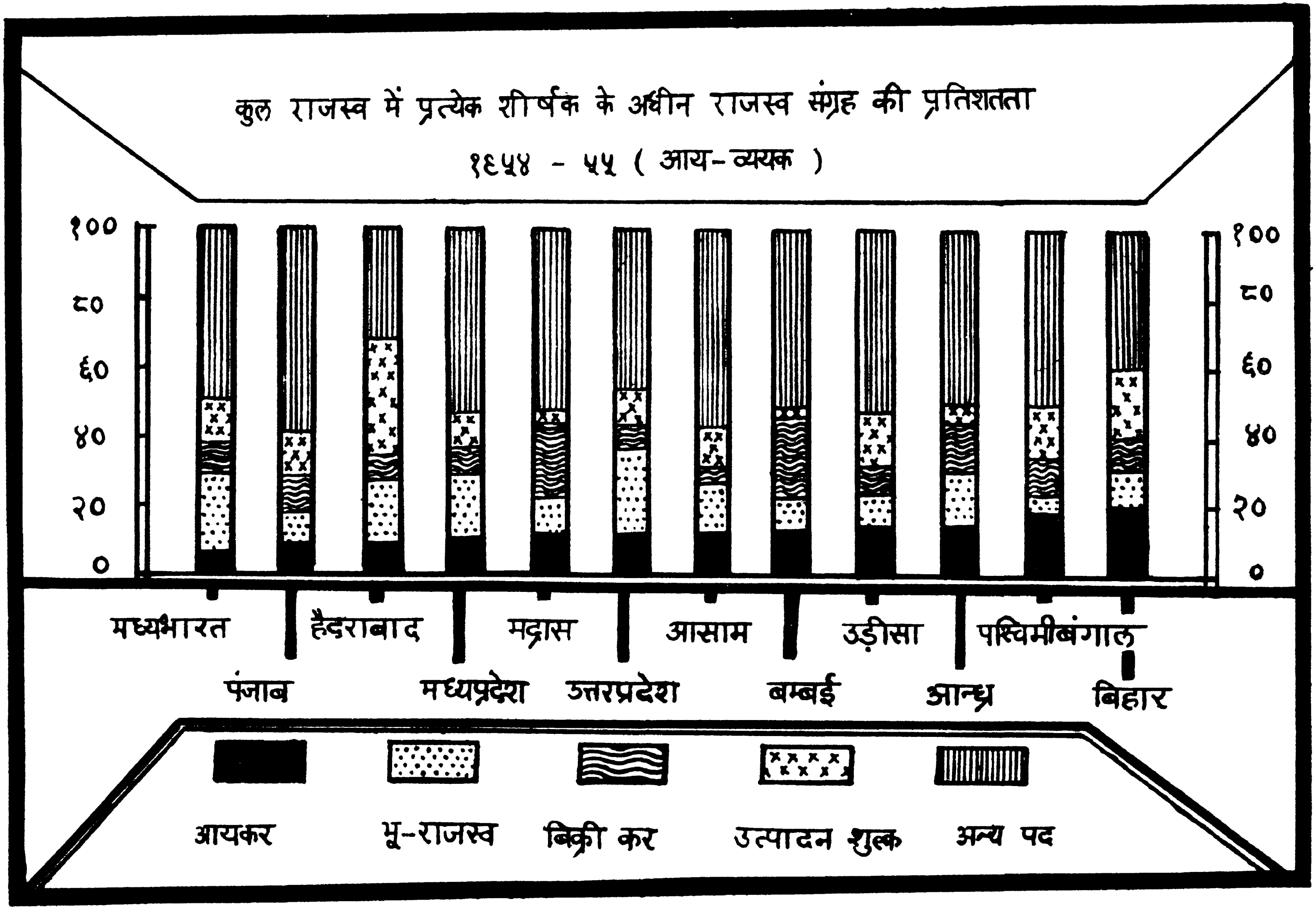
कुल राजस्व में प्रत्येक शीर्षक के अधीन राजस्व संग्रह की प्रतिशतता
१९५४ - ५५ ( आय-व्ययक )
१००
८०
६०
४०
२०
०
मध्यभारत
पंजाब
हैदराबाद
मध्यप्रदेश
मद्रास
उत्तरप्रदेश
आसाम
बम्बई
उड़ीसा
आन्ध्र
पश्चिमीबंगाल
बिहार
आयकर
भू-राजस्व
बिक्री कर
उत्पादन शुल्क
अन्य पद

## 'अ' तथा 'ब' वर्गीय राज्यों में कुछ प्रमुख सेवाओं पर प्रति-व्यक्ति व्यय, १९५४-५५

(रुपयों में)

| राज्य | राजस्व पर प्रत्यक्ष मांगें | ऋण सेवाएं (क) | लोक प्रशासन (ख) | लोक कार्य | लोक कार्यों के अतिरिक्त विकास-व्यय (ग) | व्यय के अन्य पद | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| आसाम ... ... | १.४ | ०.२ | २.९ | ४.९ | ६.९ | २.२ | १८.५ |
| बिहार ... ... | १.० | ०.२ | २.१ | १.९ | ४.० | ०.७ | ९.९ |
| बम्बई ... ... | २.२ | १.० | ५.४ | १.३ | ८.३ | १.९ | २०.१ |
| मध्यप्रदेश ... | २.९ | ०.४ | २.७ | १.९ | ५.१ | १.४ | १४.४ |
| मद्रास ... ... | १.१ | —०.३ | ३.२ | १.० | ६.६ | ०.८ | १२.४ |
| आन्ध्र ... ... | १.१ | —०.४ | ३.२ | १.२ | ६.० | ०.६ | ११.७ |
| उडीसा ... ... | १.४ | ०.१ | २.५ | १.२ | ४.२ | ०.७ | १०.१ |
| पंजाब ... ... | १.९ | ०.४ | ४.२ | २.३ | ६.२ | ३.३ | १८.३ |
| उत्तरप्रदेश ... | १.३ | १.१ | २.६ | ०.८ | ४.४ | २.६ | १२.८ |
| पश्चिमी बंगाल ... | १.३ | ०.५ | ४.६ | २.५ | ८.४ | ४.२ | २१.५ |
| हैदराबाद ... | १.८ | १.९ | ३.० | १.१ | ५.४ | २.४ | १५.६ |
| मध्यभारत ... | १.८ | ०.२ | ४.० | २ ६ | ९.१ | १.१ | १८.८ |
| मैसूर ... ... | १.२ | १.४ | ३.१ | ३.२ | १६.४ | १.५ | २६.८ |
| पेप्सू ... ... | ३.१ | १.२ | ४.७ | २.५ | ७.७ | २.० | २१.२ |
| राजस्थान ... | २.२ | ०.१ | ३.८ | १.१ | ५.८ | १.१ | १४.१ |
| सौराष्ट्र ... ... | ३.५ | ०.६ | ५.१ | ४.३ | १२.८ | २.२ | २८.५ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | १.५ | ०.२ | २.७ | २.९ | ८.५ | ४.२ | २०.० |

(क) इसमें ऋण के घटाने या परिहार के लिये समायोजन समाविष्ट है.

(ख) इसमें सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, कारागार तथा अपराधी वसति-स्थान, पुलिस तथा विविध विभागों की व्यवस्था के व्यय समाविष्ट हैं.

(ग) वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशु-चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग, ग्रामीण-विकास, श्रम-कल्याण, बंदरगाह व जलयान चालक, विमान-चालक, विद्युत योजना और सामुदायिक विकास योजना समाविष्ट हैं.

प्राप्ति स्थान: रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, चलार्थ तथा वित्त पर प्रतिवेदन, १९५३-५४.

**टिप्पणी**.—सांख्यिकीय गणना के लिये यहां मद्रास की जनसंख्या में बिलारी जिले (जो अब मैसूर में विलीन हो गया है) की जनसंख्या का भी समावेष कर लिया गया है.

## 'अ' और 'ब' वर्गीय राज्यों के राजस्व से किये गये कुल व्यय में प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत व्यय की प्रतिशतता, १९५४-५५ (आय-व्ययक)

| राज्य | राजस्व पर प्रत्यक्ष मांगें | ऋण सेवाएं (अ) | लोक प्रशासन (ब) | लोक कार्य | लोक कार्यों के अतिरिक्त विकास-व्यय (स) | व्यय के अन्य पद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| आसाम ... | ७.४३ | ०.९० | १५.९३ | २६.६५ | ३७.३७ | ११.७२ |
| बिहार ... | ९.६७ | २.४२ | २१.७५ | १९.४८ | ४०.७८ | ५.९० |
| बम्बई ... | ११.०१ | ४.८६ | २६.६८ | ६.४० | ४१.३९ | ९.६६ |
| मध्यप्रदेश ... | १९.९२ | ३.०६ | १९.०० | १३.०१ | ३५.१४ | ९.८७ |
| मद्रास ... | ९.२५ | —२.०४ | २५.८३ | ८.३२ | ५३.२५ | ५.३९ |
| आन्ध्र ... | ९.७० | —३.०४ | २७.०२ | १०.५७ | ५१.२१ | ४.५४ |
| उडीसा ... | १३.३९ | १.२१ | २४.९० | ११.५७ | ४१.६६ | ७.२७ |
| पंजाब ... | १०.५० | २.२५ | २२.९० | १२.७९ | ३३.८८ | १७.६८ |
| उत्तरप्रदेश ... | १०.०७ | ८.५९ | १९.९१ | ६.१४ | ३४.१७ | २१.१२ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ५.९३ | २.३१ | २१.५७ | ११.५९ | ३९.१९ | १९.४१ |
| हैदराबाद ... | ११.८५ | १२.३७ | १९.५४ | ६.८६ | ३४.९१ | १४.४७ |
| मध्यभारत ... | ९.४३ | १.०० | २१.१९ | १३.७७ | ४८.३३ | ६.२८ |
| मैसूर ... | ४.६१ | ५.२३ | ११.६५ | ११.९८ | ६१.२८ | ५.२५ |
| पेप्सू ... ... | १४.४६ | ५.६८ | २२.०३ | ११.८९ | ३६.२२ | ९.७२ |
| राजस्थान ... | १५.७३ | ०.६० | २७.१५ | ८.०३ | ४०.९३ | ७.५६ |
| सौराष्ट्र ... | १२.१९ | २.०३ | १७.७८ | १४.९० | ४४.९६ | ८.१४ |
| त्रावणकोर-कोचीन.. | ७.४७ | १.१३ | १३.३३ | १४.२५ | ४२.२० | २१.६२ |

(अ) इसमें ऋण क घटाने अथवा परिहार के लिये किये गये समायोजन सम्मिलित हैं.

(ब) इसमें सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, कारागार और अपराधी वसति-स्थान, पुलिस और विविध विभागों की व्यवस्था के व्यय सम्मिलित हैं.

(स) इसमें वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग, ग्रामीण-विकास, श्रम-कल्याण, बंदरगाह और जलयान-चालक, विमान चालक, विद्युत योजनाएं और सामुदायिक विकास योजनाएं समाविष्ट हैं.

प्राप्ति स्थान : रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, चलार्थ और वित्त पर प्रतिवेदन, १९५३-५४.

कुल व्यय में प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत व्यय की प्रतिशतता

१६५४ - ५५ (आय-व्ययक)

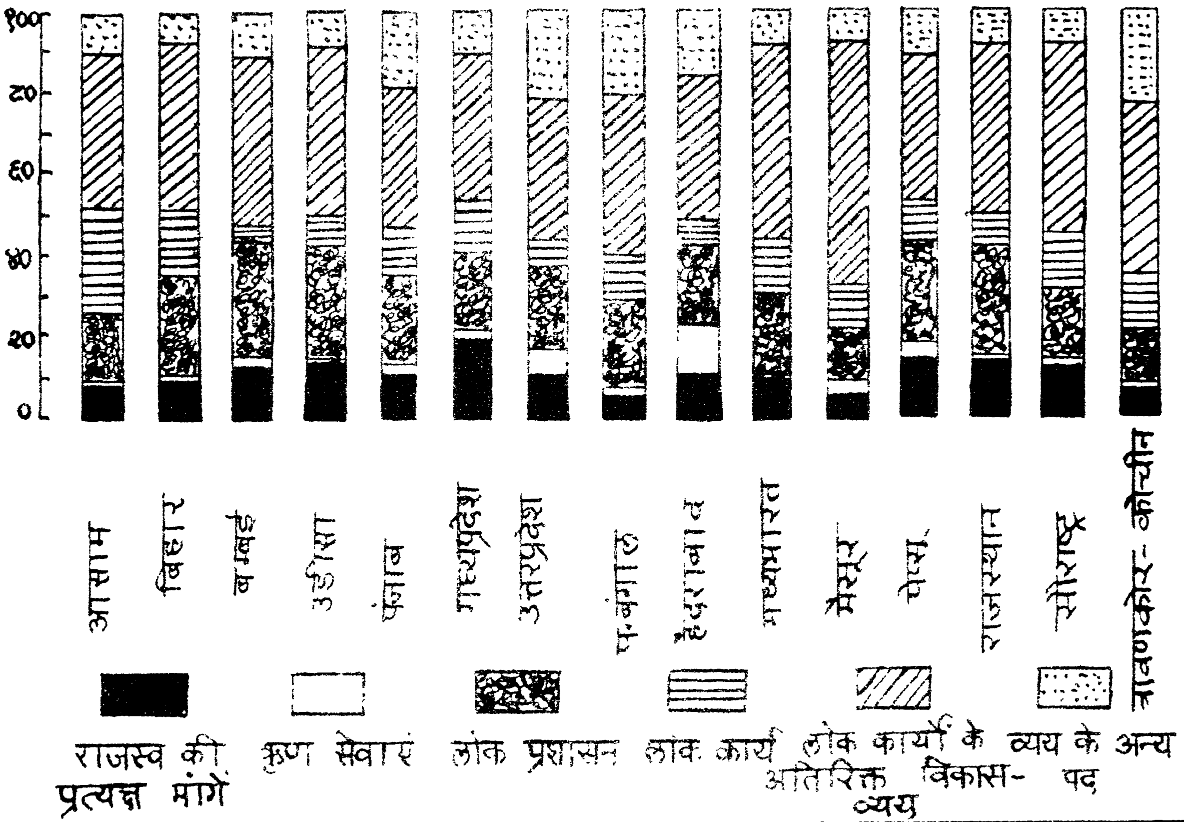

## 'अ' और 'ब' वर्गीय राज्यों में शिक्षा, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर प्रति-व्यक्ति व्यय, १९५२-५३

| राज्य | | शिक्षा | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य |
|---|---|---|---|
| (१) | | (२) | (३) |
| | | रु. | रु. |
| आसाम | ... | २.१ | ०.९ |
| बिहार | ... | १.० | ०.५ |
| बम्बई | ... | ३.६ | १.३ |
| मध्यप्रदेश | ... | १.६ | ०.५ |
| मद्रास | ... | २.१ | ०.८ |
| उडीसा | ... | १.० | ०.५ |
| पंजाव | ... | १.६ | ०.८ |
| उत्तरप्रदेश | ... | १.३ | ०.५ |
| पश्चिमी बंगाल | ... | १.६ | २.० |
| हैदराबाद | ... | २.४ | ०.९ |
| मध्यभारत | ... | २.२ | १.५ |
| मैसूर | ... | ३.७ | १.५ |
| पेप्सू ... | ... | २.२ | १.१ |
| राजस्थान | ... | १.६ | १.० |
| सौराष्ट्र | ... | ३.० | १.४ |
| त्रावणकोर-कोचीन | ... | ३.६ | १.३ |
| योग | ... | १.९ | ०.९ |

प्राप्ति स्थान: वित्त आयोग का प्रतिवेदन, १९५२.

# शिक्षा पर प्रति-व्यक्ति व्यय
(१९५२-५३)

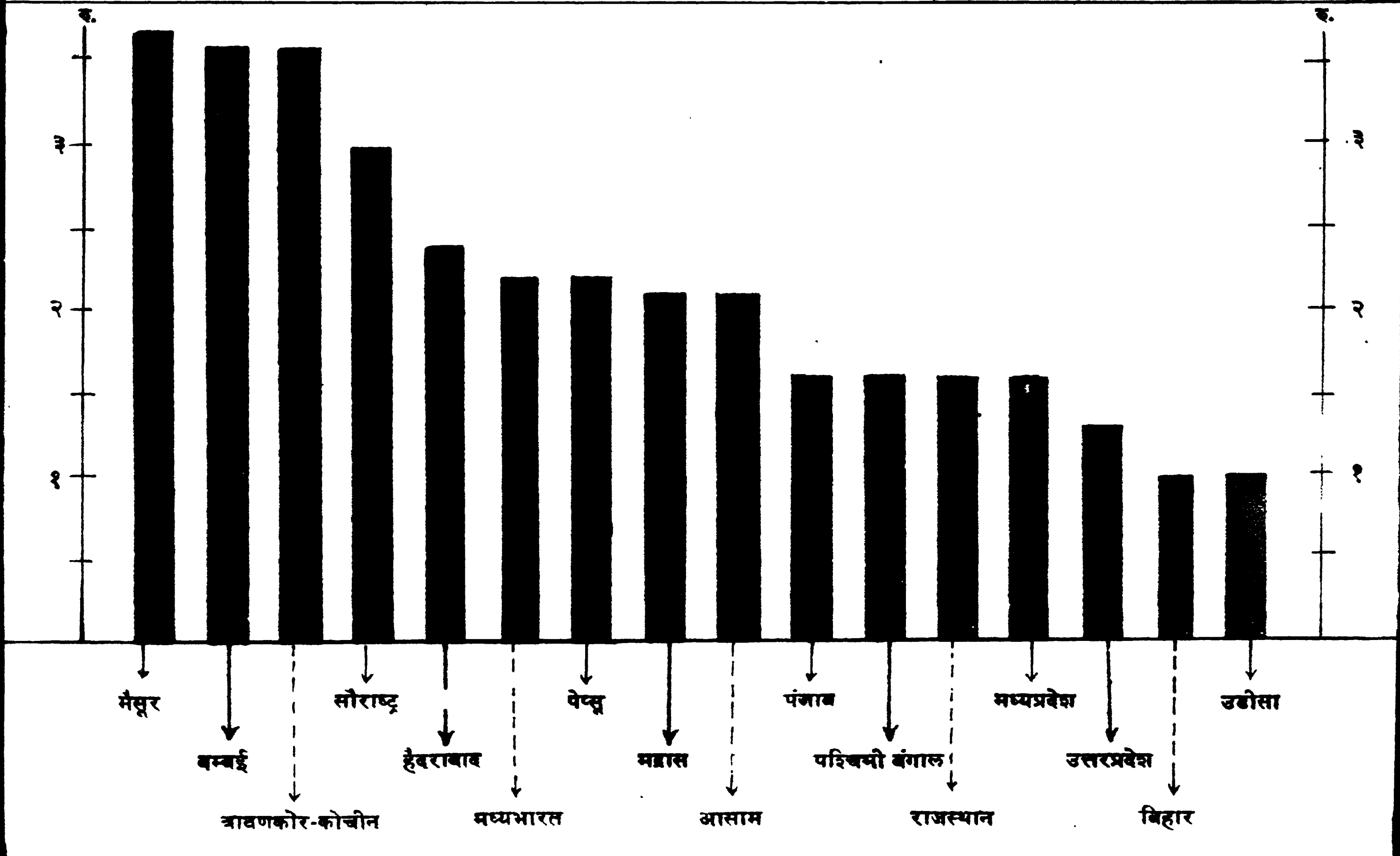

# शिक्षा पर प्रति-व्यक्ति व्यय
(१९५२-५३)

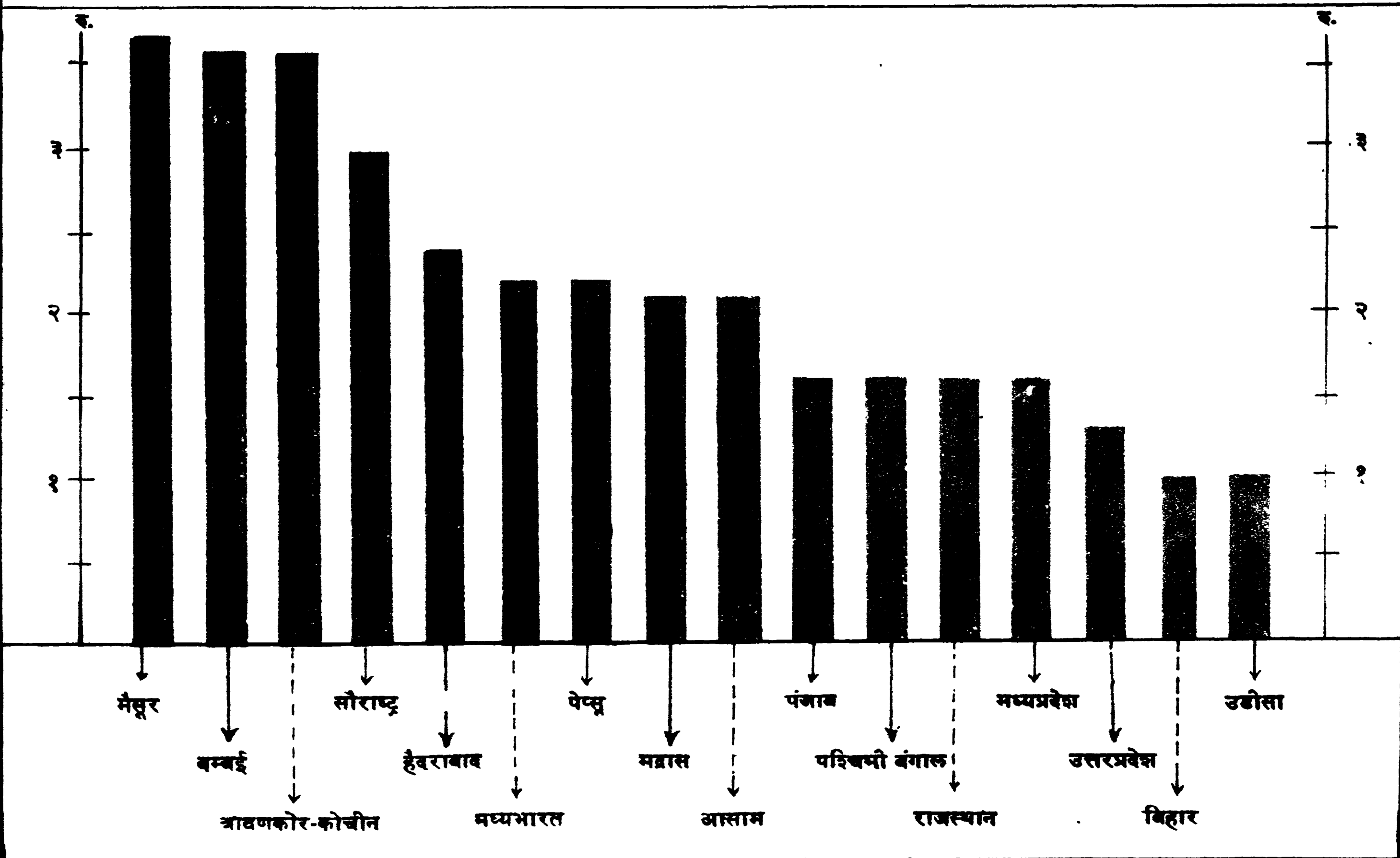

# चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य पर प्रति-व्यक्ति व्यय
(१९५२-५३)

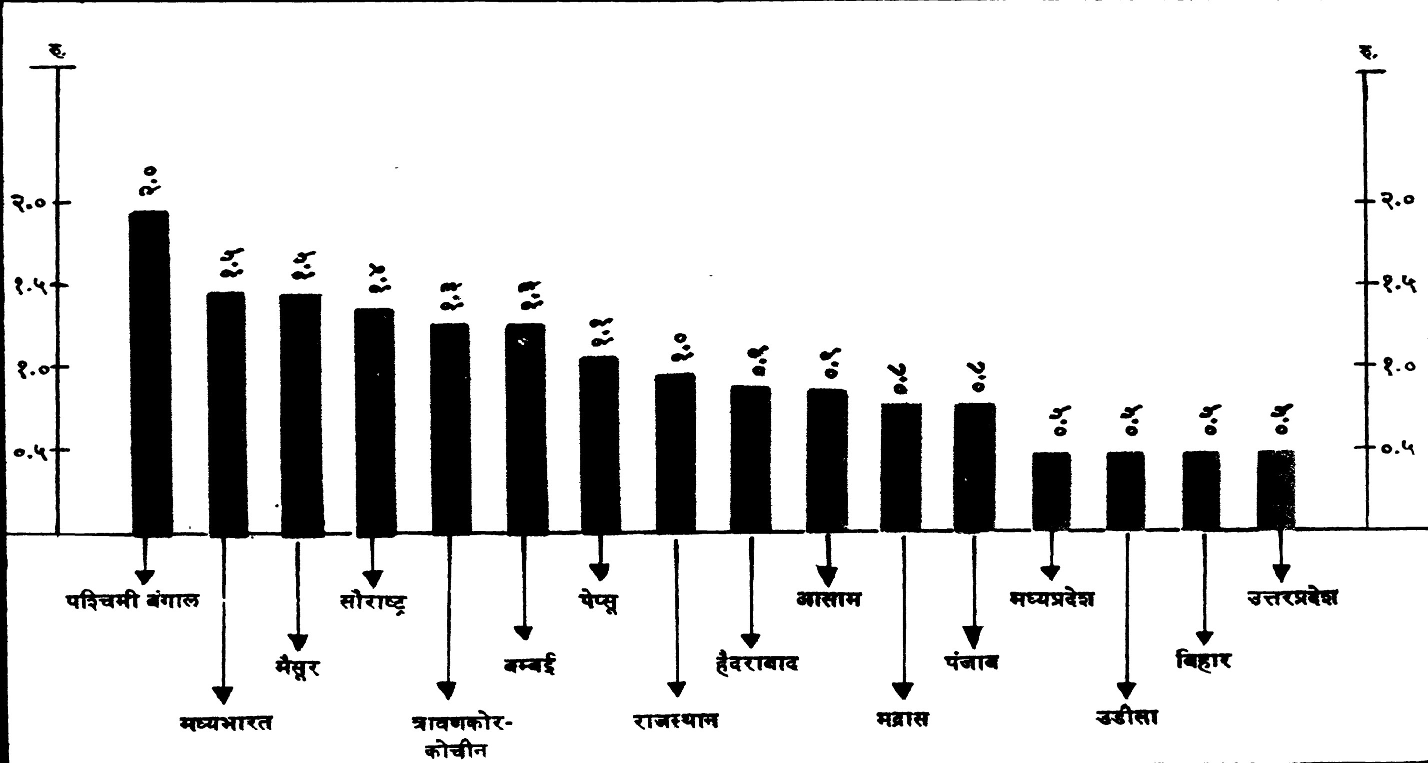

## आयकर और केन्द्रीय-उत्पादन-शुल्क के भाज्य समुच्चय (Divisible Pool) में विभिन्न राज्यों के अंश (१ अप्रैल १९५२ से)

| राज्य | प्रतिशत अंश (आयकर) | प्रतिशत अंश (केन्द्रीय-उत्पादन-शुल्क) (क) |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| भाग 'अ'— | | |
| आसाम ... ... ... | २.२५ | २.६१ |
| बिहार ... ... ... | ९.७५ | ११.६० |
| बम्बई ... ... ... | १७.५० | १०.३७ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | ५.२५ | ६.१३ |
| मद्रास (ख) ... ... ... | १५.२५ | १६.४४ |
| उडीसा ... ... ... | ३.५० | ४.२२ |
| पंजाब ... ... ... | ३.२५ | ३.६६ |
| उत्तरप्रदेश ... ... ... | १५.७५ | १८.२३ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | ११.२५ | ७.१६ |
| योग ... | ८३.७५ | ८०.४२ |
| भाग 'ब'— | | |
| हैदराबाद ... ... ... | ४.५० | ५.३९ |
| मध्यभारत ... ... ... | १.७५ | २.२९ |
| मैसूर ... ... ... | २.२५ | २.६२ |
| पेप्सू ... ... ... | ०.७५ | १.०० |
| राजस्थान ... ... ... | ३.५० | ४.४१ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | १.०० | १.१९ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... ... | २.५० | २.६८ |
| योग | १६.२५ | ११.५८ |

(क) तम्बाखू (जिसमें सिगरेट, सिगार इत्यादि सम्मिलित हैं), माचिस और वनस्पति पर चुने हुए उत्पादन-शुल्क.

(ख) विधि द्वारा उपबंध निश्चित होने तक, आन्ध्र राज्य अधिनियम की ७ वीं अनुसूची के ७ वें परिच्छेदान्तर्गत उपबन्ध के अनुसार संयुक्त मद्रास राज्य का ३६ प्रतिशत अंश आन्ध्र राज्य को दिया गया है.

**टिप्पणी.**—ये प्रतिशतताएं वित्त आयोग (१९५२) की सिफारिशों और भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार हैं.

## ग्रामीण जनसंख्या पर परोक्ष कर का भार

| राज्य | | नगद व्यय का प्रतिशत कर | कुल व्यय का प्रतिशत कर | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | केन्द्रीय कर | राज्यीय कर | कुल कर |
| (१) | | (२) | (३) | (४) | (५) |
| आसाम | ... ... | ५.३ | १.७ | १.० | २.७ |
| बिहार | ... ... | ४.२ | १.४ | ०.७ | २.० |
| बम्बई | ... ... | ६.० | २.२ | १.५ | ३.७ |
| मध्यप्रदेश | ... ... | ५.३ | १.८ | १.० | २.८ |
| मद्रास | ... ... | ४.८ | २.१ | १.२ | ३.३ |
| उडीसा | ... ... | ५.८ | १.६ | १.२ | २.८ |
| पंजाब | ... ... | ५.८ | २.० | १.० | ३.१ |
| उत्तरप्रदेश | ... ... | ४.८ | १.६ | ०.६ | २.२ |
| पश्चिमी बंगाल | ... ... | ४.६ | १.६ | १.३ | ३.० |
| **सभी 'अ' वर्गीय राज्य** | ... | ४.९ | १.८ | १.० | २.७ |
| हैदराबाद | ... ... | १०.० | २.२ | ३.३ | ५.४ |
| मध्यभारत | ... ... | ७.९ | २.५ | १.८ | ४.२ |
| मैसूर | ... ... | ५.३ | १.८ | १.३ | ३.१ |
| पेप्सू ... | ... ... | ६.८ | २.२ | १.८ | ४.१ |
| राजस्थान | ... ... | ६.० | १.८ | १.२ | ३.० |
| सौराष्ट्र | ... ... | ५.९ | २.१ | ०.९ | ३.१ |
| त्रावणकोर-कोचीन | ... | ६.२ | १.९ | २.५ | ४.५ |
| **सभी 'ब' वर्गीय राज्य** | ... | ७.० | २.० | १.९ | ४.० |
| **सम्पूर्ण भारत** | ... ... | ५.३ | १.८ | १.१ | २.९ |

प्राप्ति स्थान: टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन का प्रतिवेदन, १९५३-५४.

**टिप्पणी.**—अप्रेल १९५२ से सितम्बर १९५२ वाले राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण (National Sample Survey) की चतुर्थ अनसूचियों के परिणामों पर उपरोक्त कर-भार आधारित है :

## ग्रामीण जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष कर-भार

### नगद व्यय का प्रतिशत कर

(१९५३-५४)

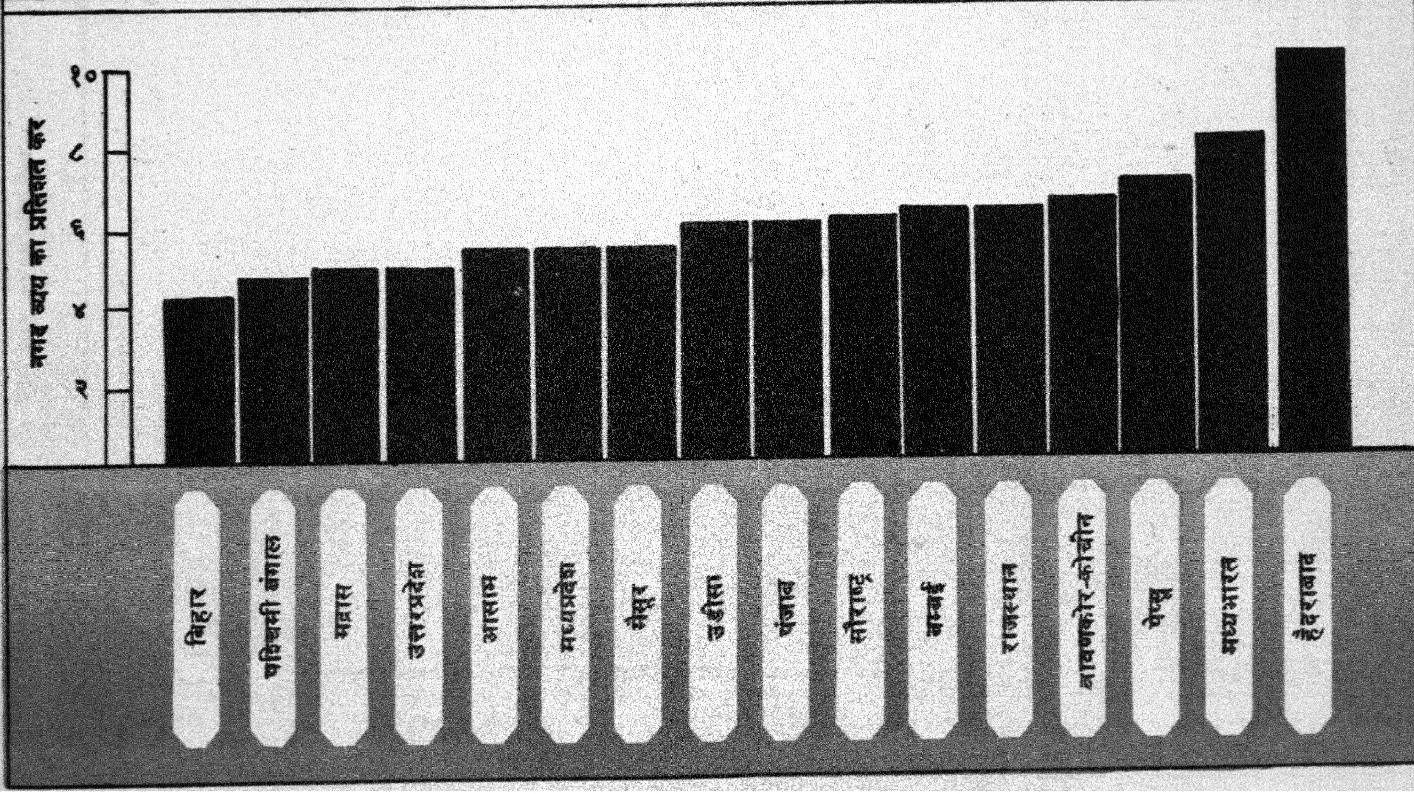

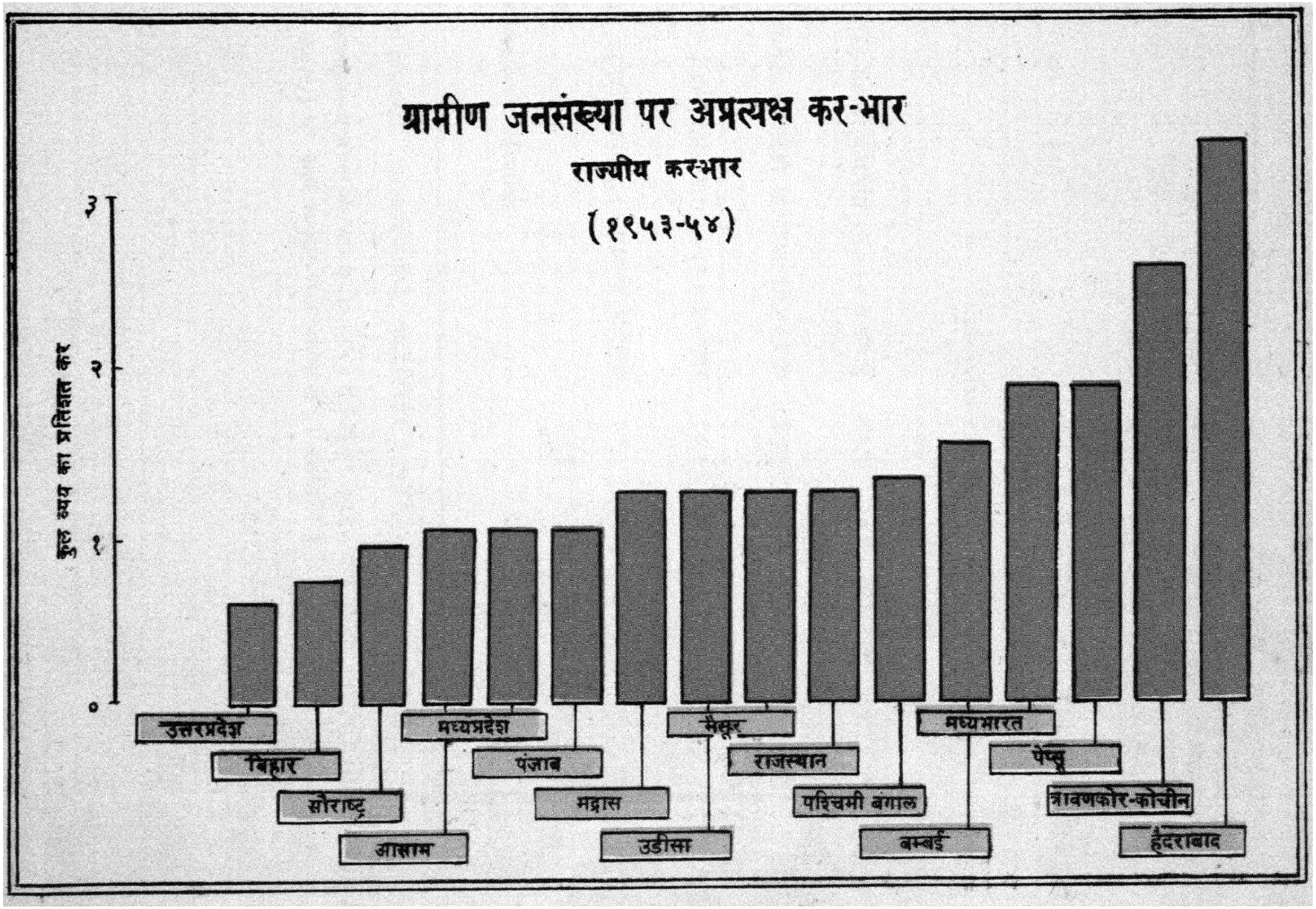

ग्रामीण जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष कर-भार
राज्यीय करभार
(१९५३-५४)
कुल व्यय का प्रतिशत कर
०
१
२
३
उत्तरप्रदेश
बिहार
सौराष्ट्र
आसाम
मध्यप्रदेश
पंजाब
मद्रास
उड़ीसा
मैसूर
राजस्थान
पश्चिमी बंगाल
बम्बई
मध्यभारत
पेप्सू
त्रावणकोर-कोचीन
हैदराबाद

## ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष कर-भार

| (१) | कुल अप्रत्यक्ष कर (२) | कुल व्यय (३) | नगद व्यय (४) | कुल व्यय का प्रतिशत नगद व्यय (५) | कुल व्यय का प्रतिशत कर (६) | नगद व्यय का प्रतिशत कर (७) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (प्रति व्यक्ति रुपयों में) | | | | | |
| ग्रामीण ... ... ... ... | ०.६२ | २१.१ | ११.६ | ५५ | २.९ | ५.३ |
| नगर (छोटे) जिनकी जनसंख्या १५,००० से कम है | ०.९९ | २०.९ | १६.८ | ८० | ४.८ | ५.९ |
| नगर (साधारण) जिनकी जनसंख्या १५,००१ से ५०,००० तक है. | १.६३ | २८.२ | २५.२ | ९० | ५.८ | ६.५ |
| नगर (बडे) जिनकी जनसंख्या ५०,००१ से १० लाख तक है. | १.९१ | ३०.४ | २८.४ | ९३ | ६.३ | ६.७ |
| महानगर जिनकी जनसंख्या १० लाख से अधिक है | २.५८ | ३९.६ | ३७.३ | ९४ | ६.५ | ६.९ |
| नगरीय ... ... ... ... | १.६९ | २८.९ | २५.९ | ९० | ५.९ | ६.५ |
| ग्रामीण तथा नगरीय सम्मिलित ... ... | ०.८० | २२.४ | १४.१ | ६३ | ३.६ | ५.७ |

प्राप्ति स्थान : "कर-जांच-आयोग" का प्रतिवेदन, १९५३-५४.

**टिप्पणी.**—उपरोक्त कर-भार अप्रैल १९५२ से सितम्बर १९५२ वाले राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण (National Sample Survey) की चतुर्थ अनुसूचियों के परिणामों पर आधारित है.

## विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति करों से प्राप्त राजस्व, १९५३-५४

| राज्य | राज्य उत्पाद-शुल्क | भू-राजस्व | बिक्री-कर (१) | कुल योग (२) |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | (प्रति व्यक्ति रुपयों में) | | | |
| आसाम ... ... ... ... | १.४० | २.२० | १.२५ | ६.६९ |
| बिहार ... ... ... ... | १.१४ | ०.७७ | १.०१ | ४.२१ |
| बम्बई ... ... ... ... | ०.२५ | १.८६ | ४.४१ | १०.२१ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... ... | १.१२ | २.४२ | १.०९ | ५.६९ |
| मद्रास ... ... ... ... | ०.०७ | १.२४ | २.६७ | ६.२९ |
| उडीसा ... ... ... ... | १.०९ | ०.९७ | ०.८५ | ३.६७ |
| पंजाब ... ... ... ... | १.८१ | १.६७ | १.६७ | ६.६६ |
| उत्तरप्रदेश ... ... ... ... | ०.८३ | २.८९ | ०.८१ | ५.९८ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... ... ... | १.९८ | ०.८३ | २.२७ | ८.१४ |
| **सभी "अ" वर्गीय राज्य** ... ... ... | ०.८४ | १.७२ | १.९० | ६.४६ |
| हैद्राबाद ... ... ... ... | ४.३८ | २.५२ | १.१३ | ९.१९ |
| मध्यभारत ... ... ... ... | १.८९ | ४.०६ | १.५७ | ९.४० |
| मैसूर ... ... ... ... | १.६५ | ०.९८ | १.४९ | ५.९८ |
| पेप्सू ... ... ... ... ... | ५.३१ | ३.७२ | १.४७ | १२.०७ |
| राजस्थान ... ... ... ... | १.५१ | २.४४ | ... | ६.९९ |
| सौराष्ट्र ... ... ... ... | ०.१६ | ६.५९ | १.८३ | १०.२१ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... ... ... | २.५२ | ०.७२ | २.३३ | ८.४३ |
| **सभी "ब" वर्गीय राज्य** ... ... ... | २.६० | २.५३ | १.२० | ८.३८ |
| **सम्पूर्ण भारतवर्ष** (३) ... | १.२१ | १.८७ | १.७४ | ६.८१ |

प्राप्ति स्थान : "कर-जांच-आयोग" का प्रतिवेदन, १९५३-५४.

(१) इसमें मोटर स्पिरिट पर बिक्री-कर सम्मिलित है.

(२) इसमें अन्य कर सम्मिलित हैं.

(३) इसमें "स" वर्गीय राज्य भी सम्मिलित हैं.

## प्रति व्यक्ति, प्रति एकड भू-राजस्व, १९५३-५४

| राज्य | | प्रति व्यक्ति जोती गई भूमि (एकड़ों में) | प्रति व्यक्ति भू-राजस्व (रुपयों में) | प्रति एकड़ भू-राजस्व (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| (१) | | (२) | (३) | (४) |
| आसाम ... | ... | १.१३ | २.७५ | २.४२ |
| बिहार ... | ... | १.०६ | १.१० | १.०३ |
| बम्बई ... | ... | २.५४ | ३.६० | १.४२ |
| मध्यप्रदेश ... | ... | २.८२ | ३.७४ | १.३३ |
| मद्रास ... | ... | १.५२ | २.८० | १.८४ |
| उडीसा ... | ... | १.४३ | १.०० | ०.७० |
| पंजाब ... | ... | १.९७ | २.१८ | १.११ |
| उत्तरप्रदेश ... | ... | ०.९९ | ४.४७ | ४.४२ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ... | १.१५ | १.२१ | १.०५ |
| **सभी 'अ' वर्गीय राज्य** | ... | १.४९ | २.८६ | १.९२ |
| हैदराबाद ... | ... | ३.८९ | ५.०४ | १.३० |
| मध्यभारत ... | ... | २.५८ | ६.५८ | २.५५ |
| मैसूर ... | ... | १.८१ | २.०६ | १.१४ |
| पेप्सू ... ... | ... | २.३० | ४.४६ | १.९४ |
| सौराष्ट्र ... | ... | २.४५ | १५.४५ | ६.३० |
| राजस्थान ... | ... | ३.२४ | २.७२ | ०.८४ |
| त्रावणकोर-कोचीन | ... | ०.८८ | १.९६ | २.२३ |
| **सभी 'ब' वर्गीय राज्य** | ... | २.८१ | ४.३४ | १.५५ |

**प्राप्ति स्थान :** टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन का प्रतिवेदन, १९५३-५४.

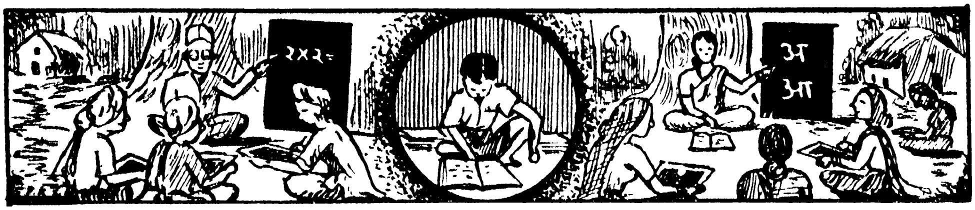


## अध्याय १०

# शिक्षा

**स्वाधीनता-प्राप्ति** के पश्चात् हमारे देश में शिक्षा-विकास की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है. वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को अधिक प्रभावशाली एवं व्यापक बनाने के लिये हर-संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक, तांत्रिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है. राष्ट्र के हर क्षेत्र में अधिकाधिक जनता को शिक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न शिक्षा-विकास योजनायें हाथ में ली हैं. यद्यपि इन कार्यों से शिक्षा-प्रसार के क्षेत्र में यथेष्ट प्रगति हुई है, तथापि अभी भी हमें इस ओर बहुतसा कार्य करना है. भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी शिक्षा-नीति के निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्र है तथा राज्य की जनता को शिक्षा प्रदान करने के लिये पूर्ण उत्तरदायी भी. केन्द्रीय सरकार शिक्षा के राष्ट्रीय-स्वरूप (National Charactor) का संरक्षण करने और विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक-स्तरों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न करती है. प्रस्तुत लेख में विभिन्न राज्यों के शिक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं का तुलनात्मक विवेचन करने का प्रयास किया गया है.

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार त्रावणकोर-कोचीन में साक्षरता की प्रतिशतता सर्वाधिक (४६.४ प्रतिशत) है. तत्पश्चात्, दिल्ली (३८.४ प्रतिशत), कुर्ग (२७.२ प्रतिशत), अन्दमान व निकोबार द्वीप (२५.८ प्रतिशत), बम्बई (२४.६ प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (२४.५ प्रतिशत) व मैसूर (२०.३ प्रतिशत) का क्रम आता है. पुरुषों की प्रतिशत साक्षरता भी त्रावणकोर-कोचीन में (५५.२ प्रतिशत) सर्वाधिक है. तदनन्तर दिल्ली (४३.० प्रतिशत), बम्बई (३५.५ प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (३४.७ प्रतिशत), कुर्ग (३४.० प्रतिशत) तथा मैसूर (३०.० प्रतिशत) का क्रम आता है. स्त्रियों की प्रतिशत साक्षरता में भी त्रावणकोर-कोचीन (३७.७ प्रतिशत) का सर्वप्रथम स्थान है, और उसके बाद क्रमशः दिल्ली (२३.३ प्रतिशत), कुर्ग (१९.० प्रतिशत), बम्बई (१२.९ प्रतिशत) व पश्चिमी बंगाल (१२.७ प्रतिशत) आते हैं. मध्यप्रदेश की कुल प्रतिशत साक्षरता १३.५ है, तथा पुरुषों व स्त्रियों की प्रतिशत साक्षरता क्रमशः २१.९ व ५.०. उपर्युक्त राज्यों की तुलना में हमारे राज्य की साक्षरता संबंधी स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है, तथापि उत्तरप्रदेश और बिहार सदृश 'अ' राज्यों एवं हैदराबाद, मध्यभारत, पेप्सू तथा राजस्थान सदृश 'ब' राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति निसंदेह अच्छी है.

सन् १९५३-५४ में दिल्ली राज्य की शिक्षा-विकास-व्यय की प्रतिशतता सर्वाधिक (३३.२) थी. तत्पश्चात्, अजमेर (३१.०) मध्यप्रदेश (१९.०), बम्बई (१८.९), विन्ध्यप्रदेश (१८.८), मनीपुर (१८.४), कुर्ग (१७.९) तथा त्रावणकोर-कोचीन (१७.८) का क्रम आता है. गौरव की बात है कि समस्त भारत के 'अ' एवं 'ब' राज्यों में मध्यप्रदेश ने शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय किया.

सन् १९५१-५२ में मद्रास (अविभाजित) में मान्य शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या सर्वाधिक (४३,७१८) थी. तत्पश्चात्, बम्बई (४२,२५०), उत्तरप्रदेश (३८ ०२३), बिहार (३०,२३८), मध्यप्रदेश (२५,२०२) व पश्चिमी

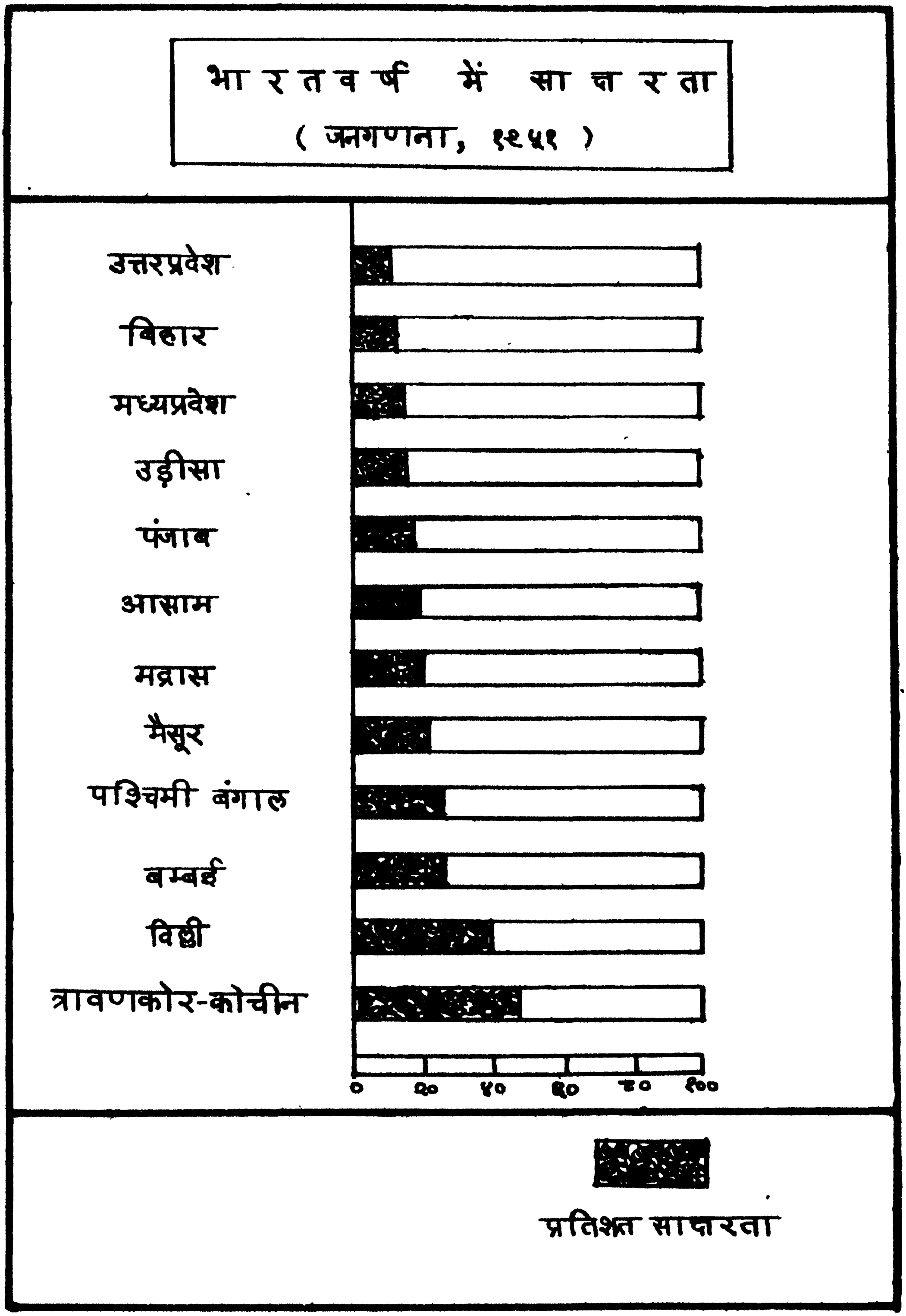
भारतवर्ष में साक्षरता
( जनगणना, १९५१ )
उत्तरप्रदेश
बिहार
मध्यप्रदेश
उड़ीसा
पंजाब
आसाम
मद्रास
मैसूर
पश्चिमी बंगाल
बम्बई
दिल्ली
त्रावणकोर-कोचीन
०
२०
४०
६०
८०
१००
प्रतिशत साक्षरता

बंगाल (२०,०८५) का क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् स्थान आता है. विद्यार्थियों की संख्या (हजारों में) की दृष्टि से भी मद्रास (५,१२६) का सर्वप्रथम स्थान आता है; और तत्पश्चात् बम्बई (४,२९२), उत्तरप्रदेश (३,८११), पश्चिमी बंगाल (२,२५३), बिहार (१,९८०) तथा त्रावणकोर-कोचीन (१,५१४) का क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम् और षष्टम् स्थान है. मध्यप्रदेश का इस दृष्टि से सातवां स्थान है—जहां विद्यार्थियों की संख्या १,३७९,००० है.

माध्यमिक शालाओं की शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात दर्शाने वाली तालिका भी उल्लेखनीय समंक प्रस्तुत करती है. सन् १९५०-५१ में कुर्ग के मिडिल स्कूलों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की औसत संख्या सर्वाधिक (४२) थी. तत्पश्चात्, पेप्सू (३५), पंजाब (३३), बिलासपुर (३२), दिल्ली (३२), मैसूर (३०), आसाम (२९) तथा मध्यप्रदेश (२७) का क्रम आता है. जहां तक हाईस्कूलों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की औसत संख्या का संबंध है, सन् १९५०-५१ में अन्दमान-निकोबार (४६) का स्थान सर्वप्रथम था. तत्पश्चात्, बिलासपुर (३६), पंजाब (३४), उत्तरप्रदेश (३३), पेप्सू (३१) व मनीपुर (३०) का क्रम आता है. मध्यप्रदेश का यह अनुपात १:२३ था.

## साक्षरता
**(जन-गणना, १९५१)**

| राज्य | प्रतिशत साक्षरता | | |
|---|---|---|---|
| | पुरुष | स्त्रियां | योग |
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| **भाग 'अ' राज्य—** | | | |
| आसाम ... ... | २७.१ | ७.८ | १८.१ |
| बिहार ... ... | २०.६ | ३.७ | १२.२ |
| बम्बई ... ... | ३५.५ | १२.९ | २४.६ |
| मध्यप्रदेश ... ... | २१.९ | ५.० | १३.५ |
| मद्रास ... ... | २८.६ | १०.० | १९.३ |
| उडीसा ... ... | २७.३ | ४.५ | १५.८ |
| पंजाब ... ... | २२.० | ९.४ | १६.१ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | १७.४ | ३.६ | १०.८ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ३४.७ | १२.७ | २४.५ |
| योग ... | २५.४ | ७.५ | १६.७ |
| **भाग 'ब' राज्य—** | | | |
| हैदराबाद ... ... | १५.१ | ३.० | ९.२ |
| मध्यभारत ... ... | १७.४ | ३.७ | १०.८ |
| मैसूर ... ... | ३०.० | १०.२ | २०.३ |
| पेप्सू ... ... | १७.७ | ५.२ | १२.० |
| राजस्थान ... ... | १३.७ | २.६ | ८.४ |
| सौराष्ट्र ... ... | २६.३ | १०.५ | १८.५ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | ५५.२ | ३७.७ | ४६.४ |
| योग ... | २३.२ | ९.४ | १६.५ |

(जन-गणना, १९५१)

| राज्य | प्रतिशत साक्षरता | | |
|---|---|---|---|
| | पुरुष | स्त्रियां | योग |
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| **भाग 'स' राज्य—** | | | |
| अजमेर ... ... | २९.१ | १०.३ | २०.१ |
| भोपाल ... ... | १२.३ | ३.९ | ८.२ |
| कुर्ग ... ... | ३४.० | १९.० | २७.२ |
| दिल्ली ... ... | ४३.० | ३२.३ | ३८.४ |
| हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर | १२.६ | २.४ | ७.७ |
| कच्छ ... ... | २४.४ | १०.२ | १७.१ |
| मनीपुर ... ... | २०.८ | २.४ | ११.४ |
| त्रिपुरा ... .... | २२.३ | ८.० | १५.५ |
| विन्ध्य प्रदेश ... | १०.९ | १.१ | ६.१ |
| योग ... | २१.१ | ८.५ | १५.१ |
| **भाग 'ड' राज्य और अन्य प्रदेश—** | | | |
| अंदमान तथा निकोबार द्वीप | ३४.२ | १२.३ | २५.८ |
| चन्द्रनगर (अ) ... | ५२.५ | २९.१ | ४२.३ |
| सिक्किम ... ... | १२.८ | १.३ | ७.३ |
| योग ... | २५.६ | ४.२ | १७.९ |
| कुल योग ... | २४.९ | ७.९ | १६.६ |

(अ) अब पश्चिमी बंगाल का एक भाग है.

**टिप्पणी.**—१९५१ की जन-गणनानुसार साक्षरता की परिभाषा साधारण पत्र पढने तथा लिखने की योग्यता थी.

प्राप्ति स्थान : "मासिक सांख्यिकी संक्षेप", सितम्बर १९५४, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन.

# आय-व्ययक (१९५३-५४) का प्रतिशत शैक्षणिक व्यय

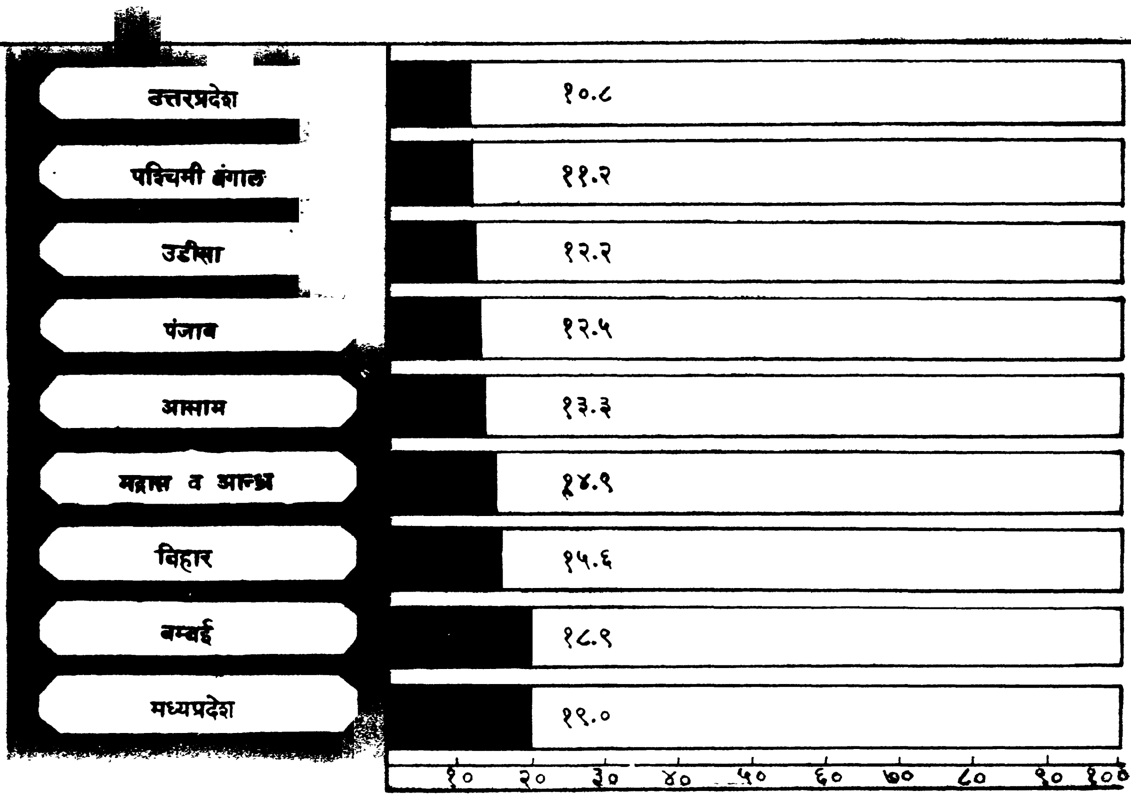

## शिक्षा-व्यय (अ), १९५३-५४

आयव्ययक (राजस्व लेखा)

| राज्य | कुल व्यय (लाख रु. में) | कुल आयव्ययक का प्रतिशत |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| भाग 'अ'— | | |
| आसाम ... | २०० | १३.३ |
| बिहार ... | ५२१ | १५.६ |
| बम्बई ... | १,२८२ | १८.९ |
| मध्यप्रदेश ... | ४६७ | १९.० |
| मद्रास ... | १,२०५ | १४.९ |
| उडीसा ... | १७७ | १२.२ |
| पंजाब ... | २५१ | १२.५ |
| उत्तरप्रदेश ... | ८५४ | १०.८ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ४८७ | ११.२ |
| भाग 'ब'— | | |
| हैदराबाद ... | ४७६ | १६.९ |
| जम्मू और काश्मीर | ५६ | १२.० |
| मध्यभारत ... | १७८ | १२.३ |
| मैसूर ... | ३७३ | १६.८ |
| पेप्सू ... ... | १०९ | १५.४ |
| राजस्थान ... | २९४ | १५.१ |
| सौराष्ट्र ... | १४७ | १४.७ |
| त्रावणकोर-कोचीन.. | ३८१ | १७.८ |
| भाग 'स'— | | |
| अजमेर ... | ६१ | ३१.० |
| भोपाल ... | ३५ | १३.७ |
| बिलासपुर ... | ४ | १६.२ |
| कुर्ग ... ... | २५ | १७.९ |
| दिल्ली ... | १४२ | ३३.२ |
| हिमाचल प्रदेश ... | ३८ | १३.० |
| कच्छ ... | १२ | ११.० |
| मनीपुर ... | १२ | १८.४ |
| त्रिपुरा ... | २० | १६.३ |
| विन्ध्य प्रदेश ... | ८४ | १८.८ |
| भाग 'ड'— | | |
| अन्दमान-निकोबार द्वीप | ३ | १.७ |
| भारतवर्ष ... | ७,८९४ | १५.० |

प्राप्ति स्थान: 'इन्डिया', ए रेफरेन्स एनुअल, १९५४.

(अ) केवल शिक्षा विभागों से संबंधित.

## सरकार मान्य शैक्षणिक संस्थाएं (१९५१-५२) (अ)

| राज्य | संस्थाएं | विद्यार्थियों की संख्या (हजारों में) |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| आसाम ... ... | १३,८८२ | ८८४ |
| बिहार ... ... | ३०,२३८ | १,९८० |
| बम्बई ... ... | ४२,२५० | ४,२९२ |
| मध्यप्रदेश ... | २५,२०२ | १,३७९ |
| मद्रास ... ... | ४३,७१८ | ५,१२६ |
| उडीसा ... ... | ११,५२८ | ६१९ |
| पंजाब ... ... | ६,१९५ | ९०८ |
| उत्तरप्रदेश ... | ३८,०२३ | ३,८११ |
| पश्चिमी बंगाल ... | २०,०८५ | २,२५३ |
| हैदराबाद (ब) ... | ९,७५३ | ७३२ |
| जम्मू और काश्मीर (ब) | १,४४९ | ९१ |
| मध्यभारत ... | ५,२३९ | ३६४ |
| मैसूर ... ... | १३,८७६ | ९२६ |
| पेप्सू ... ... | १,४३२ | १६६ |
| राजस्थान ... | ६,३३२ | ४६२ |
| सौराष्ट्र (ब) ... | २,७७७ | २८३ |
| त्रावणकोर-कोचीन (ब) | ५,५३४ | १,५१४ |
| अजमेर ... ... | ६५३ | ५८ |
| अन्दमान-निकोबार द्वीप | २३ | २ |
| भोपाल ... ... | ३७३ | २० |
| बिलासपुर ... | ३६ | ६ |
| कुर्ग ... ... | १६३ | २५ |
| दिल्ली ... ... | १,९२१ | २३३ |
| हिमाचल प्रदेश ... | ६२७ | ४२ |
| कच्छ ... ... | २८७ | २३ |
| मनीपुर ... ... | ६८१ | ५३ |
| त्रिपुरा ... ... | ४९७ | ३५ |
| विन्ध्य प्रदेश ... | १,९४८ | १०२ |
| भारतवर्ष ... | २,८४,७२२ | २६,३८९ |

(अ) अन्त:कालीन समंक.

(ब) सन् १९५०-५१ के समंक.

प्राप्ति स्थान: 'इन्डिया', ए रेफरेन्स एनुअल, १९५४.

**टिप्पणी.**—मध्यप्रदेश से संबंधित समंक संचालक, शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, से उपलब्ध किये गये हैं.

## माध्यमिक शालाओं में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात

| राज्य | | प्रति शिक्षक, विद्यार्थियों की औसत संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | पूर्व माध्यमिक शालाओं में १९५०-५१ | माध्यमिक शालाओं में (अ) १९५०-५१ |
| (१) | | (२) | (३) |
| आसाम ... | ... | २९ | २५ |
| बिहार ... | ... | २६ | २८ |
| बम्बई ... | ... | २० | २३ |
| मध्यप्रदेश | ... | २७ | २३ |
| मद्रास ... | ... | २० | २४ |
| उडीसा ... | ... | १९ | २१ |
| पंजाब ... | ... | ३३ | ३४ |
| उत्तरप्रदेश | ... | २४ | २३ |
| पश्चिमी बंगाल | ... | २२ | २६ |
| हैदराबाद | ... | २१ | २२ |
| मध्यभारत | ... | १९ | २० |
| मैसूर ... | ... | ३० | २५ |
| पेप्सू ... | ... | ३५ | ३१ |
| राजस्थान | ... | १८ | १८ |
| सौराष्ट्र ... | ... | २९ | २८ |
| त्रावणकोर-कोचीन | ... | १९ | २७ |
| अजमेर ... | ... | १६ | १५ |
| अंदमान और निकोबार द्वीप | | ... | ४६ |
| भोपाल ... | ... | १९ | १९ |
| बिलासपुर | ... | ३२ | ३६ |
| कुर्ग ... | ... | ४२ | २७ |
| दिल्ली ... | ... | ३२ | २९ |
| हिमाचल प्रदेश | ... | २६ | २३ |
| कच्छ ... | ... | २९ | २९ |
| मनीपुर ... | ... | २४ | ३० |
| त्रिपुरा ... | ... | २३ | २८ |
| विन्ध्य प्रदेश | ... | १९ | २० |
| भारतवर्ष | ... | २४ | २५ |

(अ) उच्च माध्यमिक शालाएं समाविष्ट हैं.

प्राप्ति स्थान : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, "भारत में शिक्षा", १९५०-५१.

# माध्यमिक शालाओं में प्रति-शिक्षक विद्यार्थी-संख्या
(१९५०-५१)

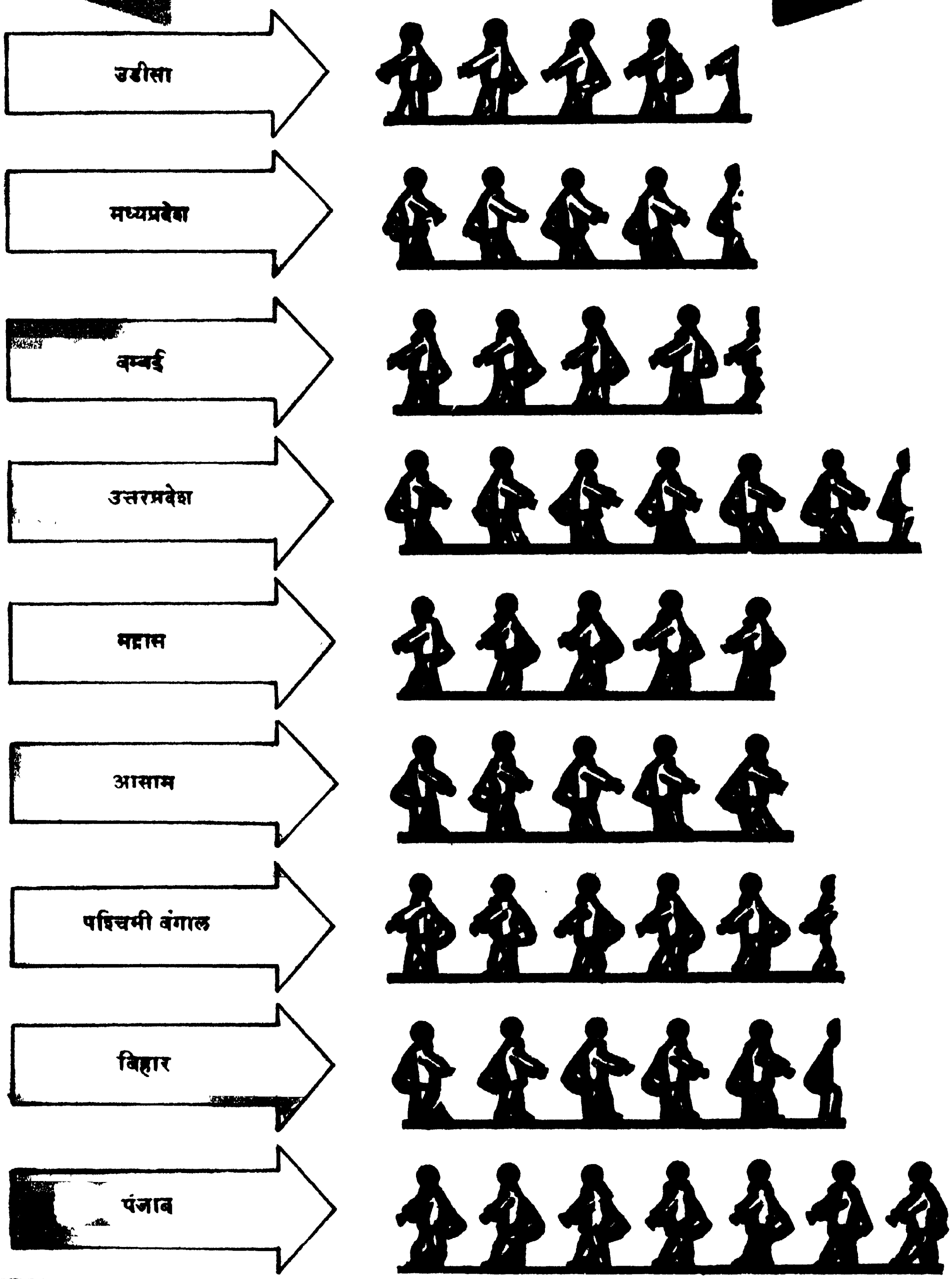


इकाई = पांच विद्यार्थी

अध्याय ११

# सहकारिता एवं अधिकोषण

## सहकारिता

भारत में सहकारिता आन्दोलन आरम्भ हुए लगभग ५१ वर्ष हो गये हैं. यद्यपि वित्त, उत्पादन, वितरण आदि प्राय: सभी आर्थिक क्षेत्रों में सहकारिता का प्रसार हो चुका है, तथापि आन्दोलन में साख-सहकारिता की ही प्रधानता है. जून १९५२ के अंत तक भारतवर्ष में कुल १,१५,८८७ प्राथमिक कृषि-साख समितियां व प्राथमिक गैर-कृषि-साख समितियां तथा ५६,९३९ गैर-साख समितियां थीं. सन् १९५१-५२ में देश की ६.८९ करोड अर्थात् १८.८ प्रतिशत जनसंख्या को सहकारिता आन्दोलन की सेवाएं प्राप्त थीं. औसत भारतीय कुटुम्ब की सदस्य-संख्या ५ मान कर उक्त आंकलन किया गया है. अब सहकारी समितियां दिनोंदिन बहुउद्देशीय बनती जा रही हैं. राज्य-सरकारें अपने सहकारी विभागों द्वारा सहकारिता आन्दोलन का नियंत्रण और निरीक्षण करती हैं. नीचे विभिन्न राज्यों की सहकारिता आन्दोलन संबंधी गतिविधियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है.

सन् १९५०-५१ में कुर्ग में प्रति लाख जनसंख्या पीछे सर्वाधिक (१७८.०) सहकारी-समितियां थीं. तत्पश्चात्, अजमेर (१३८.१), पंजाब (९१.८), हिमाचलप्रदेश (८४.३) ,मध्यभारत (८३.६), हैदराबाद (८१.१) व पश्चिमी बंगाल (६२.३) का क्रम आता है. प्रति हजार जनसंख्या पीछे सहकारी-समितियों की सदस्य-संख्या भी कुर्ग में सर्वाधिक (२४१.२) थी. तदनन्तर, क्रमशः राजस्थान (९२.०), हैदराबाद (७८.३), बम्बई (६२.५), मद्रास (५९.३) व मैसूर (५४.४) आते हैं. इसी तरह, समितियों की कर्मशील पूंजी की दृष्टि से भी कुर्ग का स्थान सर्वप्रथम (प्रति व्यक्ति पीछे ४७६.४ आने) हैं. इसी क्षेत्र में बम्बई (३६९.८), मद्रास (२३५.०), अजमेर (१८७.५), दिल्ली (१४८.४) और पंजाब (१३०.९) आदि राज्य भी उल्लेखनीय हैं. मध्यप्रदेश में प्रति-लाख जनसंख्या पीछे ४८.१ सहकारी समितियां, प्रति-हजार जनसंख्या पीछे १९.८ सदस्या-संख्या और प्रति-व्यक्ति पीछे ७३.३ आने कर्मशील पूंजी है.

## अधिकोषण

प्रस्तुत तालिका में विभिन्न राज्यों में स्थित अधिकोषों के कार्यालयों का विवरण दिया गया है. इससे प्रत्येक राज्य के वाणिज्यिक, औद्योगिक और सहकारिता-विकास का ज्ञान होता है.

सन् १९५३ म अविभाजित मद्रास में अनुसूचित अधिकोषों की संख्या (५५०) सर्वाधिक थी. उसके बाद बम्बई (४३१), उत्तरप्रदेश (३७६), पंजाब (१७७), पश्चिमी बंगाल (१७३) और मध्यप्रदेश (१४५) का क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठवां स्थान था. गैर-अनुसूचित अधिकोषों की संख्या त्रावणकोर-कोचीन में सर्वाधिक (४८०) थीं. तत्पश्चात् मद्रास (३५६) और बम्बई (११४) का क्रम था. इसी अवधि में मध्यप्रदेश में केवल ६ गैर-अनुसूचित अधिकोष थे. सहकारी-अधिकोषों की संख्या बम्बई में सर्वाधिक (४०२) थी. इसके बाद मद्रास (१०७), मध्यप्रदेश (६५), उत्तरप्रदेश (५९) और पश्चिमी बंगाल (५८) का क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां स्थान था.

## सहकारी संस्थाएं—सदस्य-संख्या और कर्मशील पूंजी
## (१९५०-१९५१)

| राज्य (१) | प्रति १ लाख निवासियों पीछे सहकारी संस्थाओं की संख्या (२) | प्रति १ हजार निवासियों पीछे प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की संख्या (३) | कर्मशील पूंजी (प्रति व्यक्ति—आनों की संख्या) (४) |
|---|---|---|---|
| **भाग 'अ' राज्य—** | | | |
| मद्रास ... ... ... | ४२.५ | ५९.३ | २३५.० |
| बम्बई ... ... ... | ४४.८ | ६२.५ | ३६९.८ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... | ६२.३ | ३७.८ | ११४.७ |
| उत्तरप्रदेश ... ... ... | ५७.३ | २७.० | ५८.२ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | ४८.१ | १९.८ | ७३.३ |
| पंजाब ... ... ... | ९१.८ | ४८.६ | १३०.९ |
| बिहार ... ... ... | ३६.२ | १५.८ | २०.६ |
| उडीसा ... ... ... | ३५.२ | १९.४ | ४६.६ |
| आसाम ... ... ... | ३२.५ | ३१.६ | ३४.७ |
| योग ... | ४९.४ | ३७.८ | १३८.१ |
| **भाग 'ब' 'स' तथा 'ड' राज्य—** | | | |
| मैसूर ... ... ... | ५७.० | ५४.४ | १२१.४ |
| हैदराबाद ... ... ... | ८१.१ | ७८.३ | ८७.० |
| मध्यभारत ... ... ... | ८३.६ | २२.४ | ८३.७ |
| राजस्थान ... ... ... | २०.६ | ९२.० | २३.८ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... ... | २८.३ | ३८.० | ४५.६ |
| पेप्सू ... ... ... | ४१.५ | १२.२ | ७०.१ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | १८.७ | १०.१ | १९.८ |
| अजमेर ... ... ... | १३८.१ | ४८.० | १८७.५ |
| भोपाल .. ... ... | ३३.१ | १३.६ | २८.३ |
| दिल्ली ... ... ... | ५७.८ | ३५.५ | १४८.४ |
| कुर्ग ... ... ... | १७८.० | २४१.२ | ४७६.४ |
| हिमाचल प्रदेश ... ... | ८४.३ | २४.० | ३४.१ |
| विन्ध्यप्रदेश ... ... ... | १२.९ | ३०.२ | १.८ |
| मनीपुर ... ... ... | ५४.७ | २५.६ | १८.९ |
| त्रिपुरा ... ... ... | १.५ | १.१ | ४.० |
| अन्दमान और निकोबार द्वीप ... | ... | २१.१ | १२५.६ |
| योग ... | ५५.० | ४०.० | ६८.६ |
| कुल योग ... | ५०.६ | ३८.३ | १२३.२ |

प्राप्ति स्थान: "इन्डिया", १९५४ (भारत सरकार का प्रकाशन).

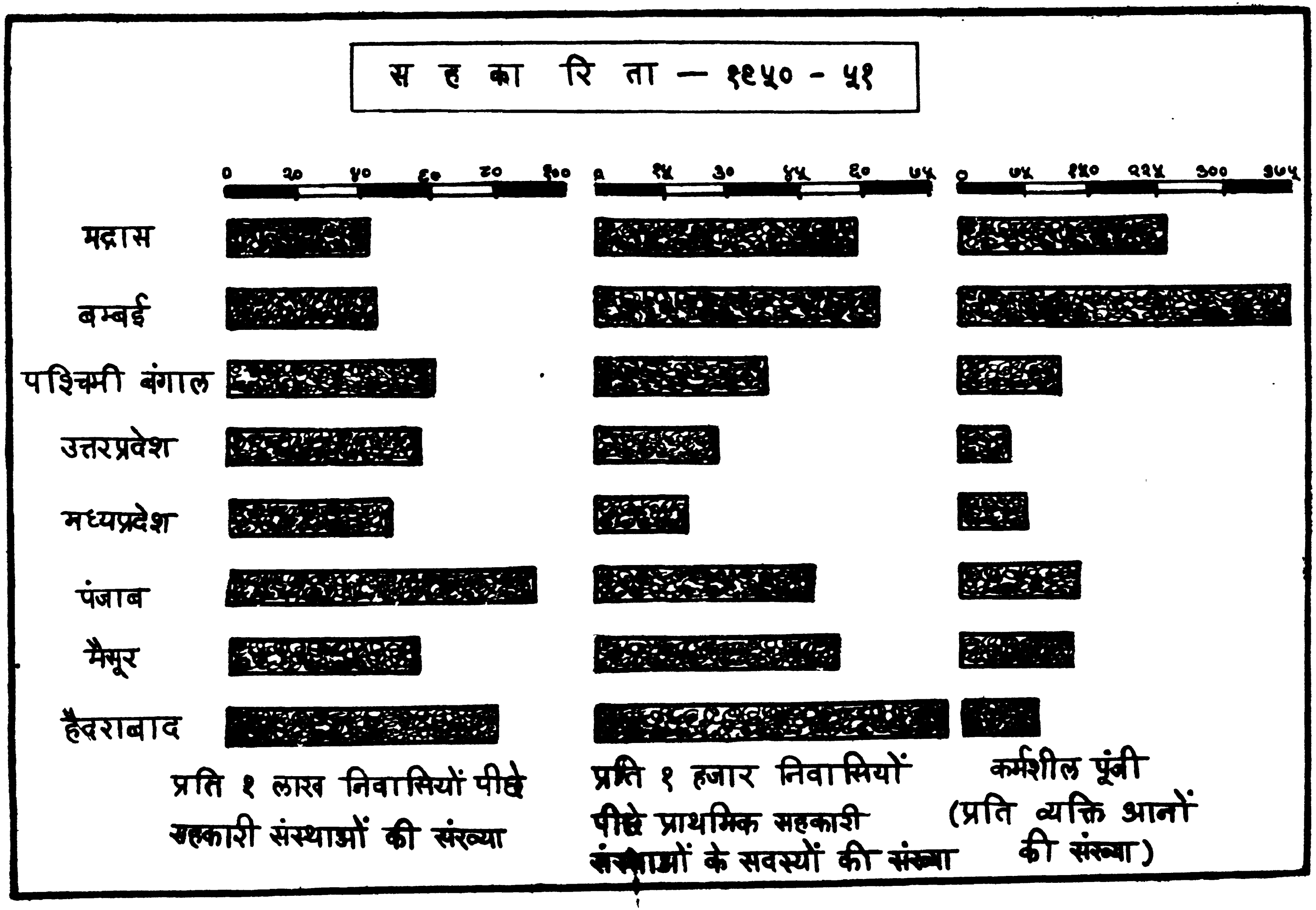

सहकारिता — १९५० - ५१
० २० ४० ६० ८० १००
० १५ ३० ४५ ६० ७५
० ७५ १५० २२५ ३०० ३७५
मद्रास
बम्बई
पश्चिमी बंगाल
उत्तरप्रदेश
मध्यप्रदेश
पंजाब
मैसूर
हैदराबाद
प्रति १ लाख निवासियों पीछे सहकारी संस्थाओं की संख्या
प्रति १ हजार निवासियों पीछे प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की संख्या
कर्मशील पूंजी (प्रति व्यक्ति आनों की संख्या)

# बैंकों के कार्यालयों का वितरण

(१९५३)

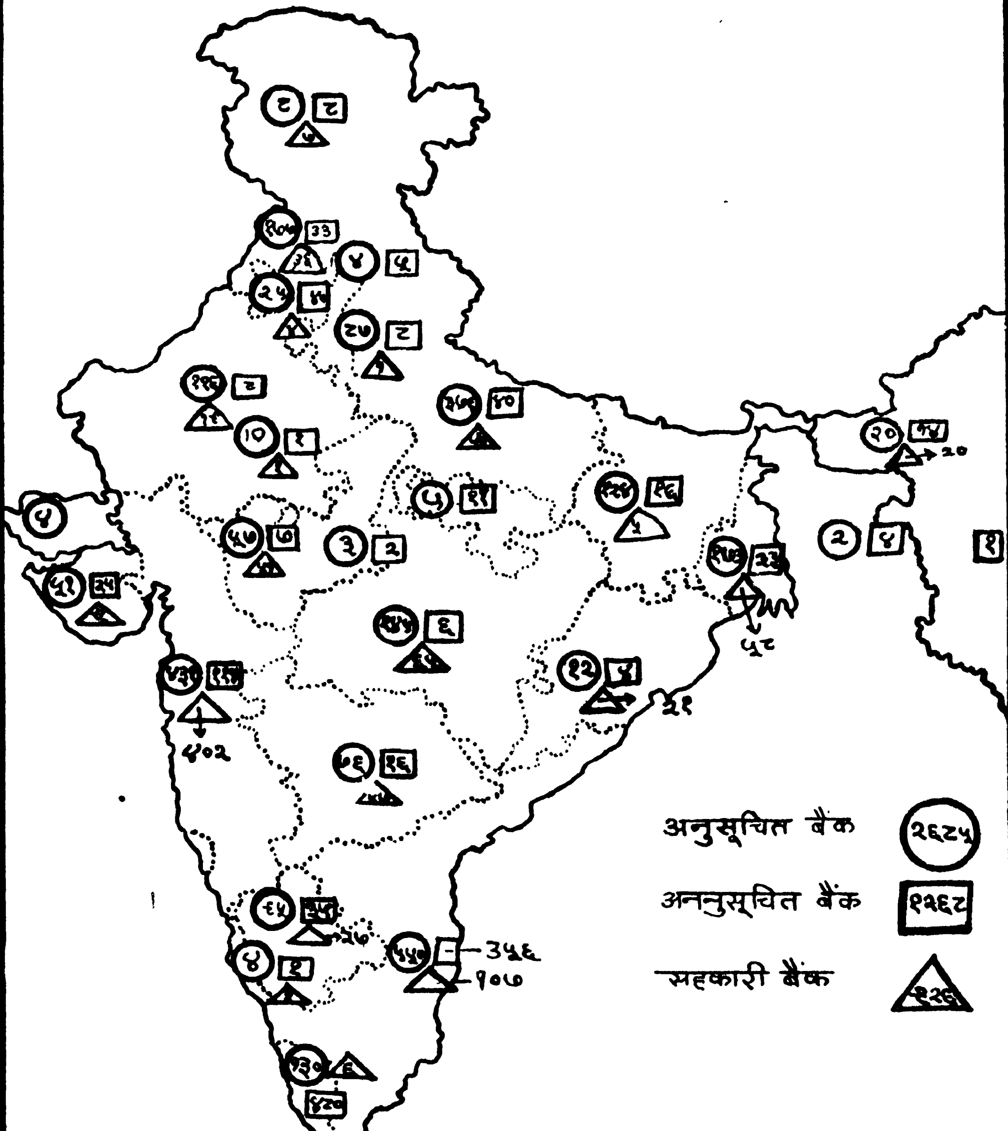

## बैंकों के कार्यालयों का वितरण, १९५३

| राज्य (१) | अनुसूचित बैंक (२) | अननुसूचित बैंक (३) | सहकारी बैंक (४) |
|---|---|---|---|
| आसाम ... ... ... | २० | १४ | २० |
| बिहार ... ... ... | १२४ | १६ | ५ |
| बम्बई ... ... ... | ४३१ | ११४ | ४०२ |
| मध्यप्रदेश ... ... ... | १४५ | ६ | ६५ |
| मद्रास (मद्रास और आन्ध्र) ... | ५५० | ३५६ | १०७ |
| उडीसा ... ... ... | १२ | ४ | २१ |
| पंजाब ... ... ... | १७७ | ३३ | ३६ |
| उत्तरप्रदेश ... ... ... | ३७६ | ४० | ५९ |
| पश्चिमी बंगाल ... ... ... | १७३ | ३३ | ५८ |
| हैदराबाद ... ... ... | ७६ | १६ | २७ |
| मध्यभारत ... ... ... | ५७ | ७ | ५१ |
| मैसूर ... ... ... | ९५ | ३५ | २७ |
| पेप्सू ... ... ... ... | २५ | ४० | ४ |
| राजस्थान ... ... ... | ११६ | ८ | १९ |
| सौराष्ट्र ... ... ... | ५१ | २५ | ९ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... ... | १३० | ४८० | ६ |
| अजमेर ... ... ... | १० | १ | १ |
| भोपाल ... ... ... | ३ | २ | ... |
| कुर्ग ... ... ... ... | ४ | १ | १ |
| कच्छ ... ... ... | ४ | ... | ... |
| दिल्ली ... ... ... | ८७ | ८ | १ |
| हिमाचल प्रदेश ... ... ... | ४ | ५ | ... |
| मनीपुर ... ... ... | ... | १ | ... |
| त्रिपुरा ... ... ... | २ | ४ | ... |
| विन्ध्यप्रदेश ... ... ... | ५ | ११ | ... |
| जम्मू और काश्मीर ... ... | ८ | ८ | ७ |
| योग ... | २,६८५ | १,२६८ | ९२६ |

प्राप्ति स्थान : रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, बैंक-विषयक भारत में सांख्यिकीय तालिकाएं, १९५३ वर्ष के लिये

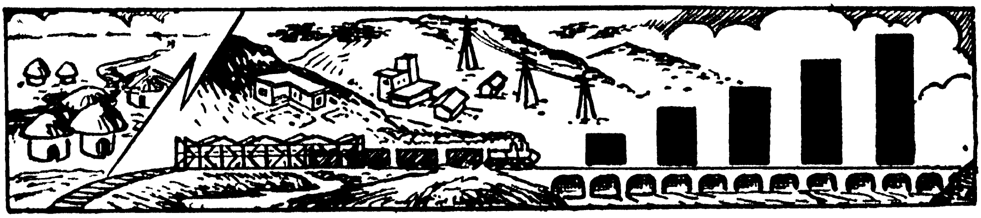

अध्याय १२

# पंचवर्षीय योजना की प्रगति

**देश की** पंचवर्षीय योजना की प्रगति काफी संतोषजनक रही है. योजना के अन्तर्गत आरम्भ की गई अनेक विकास-योजनायें अब तक पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य योजनाएं निकट भविष्य में पूरी हो जायेंगी. हमारी अन्न-समस्या भी हल हो चुकी है. गत कुछ वर्षों से कृषि और औद्योगिक-उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है. आधार-वर्ष १९४९-५० की तुलना में कृषि-उत्पादन देशनांक सन् १९५०-५१ में ९५.६ से बढ कर सन् १९५३-५४ में ११३.५ तक पहुंच चुका था. इसी प्रकार, आधार-वर्ष १९४६ की तुलना में औद्योगिक-उत्पादन देशनांक सन् १९५० में १०५ से बढ कर सन् १९५३ में १३५ और सन् १९५४ के प्रथम ६ महीनों में १४१ तक बढ गया था. विभिन्न बडी व छोटी सिंचाई योजनाओं तथा शक्ति-योजनाओं की कार्यान्विति से योजना के प्रथम तीन वर्षों में ७५ लाख एकड अतिरिक्त भू-क्षेत्र पर सिंचाई की जाने लगी है. इसी अवधि में ५ लाख किलोवाट विद्युत्-उत्पादन-शक्ति बढ गई है. इसी तरह योजना के राष्ट्रीय वायु-मार्गों, प्राथमिक शालाओं, जूनियर तथा बुनियादी शालाओं और चिकित्सालयों संबंधी लक्ष्यों में सन् १९५१—'५४ तक क्रमश: ५० प्रतिशत, ४२ प्रतिशत, २३ प्रतिशत और ४५ प्रतिशत तक पूर्ति हो गई है.

योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है. "पंचवर्षीय योजना की प्रगति के प्रतिवेदन (सन् १९५३-५४)" के अनुसार सन् १९५१-५२ में प्रति-व्यक्ति आय २५२ रु. थी ; जबकि सन् १९५२-५३ में वह २६१ रु. तक पहुंच गई. ये आंकडे सन् १९४८-४९ के मूल्यों पर आधारित हैं. उल्लेखनीय है कि सन् १९५५-५६ तक योजना का राष्ट्रीय-आय संबंधी लक्ष्य (प्रति-व्यक्ति २६१ रु.) सन् १९५२-५३ में ही पूरा हो गया. चूंकि सन् १९५०-५१ में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा प्रति-व्यक्ति आय २४६.३ रु. (सन् १९४८-४९ के मूल्यों के अनुसार) अनुमानित की गई थी, अत: योजना के प्रथम दो वर्षों में राष्ट्रीय-आय की प्रतिशतता-वृद्धि क्रमश: २.२० और ३.८५ प्रतिशत आंकी गई. "अत: यह स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश का ५ प्रतिशत प्रति-व्यक्ति-आय-स्तर बढाने का उद्देश्य सन् १९५२-५३ में ही पूर्ण हो गया है और सन् १९५३-५४ में इस प्रतिशतता में अधिक वृद्धि करने की पूर्ण सम्भावना है."

पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों दोनों ने ही योग-दान दिया है वास्तव में योजना का आरम्भ ही इन दोनों के सहयोग से हुआ है. प्रस्तुत लेख में हमारा लक्ष्य विभिन्न राज्यों की योजना संबंधी प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना है. इसी उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में सन् १९५१-५४ में विकास-योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है.*

सन् १९५१—५४ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल निर्धारित-निधि की व्यय-प्रतिशतता मैसूर में सर्वाधिक (६३.६७ प्रतिशत) थी. तत्पश्चात् उत्तरप्रदेश

*सांख्यिकीय गणना के लिये यहां मद्रास की जनसंख्या में बिलारी जिले (जो अब मैसूर में विलीन हो गया है) की जनसंख्या का भी समावेश कर लिया गया है.

(५९.८६ प्रतिशत), बम्बई (५७.७१ प्रतिशत), बिहार (५७.३४ प्रतिशत) और भोपाल (५३.९४ प्रतिशत) का क्रम आता है. मध्यप्रदेश में यही प्रतिशतता ४५.६८ थी. प्रति-व्यक्ति विकास-व्यय की दृष्टि से इसी अवधि में सौराष्ट्र (२५.८ रु.) पहिला और मैसूर (२५.७ रु.) दूसरा स्थान प्राप्त करता है. तत्पश्चात् भोपाल (२५.१ रु.), बम्बई (२३.५ रु.) और कच्छ (२१.८ रु.) का क्रम आता है. मध्यप्रदेश ने प्रति-व्यक्ति ९.३ रु. व्यय किया. उपरोक्त राज्यों की तुलना में यह व्यय बहुत कम है, तथापि वह उत्तरप्रदेश के लगभग बराबर है और आसाम, बिहार, उडीसा तथा पंजाब के प्रति-व्यक्ति-व्यय से अधिक.

यहां 'अ' और 'ब' वर्गीय राज्यों द्वारा विभिन्न विकास-योजनाओं पर किये गये व्यय का भी उल्लेख किया गया है. प्रत्येक राज्य में कृषि और ग्रामीण-विकास के लिये पंच-वर्षीय योजना में निर्धारित निधि में से पंजाब की व्यय-प्रतिशतता (६४.११) सर्वाधिक थी. तदनन्तर क्रमशः आसाम (६३.२५ प्रतिशत), सौराष्ट्र (६१.७७ प्रतिशत), मैसूर (५९.६० प्रतिशत) और राजस्थान (५७.४४ प्रतिशत) का क्रम आता है. प्रति-व्यक्ति-व्यय की दृष्टि से सौराष्ट्र (७.९ रु.) का प्रथम स्थान है. पेप्सू (५.२ रु.), बम्बई (४.२ रु.), मैसूर (३.९ रु.) और मध्यभारत (३.० रु.) का क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां स्थान है. उक्त व्यय-प्रतिशतता और प्रति-व्यक्ति-व्यय मध्यप्रदेश में क्रमशः ३५.९९ और २.३ रु. था.

बडी सिंचाई योजनाओं और शक्ति-योजनाओं पर निर्धारित निधि की व्यय-प्रतिशतता पंजाब में ही सर्वाधिक (८३.१२) थी. इसके बाद मैसूर (७७.१३ प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (७५.३१ प्रतिशत), सौराष्ट्र (६२.१५ प्रतिशत) और त्रावणकोर-कोचीन (५९.९१ प्रतिशत) का क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां स्थान आता है. इन योजनाओं का प्रति-व्यक्ति-व्यय मैसूर (१६.९ रु.) में सर्वाधिक था. तत्पश्चात्, क्रमशः सौराष्ट्र (१०.३ रु.), त्रावणकोर-कोचीन (९.८ रु.) हैदराबाद (८.७ रु.) और आन्ध्र (८.२ रु.) का स्थान आता है. मध्यप्रदेश का इन योजनाओं पर कुल व्यय ५०.४२ प्रतिशत व प्रति-व्यक्ति-व्यय २.२ रु. था.

औद्योगिक विकास के लिये निर्धारित निधि की व्यय-प्रतिशतता और प्रति-व्यक्ति-व्यय की दृष्टि से मध्यप्रदेश (क्रमशः ८३.२२ प्रतिशत व ०.९ रु.) का स्थान पहिला आता है. व्यय-प्रतिशतता की दृष्टि से मध्यप्रदेश के बाद क्रमशः उत्तरप्रदेश (६३.८१), उडीसा (५२.२१), मद्रास (४९.२६) और राजस्थान (४५.९७) का क्रम आता है. इसी तरह प्रति-व्यक्ति-व्यय की दृष्टि से मध्यप्रदेश के बाद क्रमशः उत्तरप्रदेश (०.६ रु.), हैदराबाद (०.६ रु.) और मैसूर (०.४ रु.) का स्थान आता है.

परिवहन-विकास के लिये कुल निर्धारित निधि की सर्वाधिक व्यय-प्रतिशतता बम्बई (९८.६०) की है. तत्पश्चात् पेप्सू (८१.१८ प्रतिशत), पंजाब (७५.७७ प्रतिशत), बिहार (७२.८६ प्रतिशत) और आन्ध्र (७२.५४ प्रतिशत) का क्रम आता है. परिवहन पर किया गया प्रति-व्यक्ति-व्यय सौराष्ट्र में (४.७ रु.) सर्वाधिक है. उसके बाद क्रमशः बम्बई (३.८ रु.), पश्चिमी बंगाल (३.३ रु.), मैसूर (२.३ रु.) और पेप्सू (२.२ रु.) का स्थान आता है. तत्संबंधी व्यय-प्रतिशतता और प्रति-व्यक्ति-व्यय मध्यप्रदेश में क्रमशः ६७.२० व ०.६ रु. था.

समाज-सेवाओं पर निर्धारित निधि की व्यय-प्रतिशतता की दृष्टि से त्रावणकोर-कोचीन का सर्वप्रथम स्थान (६९.८७) आता है. इस क्षेत्र में अन्य राज्यों में से बिहार (६१.७५ प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (५५.७८ प्रतिशत), बम्बई (५३.८४ प्रतिशत) और पश्चिमी बंगाल (५१.५१ प्रतिशत) उल्लेखनीय हैं. समाज-सेवाओं पर किया गया प्रति-व्यक्ति-व्यय, बम्बई में सर्वाधिक था. तत्पश्चात्, पश्चिमी बंगाल (५.३ रु.), मध्यप्रदेश (३.२ रु.), आन्ध्र (३.० रु.) और मध्यभारत (२.६ रु.) का क्रम आता है. इस प्रकार, यद्यपि मध्यप्रदेश ने समाज-सेवाओं पर ४३.११ प्रतिशत व्यय किया है, तथापि प्रति-व्यक्ति-व्यय की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है.

यहां सामुदायिक-विकास योजनाओं की प्रगति का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है ; क्योंकि उनका पंचवर्षीय योजना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. इस दिशा में अबतक की प्रगति शिथिल रही है, तथापि निकट भविष्य में इस ओर अपेक्षित प्रगति की जाने की आशा है. अक्टूबर १९५२ से दिसम्बर १९५३ तक के लिये निर्धारित निधि की वास्तविक व्यय-प्रतिशतता कच्छ (७३.१) में सर्वाधिक थी. इसके बाद कुर्ग (५६.६ प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (३५.९ प्रतिशत), त्रिपुरा (३४.७ प्रतिशत), सौराष्ट्र (२९.२ प्रतिशत) और मद्रास (२८.९ प्रतिशत) का क्रम आता है. मध्यप्रदेश में कुल निर्धारित-निधि का केवल १८.६ प्रतिशत भाग ही खर्च किया गया. यद्यपि यह व्यय बहुत कम है, तथापि कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जिन्होंने इससे भी कम व्यय किया है. आशा है कि यहां भविष्य में इन विकास-योजनाओं पर यथापेक्षित व्यय किया जायेगा.

# विकास व्यय की प्रगति

| राज्य | पंचवार्षिक व्यय (१९५१—५६) (लाख रु. में) | व्यय की प्रगति (१९५१—५४) (लाख रु. में) | व्यय की प्रतिशतता | प्रति-व्यक्ति व्यय (१९५१—५४) (रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| **भाग 'अ' राज्य—** | | | | |
| आन्ध्र ... ... | ६,३६५.५ | ३,०१७.५ | ४७.४० | १४.७ |
| आसाम ... ... | १,७४९.२ | ६२८.४ | ३५.९२ | ६.९ |
| बिहार ... ... | ५,७२९.१ | ३,२८५.३ | ५७.३४ | ८.२ |
| बम्बई ... ... | १४,६४३.३ | ८,४५१.२ | ५७.७१ | २३.५ |
| मध्यप्रदेश ... ... | ४,३०८.२ | १,९६७.८ | ४५.६८ | ९.३ |
| मद्रास ... ... | ८,३६१.१ | ४,४५५.१ | ५३.२८ | १२.२ |
| उडीसा ... ... | १,७८४.२ | ८४५.० | ४७.३६ | ५.८ |
| पंजाब ... ... | २,०२०.७ | ९९७.८ | ४९.३८ | ७.९ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ९,७८२.३ | ५,८५६.० | ५९.८६ | ९.३ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ६,९०९.७ | ३,६५८.२ | ५२.९४ | १४.७ |
| **भाग 'ब' राज्य—** | | | | |
| हैदराबाद ... ... | ४,१५५.० | २,११३.३ | ५०.८६ | ११.३ |
| मध्यभारत ... ... | २,२४२.० | ८२९.१ | ३६.९८ | १०.४ |
| मैसूर ... ... | ३,६६०.२ | २,३३०.५ | ६३.६७ | २५.७ |
| पेप्सू ... ... | ८१४.६ | ३६२.४ | ४४.४९ | १०.४ |
| राजस्थान ... ... | १,६८१.४ | ८१२.१ | ४८.३० | ५.३ |
| सौराष्ट्र ... ... | २,०४०.९ | १,०६७.८ | ५२.३२ | २५.८ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | २,७३१.९ | १,३३८.४ | ४८.९९ | १४.४ |
| जम्मू और काश्मीर ... | १,३००.० | ३९१.७ | ३०.१३ | ८.९ |
| **भाग 'स' राज्य—** | | | | |
| अजमेर ... ... | १५७.२ | ३८.७ | २४.६२ | ५.६ |
| भोपाल ... ... | ३८९.९ | २१०.३ | ५३.९४ | २५.१ |
| बिलासपुर ... ... | ५७.१ | १७.५ | ३०.६५ | १३.९ |
| कुर्ग ... ... | ७३.० | ३५.५ | ४८.६३ | १५.५ |
| दिल्ली ... ... | ७४८.० | १७५.६ | २३.४८ | १०.१ |
| हिमाचल प्रदेश ... | ४५४.६ | १२४.९ | २७.४७ | १२.७ |
| कच्छ ... ... | ३०५.३ | १२३.९ | ४०.५८ | २१.८ |
| मनीपुर ... ... | १५४.८ | ३६.९ | २३.८४ | ६.४ |
| त्रिपुरा ... ... | २०७.३ | ५८.६ | २८.२७ | ९.२ |
| विन्ध्यप्रदेश ... ... | ६३९.२ | १७८.९ | २७.९९ | ५.० |
| **योग ...** | ८७,१००.२ | ४३,४०८.० | ४९.८४ | १२.० |

प्राप्ति स्थान : योजना आयोग (केन्द्रीय शासन), "पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४".

## कृषि तथा ग्रामीण-विकास पर किए गए विकास-व्यय की प्रगति

| राज्य | पंचवार्षिक योग (१९५१—५६) (लाख रु. में) | व्यय की प्रगति (१९५१—५४) (लाख रु. में) | व्यय की प्रतिशतता | प्रति-व्यक्ति व्यय (१९५१—५४) (रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| आन्ध्र ... ... | ९०५.० | ४८६.१ | ५३.७१ | २.४ |
| आसाम ... ... | ३९९.५ | २५२.७ | ६३.२५ | २.८ |
| बिहार ... ... | १,६७७.६ | ७७९.९ | ४६.४९ | १.९ |
| बम्बई ... ... | २,८७१.९ | १,५२३.८ | ५३.०६ | ४.२ |
| मध्यप्रदेश ... ... | १,३८२.५ | ४९७.६ | ३५.९९ | २.३ |
| मद्रास ... ... | २,१८२.५ | ६३६.५ | २९.१६ | १.७ |
| उडीसा ... ... | ३५२.९ | ११९.५ | ३३.८६ | ०.८ |
| पंजाब ... ... | २६२.५ | १६८.३ | ६४.११ | १.३ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | २,५५२.७ | १,०६५.२ | ४१.७३ | १.७ |
| पश्चिमी बंगाल ... | १,०४९.१ | ५४७.० | ५२.१४ | २.२ |
| हैदराबाद ... ... | ४६३.० | १४०.३ | ३०.३० | ०.८ |
| मध्यभारत ... ... | ९४५.० | २३५.३ | २४.९० | ३.० |
| मैसूर ... ... | ५९५.५ | ३५४.९ | ५९.६० | ३.९ |
| पेप्सू ... ... | ४०६.२ | १८३.१ | ४५.०८ | ५.२ |
| राजस्थान ... ... | १६७.३ | ९६.१ | ५७.४४ | ०.६ |
| सौराष्ट्र ... ... | ५२६.५ | ३२५.२ | ६१.७७ | ७.९ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | ६३०.६ | १०७.१ | १६.९८ | १.२ |

प्राप्ति स्थान : योजना आयोग (केन्द्रीय शासन), "पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४".

## प्रमुख सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं पर खर्च किए गए विकास-व्यय की प्रगति

| राज्य (१) | पंचवार्षिक योग (१९५१—५६) (लाख रु. में) (२) | व्यय की प्रगति (१९५१—५४) (लाख रु. में) (३) | व्यय की प्रतिशतता (४) | प्रति-व्यक्ति व्यय (१९५१—५४) (रु. में) (५) |
|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र ... ... | ३,७५०.० | १,६८८.४ | ४५.०२ | ८.२ |
| आसाम ... ... | २८३.० | ४०.२ | १४.२० | ०.४ |
| बिहार ... ... | १,६८२.० | ७९०.५ | ४७.०० | २.० |
| बम्बई ... ... | ३,३१२.० | १,८७०.० | ५६.४६ | ५.२ |
| मध्यप्रदेश ... ... | ९०८.० | ४५७.८ | ५०.४२ | २.२ |
| मद्रास ... ... | ८,४३२.० | २,५८६.० | ३०.६७ | ७.१ |
| उड़ीसा ... ... | ६९१.० | ३६१.३ | ५२.२९ | २.५ |
| पंजाब ... ... | ३६४.४ | ३०२.९ | ८३.१२ | २.४ |
| उत्तरप्रदेश .. ... | ३,३२३.० | २,५०२.६ | ७५.३१ | ४.० |
| पश्चिमी बंगाल ... | १,६१३.६ | ९३९.२ | ५८.२१ | ३.८ |
| हैदराबाद ... ... | २,७९९.६ | १,६१८.८ | ५७.८२ | ८.७ |
| मध्यभारत ... ... | ५५६.० | २८३.० | ५०.९० | ३.६ |
| मैसूर ... ... | १,९८४.० | १,५३०.३ | ७७.१३ | १६.९ |
| पेप्सू ... ... | ६४.६ | २२.१ | ३४.२१ | ०.६ |
| राजस्थान ... ... | ५४४.४ | २९३.० | ५३.८२ | १.९ |
| सौराष्ट्र ... ... | ६८७.१ | ४२७.० | ६२.१५ | १०.३ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | १,५१३.० | ९०६.५ | ५९.९१ | ९.८ |

प्राप्ति स्थान : योजना आयोग (केन्द्रीय शासन), "पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४".

## उद्योगों पर विकास-व्यय की प्रगति

| राज्य | पंचवार्षिक योग (१९५१—५६) (लाख रु. में) | व्यय की प्रगति (१९५१—५४) (लाख रु. में) | व्यय की प्रतिशतता | प्रति-व्यक्ति व्यय (१९५१—५४) (रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| आन्ध्र ... ... | ९२.६ | ३९.८ | ४२.९८ | ०.२ |
| आसाम ... ... | २५.० | ०.८ | ३.२ | ०.०१ |
| बिहार ... ... | ११९.२ | ५४.५ | ४५.७२ | ०.१ |
| बम्बई ... ... | ३५३.६ | ७१.९ | २०.३३ | ०.२ |
| मध्यप्रदेश ... ... | २३५.४ | १९५.९ | ८३.२२ | ०.९ |
| मद्रास ... ... | २०२.० | ९९.५ | ४९.२६ | ०.३ |
| उडीसा ... ... | ९२.९ | ४८.५ | ५२.२१ | ०.३ |
| पंजाब ... ... | ६३.६ | २६.७ | ४१.९८ | ०.२ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ५८२.२ | ३७१.५ | ६३.८१ | ०.६ |
| पश्चिमी बंगाल ... | ११६.७ | ४१.४ | ३५.४८ | ०.२ |
| हैदराबाद ... .. | २९४.४ | ११७.५ | ३९.९१ | ०.६ |
| मध्यभारत ... ... | ५५.० | १२.१ | २२.०० | ०.२ |
| मैसूर ... ... | १७०.१ | ३९.३ | २३.१० | ०.४ |
| पेप्सू ... ... | ३१.७ | ९.४ | २९.६५ | ०.३ |
| राजस्थान ... ... | ३८.५ | १७.७ | ४५.९७ | ०.१ |
| सौराष्ट्र ... ... | १४.८ | ४.७ | ३१.७६ | ०.१ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | १०४.८ | २१.० | २०.०४ | ०.२ |

प्राप्ति स्थान: योजना आयोग (केन्द्रीय शासन), "पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४".

## यातायात पर विकास-व्यय की प्रगति

| राज्य | पंचवार्षिक योग (१९५१—५६) (लाख रु. में) | व्यय की प्रगति (१९५१—५४) (लाख रु. में) | व्यय की प्रतिशतता | प्रति-व्यक्ति व्यय (१९५१—५४) (रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| आन्ध्र ... ... | २४८.४ | १८०.२ | ७२.५४ | ०.९ |
| आसाम ... ... | २४४.९ | ११.२ | ४.५७ | ०.१ |
| बिहार ... ... | ८००.० | ५८२.९ | ७२.८६ | १.४ |
| बम्बई ... ... | १,३८८.६ | १,३६९.१ | ९८.६० | ३.८ |
| मध्यप्रदेश ... ... | २००.० | १३४.४ | ६७.२० | ०.६ |
| मद्रास ... ... | ५००.० | २१९.१ | ४३.८२ | ०.६ |
| उडीसा ... ... | २२१.० | ११०.८ | ५०.१४ | ०.८ |
| पंजाब ... ... | ७५.१ | ५६.९ | ७५.७७ | ०.५ |
| उत्तरप्रदेश ... ... | ६४२.२ | ४२०.५ | ६५.४८ | ०.७ |
| पश्चिमी बंगाल ... | १,५७५.६ | ८१४.७ | ५१.७१ | ३.३ |
| हैदराबाद ... ... | १२८.६ | ८३.२ | ६४.७० | ०.४ |
| मध्यभारत ... ... | १८९.० | ८९.६ | ४७.४१ | १.१ |
| मैसूर ... ... | ३२०.१ | २०४.३ | ६३.८२ | २.३ |
| पेप्सू ... ... | ९५.१ | ७७.२ | ८१.१८ | २.२ |
| राजस्थान ... ... | ४०१.० | १६२.६ | ४०.५५ | १.१ |
| सौराष्ट्र ... ... | ३८६.० | १९२.५ | ४९.८७ | ४.७ |
| त्रावणकोर-कोचीन ... | २२२.० | १२१.१ | ५४.५५ | १.३ |

प्राप्ति स्थान: योजना आयोग, (केन्द्रीय शासन), "पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४".

# 'अ' तथा 'ब' वर्गीय राज्यों में सामाजिक सेवाओं पर प्रति-व्यक्ति विकास-व्यय
(१९५१—५४)

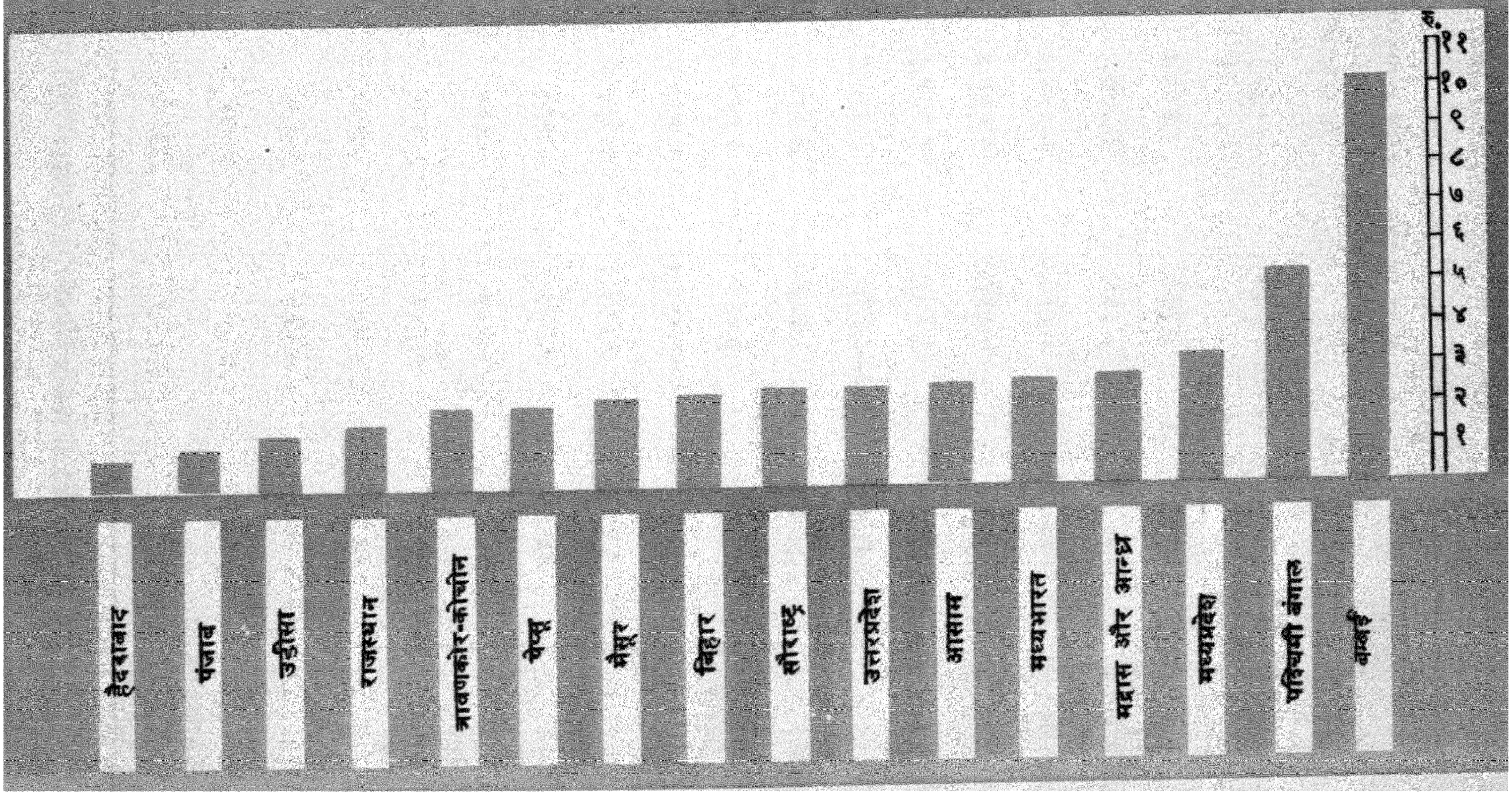

## समाजिक सेवाओं पर विकास-व्यय की प्रगति

| राज्य | | | पंचवार्षिक योग (१९५१—५६) (लाख रु. में) | व्यय की प्रगति (१९५१—५४) (लाख रु. में) | व्यय की प्रतिशतता | प्रति-व्यक्ति व्यय (१९५१—५४) (रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | | | (२) | (३) | (४) | (५) |
| आन्ध्र | ... | ... | १,३६९.५ | ६२३.० | ४५.४९ | ३.० |
| आसाम | ... | ... | ७९६.८ | २२३.५ | २८.०५ | २.५ |
| बिहार | ... | ... | १,४५०.३ | ८९५.५ | ६१.७५ | २.२ |
| बम्बई | ... | ... | ६,७१७.२ | ३,६१६.४ | ५३.८४ | १०.१ |
| मध्यप्रदेश | ... | ... | १,५८२.३ | ६८२.१ | ४३.११ | ३.२ |
| मद्रास | ... | ... | २,७६७.६ | ९१४.० | ३३.०३ | २.५ |
| उडीसा | ... | ... | ४२२.९ | २०२.९ | ४७.९८ | १.४ |
| पंजाब | ... | ... | २५५.१ | १२४.२ | ४८.६९ | १.० |
| उत्तरप्रदेश | ... | ... | २,६८२.२ | १,४९६.२ | ५५.७८ | २.४ |
| पश्चिमी बंगाल | | ... | २,५५४.७ | १,३१५.९ | ५१.५१ | ५.३ |
| हैदराबाद | ... | ... | ४६९.४ | १५३.५ | ३२.७० | ०.८ |
| मध्यभारत | ... | ... | ४९७.० | २०९.१ | ४२.०७ | २.६ |
| मैसूर | ... | ... | ५९०.५ | २०१.७ | ३४.१६ | २.२ |
| पेप्सू | ... | ... | २१७.० | ७०.६ | ३२.५३ | २.० |
| राजस्थान | ... | ... | ५३०.२ | २४२.७ | ४५.७८ | १.६ |
| सौराष्ट्र | ... | ... | ३५४.५ | ९८.४ | २७.७६ | २.४ |
| त्रावणकोर-कोचीन | | ... | २६१.५ | १८२.७ | ६९.८७ | २.० |

प्राप्ति स्थान: योजना आयोग (केन्द्रीय शासन), "पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन, १९५३-५४".

## सन् १९५२-५३ में निर्धारित सामुदायिक-विकास-खण्डों पर कुल राज्य-व्यय

**(अक्टूबर १९५२ से दिसम्बर १९५३ तक)**

(हजार रु. में)

| राज्य<br>(१) | दिसम्बर १९५३ तक के व्यय का लक्ष्य<br>(२) | अक्टूबर १९५२ से दिसम्बर १९५३ तक का वास्तविक व्यय<br>(३) | व्यय की प्रतिशतता<br>(४) |
|---|---|---|---|
| १. आन्ध्र ... ... ... ... | ३७,१५.३७ | ४१०.४४ | ११.० |
| २. आसाम ... ... ... | ५५,२४.९८ | १,४१७.८७ | २५.७ |
| ३. बिहार ... ... ... ... | ९८,११.:८ | १,२८०.०० | १३ ० |
| ४. बम्बई ... ... ... | १,०६,४६.६५ | १,७२७.८४ | १६.२ |
| ५. मध्यप्रदेश ... ... ... | ८८,७१.२२ | १,६५१.३९ | १८.६ |
| ६. मद्रास ... ... ... | ८०,८९.५७ | २३,३८.१४ | २८.९ |
| ७. उड़ीसा ... ... ... | ६९,२६,२३ | १,६७७.०० | २४.२ |
| ८. पंजाब ... ... ... | १,२५,४४.१८ | २,१२१.४४ | १६.९ |
| ९. उत्तरप्रदेश ... ... ... | १,४६,१५.८१ | ५,२४४.०० | ३५.९ |
| १०. पश्चिमी बंगाल ... ... ... | १,३३,१२.९१ | १,७७३.५१ | १३.१ |
| ११. हैदराबाद ... ... ... | ६२,१६.६४ | ५७१.१६ | ९.२ |
| १२. मध्यभारत ... ... ... | ६१,९९.९८ | ७२३.२८ | ११.७ |
| १३. मैसूर ... ... ... ... | २३,३१.६६ | २२५.७७ | ९.७ |
| १४. पेप्सू ... ... ... ... | १७,६१.२५ | ४१५.८५ | २३.६ |
| १५. राजस्थान ... ... ... | ५५,४४.१६ | १,२७४.६२ | २३.० |
| १६. सौराष्ट्र ... ... ... | २४,७२.९१ | ७२२.६० | २९.२ |
| १७. त्रावणकोर-कोचीन ... ... | ४७,१६.६६ | ९९९.३३ | २१.१ |
| १८. अजमेर ... ... ... | ५,६०.४२ | १२०.५० | २१.५ |
| १९. भोपाल ... ... ... | २५,२८.७५ | ३७९.०० | १५.० |
| २०. बिलासपुर ... ... ... | ७,१८.३३ | १५४.३७ | २१.५ |
| २१. कुर्ग ... ... ... ... | ६,९५.३८ | ३९३.५० | ५६.६ |
| २२. दिल्ली ... ... ... ... | ७,२६.४६ | ६८.८० | ९.५ |
| २३. हिमाचल प्रदेश ... ... ... | २६,०२.४८ | ६,७३.९९ | २५.६ |
| २४. कच्छ ... ... ... ... | ८,००.८० | ५८५.५४ | ७३.१ |
| २५. मनीपुर ... ... ... | ६,३२.४७ | १३४.८४ | २१.३ |
| २६. त्रिपुरा ... ... ... | ७,४६.४७ | २५९.४० | ३४.७ |
| २७. बिन्ध्यप्रदेश ... ... ... | ७,१७.९१ | १८६.५० | २६.० |
| २८. नार्थ-ईस्ट फ्रन्टियर एजेंसी ... | ८,४१.२५ | २९७.१० | ३५.३ |
| योग ... | १३,३८,८१.०५ | २७,८२७.७८ | २०.८ |

प्राप्ति स्थान : स्वतंत्रता का सातवां वर्ष, अगस्त १९५३—अगस्त १९५४ (अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रकाशन).

शा.म.ना.—७१६—सं.आ.सां.सं—१४-९-५५—१,०००.

# सामुदायिक विकास क्षेत्र
## और
# प्रशिक्षण केन्द्र

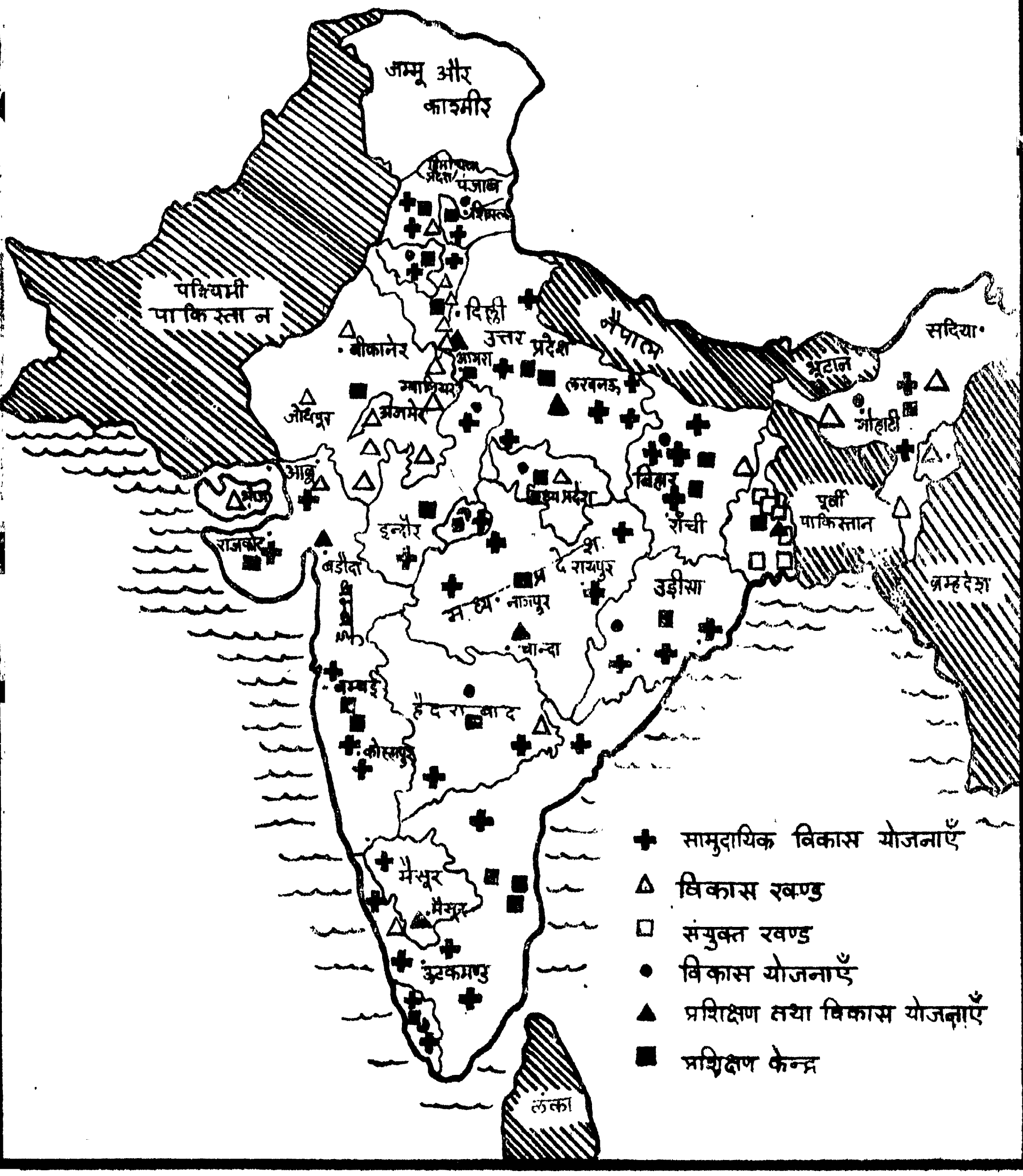

शासन मुद्रणालय, नागपुर